निष्पादन प्रतिवेदन
2021-22

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था

निष्पादन प्रतिवेदन
2021-22

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पटल से

मुझे वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था (साई इंडिया) के निष्पादन प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। यह प्रतिवेदन वर्ष के दौरान साई इंडिया की महत्वपूर्ण गतिविधियों को दर्शाता है।

हम भारत के संविधान और इसके कानूनों के अन्तर्गत प्राधिकरण और अधिदेशों के अनुसार कार्य करते है, जो विधायिका संघ तथा राज्य सरकारों के विभागों दोनों की जवाबदेही को लागू करने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए एक विशिष्ट भूमिका की परिकल्पना करता है। लेखापरीक्षा क्रियाकलापों के अलावा, अधिकतर राज्यों के लिए लेखाकरण तथा हकदारी, कार्यों की जिम्मेदारियां के साथ भी निहित हैं।

लगातार दूसरे वर्ष, हमें कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। गत वर्ष से सीखते हुए हमने अपनी आधारिक संरचना, अपने उपकरण तथा सबसे ऊपर अपने ज्ञान का लाभ उठाकर दूरस्थ स्थानों से अपने कार्यों को निष्पादित किया। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सुधार किया है। वास्तव में, हमने वर्ष के दौरान संसद और राज्य विधानमंड़लों में प्रस्तुति के लिए 165 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देकर पूर्व निष्पादन को पीछे छोड़ दिया, जिसमें से 34 प्रतिवेदनों को संसद में तथा 131 प्रतिवेदनों को राज्य विधानमंड़लों में प्रस्तुत किया गया था। हमारे ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप ही हमनें 2020-21 में 28 राज्यों में से 27 के वित्त तथा विनियोजन लेखाओं को संकलित किया तथा मार्च 2022 के अंत तक प्रमाणित किया।

16 नवंबर 2021 को हमारे ऑडिट दिवस समारोह के उदघाटन पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे कार्यालय परिसर में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया तथा संबोधित करके हमें सम्मानित किया। इस अवसर पर साई इंडिया में नई पहलों और बेहत्तर परिपाटियों के एक संग्रह जिसका शीर्षक 'दा केटलिस्टस-इन परसुऐट ऑफ गुड गर्वनैन्स' को जारी भी किया गया था।

सार्वजनिक लेखापरीक्षण तथा लेखाकरण में नवीनता और उत्कृष्टता के लिए नवस्थापित सीएजी पुरस्कारों को देश भर में फैले हुए हमारे कार्यालयों से चयनित दलों को प्रदान किया गया था। पुरस्कारों ने उन परियोजनाओं को मान्यता दी जो लीक से हटकर अपनी सोच और उच्च स्तर की गुणवत्ता हासिल करने और हमारी प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के जुनून को दर्शाती हैं। हमने उन दलों का भी आभार प्रकट लिया जिन्होंने कोविड प्रकोप के दौरान हमारे कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्त्तव्यों के अलावा भी कार्य किया।

साई इंडिया निरन्तर हमारे कार्यात्मक परिवेश में परिवर्तनों के अध्ययन और इन्हें आत्मसात करने में लगा हुआ है ताकि यह सुनिश्चित करे कि हम इसके साथ तालमेल बनाने के लिए अपनी क्षमताओं तथा प्रणालियों को विकसित और अनुकूलित कर सकें। महामारी के कारण पैदा हुई बाधा के विपरीत, सरकारें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) का प्रयोग करके सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए ई-गर्वनेन्स समाधानों की ओर शीघ्र अग्रसर हो गईं। हमने साई इंडिया में अवसंरचना तथा क्षमताओं को आईटी संचालित गर्वनेन्स मॉडलों में सीएजी के अधिदेशों के प्रभावी ढंग से निपटान को सुनिश्चित करने की लिए अपनी प्रक्रियाओं का भी विकास किया। हमारी लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणालियों को सुव्यवस्थित और अनुकूलित बनाने तथा एक आईएएडी एक प्रणाली (ओआईओएस) अनुप्रयोग के विकास के लिए, शुरू से अन्त तक की लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा ज्ञान प्रबंधन प्रणाली जो अंतत साई इंडिया में हमारी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण का कारण बनेगी, ओआईओएस ने वर्ष के दौरान गति प्राप्त की और 102 कार्यालयों को मंच पर शामिल किया। यह कार्यालय लगभग 60 *प्रतिशत* ओआईओएस के प्रयोग में पूर्णता के अग्रिम स्तर पर है।

एक विनियोग लेखा डैशबोर्ड को विकसित किया गया और हमारी वेबसाईट पर होस्ट किया गया जिसमें राज्य सरकारों के बजट और वास्तविक व्यय का विहंगम दृश्य प्रदान किया गया। इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर, एसएमएस सेवाओं के माध्यम से साझाकरण,

ई-प्राधिकरण और ऑनलाईन शिकायत निवारण तंत्र हमारी हकदारी सेवाओं के वितरण में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने के कुछ उपाय कार्यवाही है, कि हम नागरिक चार्टर का पालन करते हैं।

आंरभिक स्तर अर्थात पंचायती राज संस्थाएं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर सुशासन को बढ़ाने पर अधिक ध्यान देने के साथ, हमने क्षमता निर्माण और जवाबदेही तथा परदर्शिता को और मजबूत करने के लिए कार्यक्षेत्र विशेषज्ञ और हितधारकों के साथ बडे पैमाने पर कार्य किया। इन व्यस्तताओं के भाग के रूप में हमने भारत सरकार के सचिवों और सीएजी के लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के साथ 'स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा को मजबूत करने के माध्यम से सुशासन को बढाना' पर पैनल चर्चा की। इन संस्थाओं के प्राथमिक लेखापरीक्षकों को सहायता देने और वित्तीय/प्रमाणन लेखापरीक्षा प्रक्रिया और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं पर बेहतर स्पष्टता लाने के लिए हमने पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए अधतन दिशा-निर्देश जारी किए।

साई इंडिया दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति इंटोसाई रणनीतिक उद्देश्यों के लिए भी प्रतिबद्ध रहता है। एसडीजी के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा, हमारी निष्पादन लेखापरीक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। वर्ष के दौरान स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ पानी, शिक्षा तथा परिवेशी मामलों वाले क्षेत्रों पर हमारा ध्यान रहा।

वर्ष के दौरान हमने भारत के प्राकृतिक संसाधन लेखाकरण को आंरभ करने की अपनी यात्रा जारी रखी। भारत में प्राकृतिक संसाधन लेखाकरण (एनआरए) पर हमने अवधारणा पत्र जुलाई 2020 में तैयार किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय ढांचा-आर्थिक एवं पर्यावरण लेखाकरण की प्रणाली के अनुसार भारत में एनआरए को कार्यान्वित करने के लिए त्रि-स्तरीय योजना शामिल है। योजनाओं के अनुसार और महामारी के बावजूद हमने देश के लगभग सभी राज्यों के खनिजों एवं अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर राज्यवार संपत्ति लेखाओं को तैयार किया। विभिन्न हितधारकों वाली एवं सलाहकार समिति ने इन लेखाओं की समीक्षा की अथवा प्राप्त हुए सुझावों के आधार पर लेखाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन लेखा अपनी तरह के पहले प्रयास होंगे, जो सभी राज्यों के प्राकृतिक संसाधनों के भंडार पर जानकारी तथा प्रवाह को दर्शाते है। हम प्राकृतिक संसाधन लेखाओं पर एक डैशबोर्ड का विकास कर रहे हैं, जो सामान्य नागरिकों और नीति निर्माताओं, दोनों के लिए बहुत उपयोगी होगा।

हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों में और सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) तथा सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों एशियाई संगठन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। अब हम संयुक्त राष्ट्र के पांच निकायों अर्थात संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन (2020-2025), विश्व स्वास्थ्य संगठन (2020-2023), अंतर्संसदीय संघ (2020-2022), रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन (2021-2023) तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (2022-2027) की लेखापरीक्षा करते हैं। इन निकायों के लिए बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में हमारी नियुक्ति हमारे साथियों के साथ-साथ हमारी व्यावसायिकता और मजबूत राष्ट्रीय साख के बीच हमारी स्थिति की पहचान है।

साई इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा और बेहतर कारोबारी प्रथाओं में विशेषज्ञता प्राप्त करने की दिशा में ज्ञान को साझा करने के लिए अन्य साई के साथ सहयोगात्मक साझेदारी को महत्व देता है। हमने विभिन्न साई के साथ 15 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इन सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के साथ हमारा द्विपक्षीय गठबंधन इन देशों के साथ केवल रिश्तों को ही मजबूत नहीं करता बल्कि बेहतर लेखापरीक्षा गुणवत्ता व्यवस्था के विकास के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाने में मदद करना भी है।

हमारी उपलब्धियां हमारे कर्मचारियों के समर्पित कार्यों को दर्शाती है। हमने उनके व्यावसायिक विकास में पर्याप्त निवेश किया है। अपने कर्मचारियों तथा बाह्य हितधारकों दोनों को लाभान्वित करने के लिए साई इंडिया के संरक्षण में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। नोएडा और जयपुर में स्थित हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों के लिए क्रमशः आईटी और पर्यावरणीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करते है।

इस वर्ष भी, हमने अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार, अपनी लेखापरीक्षा प्रथाओं और पद्धतियों में सुधार करना जारी रखा। लेखापरीक्षा गुणवत्ता संरचना को सुदृढ़ करने के लिए, हमने अपनी समकक्ष समीक्षा दिशा-निर्देशों को संशोधित किया। ये दिशा-निर्देश राष्ट्रीय मानकों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित है जो हमारे निष्पादन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण है।

मुझे आशा है कि यह निष्पादन प्रतिवेदन हमारे कार्यों को समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए नीति निर्माताओं, कार्यकारियों, शैक्षणिक समुदाय और जनता के सदस्यों सहित हमारे हितधारकों को सहायता करती है। मैं अपने सभी हितधारकों को उनके सहयोग और योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ।

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	प्रस्तावना	7

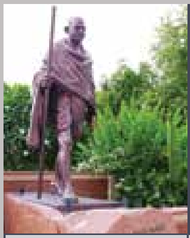

खंड 1
साई इंडिया: अधिदेश और संरचना

अध्याय 1	भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था के विकास की चरणबद्धता (माईलस्टोन)	11-17
अध्याय 2	साई इंडिया का अधिदेश	19-28
अध्याय 3	साई इंडिया का संगठन	29-33
अध्याय 4	प्रशिक्षण अवसंरचना	35-41
अध्याय 5	हम अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं	43-47

खंड 2
हमारे अधिदेश को पूरा करना

अध्याय 1	हमारे लेखापरीक्षा अधिदेश को पूरा करना	51-65
अध्याय 2	हमारे लेखा अधिदेश को पूरा करना	67-77

खंड 3
हाल ही में हुई प्रगति

अध्याय 1	मार्गदर्शनों का विकास	81-91
अध्याय 2	क्षमता निर्माण	93-102
अध्याय 3	आंतरिक नियंत्रण और गुणवत्ता मूल्यांकन	103-105
अध्याय 4	हमारी आईटी पहल	107-116
अध्याय 5	ऑडिट दिवस	117-124
अध्याय 6	अन्य गतिविधियाँ, कोई कम महत्वपूर्ण नहीं	125-130

अध्याय	विषय	पृष्ठ

खंड 4
हितधारकों के साथ अन्त: क्रिया

अध्याय 1	विधायी समितियों के साथ हमारी अन्त:क्रिया	135-138
अध्याय 2	लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड	139-140
अध्याय 3	अधिगम की प्रगति	141-147

खंड 5
अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अध्याय 1	संयुक्त राष्ट्र के साथ हमारी वचनबद्धता	151-155
अध्याय 2	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता	157-170
अध्याय 3	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता	171-174
अध्याय 4	द्विपक्षीय/बहुपक्षीय परस्पर संवाद	175-180
अध्याय 5	अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	181-183

प्राक्कथन

इस निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में

भारत के संविधान द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को संघ तथा राज्यों और अन्य सत्त्वों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था (साई) है और इससे लेखापरीक्षित सत्वों की वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की अपेक्षा की जाती है। साई इंडिया को लेखाओं के प्रारूप और राज्य सरकार के लेखाओं के संकलन पर सरकार को सलाह देने के लिए भी अधिदेशित किया गया है।

इस प्रतिवेदन का लक्ष्य उस सीमा तक रिपोर्टिंग के द्वारा जवाबदेही अपेक्षाओं को पूरा करना है जिस तक साई इंडिया ने अपने लेखापरीक्षा अधिदेश तथा अपेक्षित रिपोर्टिंग के संबंध में अपने कर्त्तव्यों को पूरा किया है। यह साई के संसाधनों के उपयोग में नियमितता तथा दक्षता और हमारी लेखापरीक्षा के प्रभाव को भी दर्शाती है।

इस प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संस्था की भूमिका एवं कार्यों के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करना, हमारे ग्राहकों और पणधारकों, आन्तरिक एवं बाह्य दोनों को हमारे प्रमुख परिणामों और उपलब्धियों के बारे में सूचित करना है। साथ ही इसका लक्ष्य हमारे संगठन में नवीनीकरण के बारे में सूचना साझा करना है।

सीएजी कार्यालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा

खंड 1

साई इंडिया: अधिदेश और संरचना

अध्याय 1
भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था के विकास की चरणबद्धता (माईलस्टोन)

अध्याय 2
साई इंडिया का अधिदेश

अध्याय 3
साई इंडिया का संगठन

अध्याय 4
प्रशिक्षण अवसंरचना

अध्याय 5
हम अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं

अध्याय 1

भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था के विकास की चरणबद्धता (माईलस्टोन)

1.1 हमारी विरासत

भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था (साई) भारत के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की भूमिका विधायिका और अभ्यास के माध्यम से विकसित हुई है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ठीक पहले, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा एक प्रमुख प्रशासनिक पुनर्गठन शुरू किया गया था। इसके कारण पहली बार मई 1858 में एक महालेखाकार विभाग के साथ महालेखाकार की स्थापना हुई। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत वित्तीय लेनदेन के लेखाकरण और लेखापरीक्षण के लिए जिम्मेदार थे। 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत के प्रशासन को संभाला और भारत सरकार अधिनियम, 1858 पारित किया। इस अधिनियम ने 1860 में राज्य संबंधी आय और व्यय के वार्षिक बजट की एक प्रणाली शुरू की। बजट प्रणाली ने राज्य संबंधी लेखापरीक्षा की आधारशिला रखी। सर एडवर्ड ड्रमंड ने 16 नवंबर 1860 को पहले महालेखापरीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक शब्द का प्रयोग पहली बार 1884 में किया गया था। 1919 के मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स ने महालेखापरीक्षक को सरकार से स्वतंत्र कर दिया। भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने संघीय व्यवस्था में प्रांतीय महालेखापरीक्षकों का प्रावधान करके महालेखापरीक्षक की स्थिति को मजबूत किया। 1947 तक जब अंतिम ब्रिटिश महालेखापरीक्षक सर बर्टी मोनरो स्टैग ने कार्यभार सौंपा, तब यह विभाग ब्रिटिश प्रशासन का एक अभिन्न अंग बना रहा और पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एकीकृत लेखाकरण और लेखापरीक्षा व्यवस्था प्रदान की।

1947 में स्वतंत्रता के बाद, ये व्यवस्थाएं 1950 में भारत के संविधान को अपनाने तक जारी रहीं, जिसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को एक संस्था बनाई। श्री वी. नरहरि राव स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक थे। 1971 में संसद द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों) अधिनियम के पारित होने से सार्वजनिक व्यय पर निरीक्षण की व्यापक जिम्मेदारी के साथ एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में साई इंडिया की स्थिति को और मजबूत किया गया।

संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने भाषण में कहा

'मेरी राय है कि यह गणमान्य शायद भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो यह देखने जा रहा है कि संसद द्वारा मतदान किए गए व्ययों से अधिक व्यय तो नहीं किया जाता है, या संसद द्वारा निर्धारित किए गए व्ययों से भिन्न तो नहीं है जिसे विनियोग अधिनियम कहा जाता है।'

हमारे संस्थान की उत्पत्ति

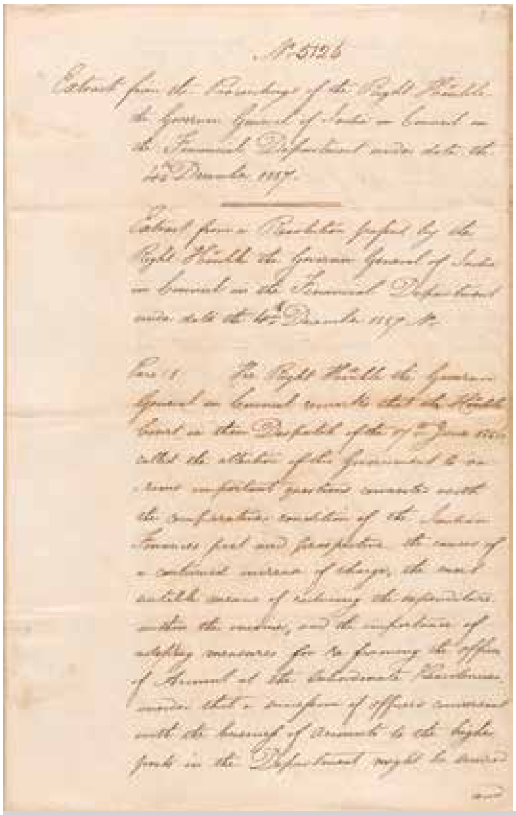

No. 5126

Extract from the Proceedings of the Right Hon'ble the Governor General of India in Council in the Financial Department under date the 4th December 1857.

Extract from a Resolution passed by the Right Hon'ble the Governor General of India in Council in the Financial Department under date the 4th December 1857 &c.

Para 1. The Right Hon'ble the Governor General in Council remarks that the Hon'ble Court in their Despatch of the 17th June [illegible] called the attention of this Government to [illegible] important questions connected with the comparative condition of the Indian Finances past and prospective, the causes of a continued increase of charge, the most suitable means of reducing the expenditure within the income, and the importance of adopting measures for re-forming the office of [illegible] at the Subordinate Presidencies [illegible] that a succession of officers conversant with the business of Accounts to the higher posts in the Department might be [illegible]

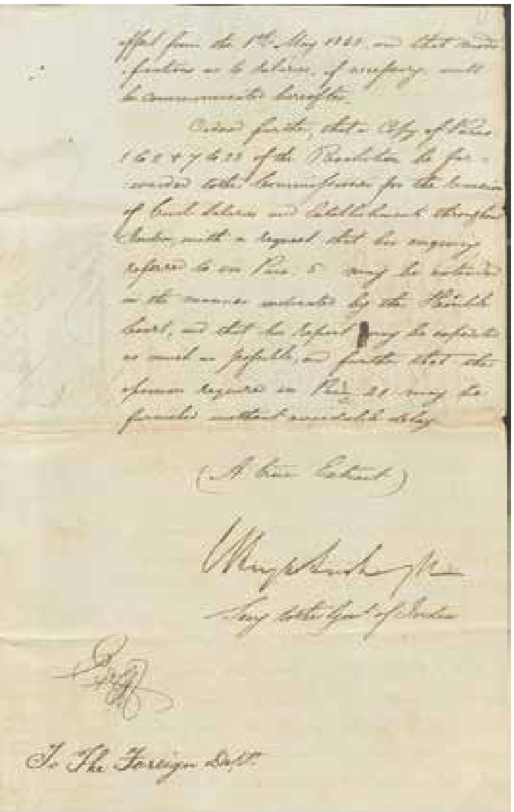

effect from the 1st May [illegible], and that modifications as to [illegible] will be communicated hereafter.

Ordered further, that a Copy of Paras [illegible] of the Resolution be forwarded to the Commissioner for the revision of Civil Salaries and Establishments throughout India, with a request that the enquiry referred to in Para 5 may be instituted in the manner indicated by the Hon'ble Court, and that the Report may be expedited as much as possible, and further that the information required in Para 21 may be furnished without avoidable delay.

(A true Extract)

[illegible]

Secy to the Govt of India

To The Foreign Dept.

सामान्य लेखा विभाग के गठन के आदेश के मूल अंश जो 4 दिसम्बर 1857 को जारी किए गए।

इन तस्वीरों के प्रतिलिप्याधिकार भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास सुरक्षित हैं, जिन्हें सीएजी कार्यालय द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया है।

प्राचीन मौर्य काल में राज्य लेखापरीक्षक के पद को अक्षयतला अध्यक्ष के रूप में जाना जाता था, जो विभिन्न उप-लेखापरीक्षकों की अध्यक्षता करते थे उन्हें अक्षयतला के नाम से जाना जाता था।

आधुनिक समय में भारत सरकार के तहत सामान्य लेखा विभाग की स्थापना दिसम्बर 1857 में की गई थी। सर एडवर्ड ड्रमंड को 16 नवम्बर 1860 को पहले महालेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

भारत सरकार अधिनियम 1919 ने सीएजी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की।

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सीएजी की स्वतंत्रता को सुदृढ़ किया।

भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान ने विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सीएजी को एक विशेष दर्जा दिया।

भारत सरकार अधिनियम 1935 के मूल अंश

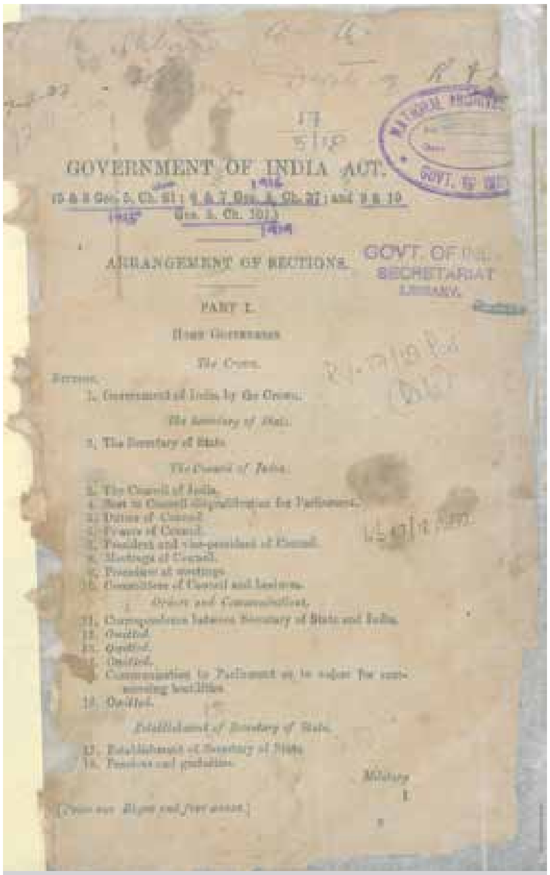

भारत सरकार अधिनियम 1919 के मूल अंश

इन तस्वीरों के प्रतिलिप्याधिकार भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास सुरक्षित हैं, जिन्हें सीएजी कार्यालय द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया है।

1.2 साई इंडिया के विकास में महत्वपूर्ण चरणबद्ध तिथियां (माईलस्टोन)

स्वतंत्रता से पूर्व (1947 तक)

1851-1860

1858: ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्तीय लेनदेन के लेखाकरण और लेखापरीक्षण के लिए जिम्मेदार एक महालेखाकार के तहत एक अलग विभाग बनाया गया

1860: ब्रिटिश शासन के तहत भारत के पहले महालेखापरीक्षक को नियुक्त किया गया

1861-1870

1866: भारत के महालेखापरीक्षक को महालेखानियंत्रक के रूप में नामित किया गया

1881-1890

1884: महालेखानियंत्रक को लेखापरीक्षा और लेखा दोनों के लिए जिम्मेदारियों के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के रूप में फिर से नामित किया गया

1911-1920

1919: भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने सीएजी को भारत में अंतिम लेखापरीक्षा प्राधिकरण के रूप में वैधानिक मान्यता दी और इसे भारत में महालेखापरीक्षक के रूप में पदनामित किया गया

1921-1930

1921: महालेखापरीक्षक के नियम 1921 में प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया

1924: सीमा शुल्क राजस्व की लेखापरीक्षा महालेखापरीक्षक को सौंपी गई थी

1925: वाणिज्यिक लेखापरीक्षा शाखा भारतीय लेखापरीक्षा विभाग में स्थापित की गई थी

1931-1940

1935: भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने (i) इंग्लैंड के राजा द्वारा सीएजी की नियुक्ति, (ii) संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इसी तरह और समान आधार पर सीएजी को पद से हटाने और (iii) कार्यालय खाली करने पर सीएजी को भारत में शासन के तहत किसी भी पद पर रहने से रोककर सीएजी की स्वतंत्रता और स्थिति को मजबूत किया। महालेखापरीक्षक के पद को भारत के महालेखापरीक्षक के रूप में नामित किया गया

1936: भारत सरकार (लेखापरीक्षा और लेखा आदेश), 1936 को सीएजी के लेखापरीक्षा और लेखाकरण कार्यों का विवरण देते हुए जारी किया गया

1938: लेखापरीक्षा कोड को अद्यतन किया गया था जिसने 1921 में जारी किए गए पहले के संस्करण में निहित पहले के सभी नियमों और निर्देशों को हटा दिया

आजादी के बाद (1947 के बाद)

1947-1950

1947: भारत सरकार (लेखापरीक्षा और लेखा आदेश), 1936 को भारतीय अंतिम संविधान आदेश 1947 द्वारा अपनाया गया था

1948: भारत सरकार, वित्त विभाग के तत्कालीन सचिव, श्री वी. नरहरि राव को 15 अगस्त 1948 को भारत के स्वतंत्र प्रभुत्व के पहले भारतीय महालेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था

1950: भारत के संविधान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए प्रावधान किया गया था, जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लेखाकरण और लेखापरीक्षण कार्यों के साथ सौंपा गया था, जिसमें केंद्र प्रशासित क्षेत्र/केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे

1951-1960

1953: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सेवा की शर्तें अधिनियम) को 1953 में प्रख्यापित किया गया था

1956: भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 ने सरकारी कंपनियों को कानूनी दर्जा दिया और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा का प्रावधान किया, जिन्होंने कंपनियों में लेखापरीक्षकों की नियुक्ति पर सरकार को सलाह भी दी

1960: भारत सरकार के साथ आयकर प्राप्तियों और प्रतिदाय के लेखापरीक्षा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर सहमति व्यक्त की गई

1961-1970

1962: लेखापरीक्षा संहिता के अधिक्रमण में, दो खंडों में स्थायी आदेश (तकनीकी) की एक नियमावली को जारी किया गया था

2011-2020

2012: लेखापरीक्षा में क्षेत्रीय उन्मुखीकरण शुरू करने के लिए लेखापरीक्षा कार्यालयों के पुनर्गठन को लागू किया गया था ● सीएजी 2012-2016 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और 2012-2017 के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बाह्य लेखापरीक्षक बने

2014: संशोधित निष्पादन लेखापरीक्षा दिशा-निर्देश जारी किए गए थे ● सीएजी 2014-2020 के लिए लेखापरीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र बोर्ड के सदस्य बने

2016: अनुपालन लेखापरीक्षा दिशा-निर्देश जारी किए गए थे

2017: सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों को संशोधित और अद्यतन किया

2020: लेखापरीक्षा और लेखा 2007 पर विनियम, को लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियम (संशोधन) 2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था ● क्लस्टरों/क्षेत्रों के आधार पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लेखापरीक्षा कार्यालयों के पुनर्गठन को लागू किया गया था ● सीएजी 2020-2025 के लिए खाद्य और कृषि संगठन, 2020-2023 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर संसदीय संघ 2020-22 के बाह्य लेखापरीक्षक बने

2001-2010

2002: सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के सहयोग से जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने सहित सरकारी लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों को स्थापित करने और सुधारने के लिए की गई थी। ● स्थायी आदेशों की नियमावली (लेखापरीक्षा) को संशोधित और अद्यतन किया ● सीएजी के संशोधित लेखाकरण मानक जारी किए गए थे जिन्होंने 2001 में इंटोसाई द्वारा जारी किए गए पुनर्रचित लेखाकरण मानकों को उपर्युक्त रूप से अपनाया था। ● सीएजी 2002-2008 के लिए खाद्य और कृषि संगठन के बाहय लेखापरीक्षक बने

2004: निष्पादन लेखापरीक्षा दिशा-निर्देश जारी किए गए जिससे साई इंडिया को निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने में मदद मिली ● सीएजी 2004-2012 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहय लेखापरीक्षक बने

2007: सीएजी द्वारा सीएजी के डीपीसी अधिनियम के तहत नियमों और विनियमों को बनाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करके लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियम, 2007 जारी किए गए

2010: सीएजी 2010-2016 के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम और प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहय लेखापरीक्षक बने

1971-1980

1971: सीएजी के डीपीसी (कर्त्तव्यों, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, सीएजी के कर्त्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए संविधान के तहत पारित किया गया था

1976: सीएजी के डीपीसी (कर्त्तव्यों, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में संशोधन किया गया था ताकि सीएजी को भारत सरकार के लेखाओं के रखरखाव से संबंधित कर्त्तव्यों और कार्यों से मुक्त किया जा सके

1981-1990

1984: संयुक्त महालेखाकारों के कार्यालयों को अलग-अलग संवर्गों के साथ दो अलग-अलग कार्यालयों अर्थात सभी लेखापरीक्षा कार्यों के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और सभी लेखा और हकदारी कार्यों के लिए महालेखाकार (ले. एवं हक.) में विभाजित किया गया था

1991-2000

1991: स्थायी आदेशों की नियमावली (तकनीकी) को परिवर्तित नाम स्थायी आदेशों की नियमावली (लेखापरीक्षा) को संशोधित किया गया और अद्यतन किया गया

1993: सीएजी 1993-1999 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षकों के बोर्ड के सदस्य बने

1994: पहले लेखापरीक्षण मानकों को मूल सिद्धांतों और प्रथाओं का विवरण देते हुए जारी किया गया था जिनका लेखापरीक्षकों को पालन करना चाहिए

1996: सीएजी 1996-2004 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के बाह्य लेखापरीक्षक बने

1997: सीएजी 1997-2003 के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक बने

1998: साई इंडिया द्वारा सरकारी लेखापरीक्षा के क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों और योगदान के सम्मान में साई इंडिया को इंटोसाई (आईएनसीओएसआई) की कांग्रेस द्वारा जोर्ग कंडच पुरस्कार से सम्मानित किया गया

1999: सीएजी ने लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया

2000: सीएजी 2000-2012 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और 2000-2015 के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के बाह्य लेखापरीक्षक बने

अध्याय 2
साई इंडिया का अधिदेश

2.1 साई इंडिया के बारे में

भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) तथा उनके अधीन कार्य करने वाला भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग (आईएएंडएडी) संघीय ढाँचे में एक एकीकृत लेखापरीक्षा तंत्र प्रदान करता है। संसदीय लोकतंत्र में जाँच और संतुलन की सांविधिक योजना में इस तंत्र को विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। लेखापरीक्षा नियामक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसका उद्देश्य लोक वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन के स्वीकृत मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। राज्यों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिनिधित्व करने वाले साई इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार कहा जाता है।

संसद/राज्य विधानमंडल वार्षिक बजट और अनुपूरक विनियोजनों का अनुमोदन करता है और सरकार को कर वसूल करने का प्राधिकार देता है। लोक-निधियों के प्रबंधन में औचित्य, नियमितता और सत्यनिष्ठा के मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय नियमावली है। सरकारी विभागों तथा अन्य सार्वजनिक निकायों से इन नियमों का अनुसरण और उनमें निर्धारित ढांचे का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, जब वे लोक-धन को प्राप्त और खर्च करते हैं। व्यय करने वाले विभाग अपने व्यय की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के लिए संसद और राज्य विधानमण्डलों के प्रति जवाबदेह हैं।

संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में सरकारी विभागों की वैधानिक जवाबदेही को लागू करने के लिए संसद की सहायता करने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए विशिष्ट भूमिका निर्धारित की गई हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों की लेखापरीक्षा करता है और राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन भी करता है।

हमारे संघीय बहुदलीय प्रजातंत्र के दृष्टिगत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका का बहुत महत्व है जहां संघ और राज्य दोनों सरकारें बड़ी संख्या में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं जिनमें बड़े सार्वजनिक संसाधन शामिल हैं। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से ई-गवर्नेंस समाधानों की ओर बढ़ने पर निरंतर जोर दिया गया है, जिसमें डिजिटल मोड का उपयोग करके नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना शामिल है। एक अन्य आदर्श परिवर्तन हुआ है जो भारत सरकार का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मंच है, जो राज्य सरकारों के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों को लाभ के सीधे हस्तांतरण के लिए है, जिसमें मध्यस्थ स्तर को कम करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पुनःअभियांत्रिकीकरण और चोरी और दोहराव को कम करने के उद्देश्य से इच्छित लाभार्थियों को भुगतान में देरी को कम करना शामिल है। इसकी अनुक्रिया में साई इंडिया लगातार हमारी प्रक्रियाओं, बुनियादी ढांचे और क्षमताओं की पुन: जांच करने और विकसित करने में लगा हुआ है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उभरते हुए शासन मॉडल और सूचना प्रौद्योगिकी संचालित मंचों पर सीएजी के अधिदेशों का प्रभावी ढंग से निर्वहन किया जा सके।

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का उचित लेखाकरण और लेखापरीक्षण क्रमिक केंद्रीय वित्त आयोगों के लिए चिंता का विषय रहा है। तदनुसार हमने स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों/स्थानीय निधियों के परीक्षकों के क्षमता निर्माण को बढ़ाने और राज्य संगठनों के आपसी मेल-जोल को बढ़ाने के लिए सक्रिय उपायों पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि जमीनी स्तर पर सुशासन को बढ़ाने के प्रयास में हितधारकों के साथ भी जुड़ रहे हैं।

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

2.2 हमारी दूरदृष्टि, उद्देश्य और नैतिक मूल्य

दूरदृष्टि

हमारी दूरदृष्टि यह दर्शाती है कि हम क्या बनना चाहते है: सार्वजनिक संसाधनों पर स्वतंत्र और विश्वसनीय आश्वासन प्रदान करना जारी रखें और सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा में वैश्विक रूप से अग्रणी बनें।

उद्देश्य

हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को प्रस्तुत करता है और आज हम क्या कर रहे हैं, इस का वर्णन करता है: भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित हम उच्च गुणवत्ता लेखापरीक्षण एवं लेखाकरण के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने हितधारकों, विधानमंडल, कार्यकारिणी और आम जनता को स्वतंत्र आश्वासन मुहैया कराते हैं कि लोक निधियों को दक्षता और कुशलता से संग्रहित किया जा रहा है।

नैतिक मूल्य

हमारे नैतिक मूल्य उन सभी के लिए मौलिक विश्वास है जो हमारी संस्था और हमारे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं

संस्थागत मूल्य: पेशेवर मानकों, उद्देश्य और संतुलित दृष्टिकोण, स्वतंत्रता और पारदर्शिता को अनिवार्य करना।

लोक मूल्य: नैतिक व्यवहार, अखंडता, पेशेवर क्षमता, निष्पक्षता और सामाजिक जागरूकता।

2.3 साई इंडिया की स्वतंत्रता

भारत के संविधान में भारत सरकार और राज्यों की कार्यकारी शाखा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 149 और 150 में सीएजी के कर्त्तव्यों और शक्तियों का प्रावधान किया गया हैं। अनुच्छेद 151 में प्रावधान है कि संघ तथा राज्य सरकारों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद अथवा राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भारत के राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करना होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो न तो कार्यपालिका और न ही विधायिका के अंग हैं।

संविधान में निम्नलिखित प्रावधान से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से लेखापरीक्षा के लिए सक्षम बनाया गया है:

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की नियुक्ति;
- सीएजी को हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू है;
- सीएजी का वेतन और खर्च, संसद के मत के अधीन नहीं है; और
- सेवा-काल की समाप्ति के पश्चात् किसी अन्य सरकारी कार्यालय का पद लेने में सीएजी की अपात्रता।

संविधान में यह भी प्रावधान है कि साई इंडिया में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और सीएजी की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होगी जो सीएजी के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जाएं।

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का भाषण, 21 जुलाई 1954

'जहां तक राज्य के धन का संबंध है, सीएजी के पास किसी भी अधिकारी के लेखा को मांगने की शक्ति है, चाहे वह कितने भी उच्च स्थान पर क्यों न हो। इसलिए उसे सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि यह सर्वोत्तम संभव तरीके से इसे आवंटित कर्त्तव्यों के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए गणना किए गए तरीके से कार्य करने में सक्षम हो सके'

2.4 हमारे लेखा अधिदेश

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में घोषित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्त्तव्यों, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971[1] (सीएजी का डीपीसी अधिनियम 1971) में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के लेखाओं के संकलन का प्रावधान है। लेखाओं के संकलन के अतिरिक्त, सीएजी लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राष्ट्रपति को, राज्यों के राज्यपालों को और विधानसभा वाले संघ-राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रशासकों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। वह लेखाओं को तैयार करने से संबंधित माँगी गई सूचना भी देता है और सहायता भी प्रदान करता है। हम कोषागारों और राज्य सरकारों के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सहायक लेखाओं से राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन करते है। यदि धन अनुमोदन से अधिक निकाला जा रहा है तो हम शासन को सचेत करते हैं। हम व्यय के तरीके की सक्रिय रूप से निगरानी करते हैं और निधियों के अधिक व्यय, वापस की गई राशि, व्यपगत राशि पर परामर्श देते हैं।

संघ सरकार को सीएजी के परामर्श के बाद केंद्र और राज्य सरकार के विभागों द्वारा लेखाओं के रखरखाव के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिसमें वह तरीका भी शामिल है जिसमें कोषागारों, कार्यालयों और लेखा कार्यालयों को लेखा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा प्रारंभिक और सहायक लेखाओं को रखा जाना है।

2.5 हमारा लेखापरीक्षा अधिदेश

2.5.1 सीएजी का डीपीसी अधिनियम, 1971

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश को सीएजी डीपीसी अधिनियम, 1971 और संसद द्वारा बनाए गए कुछ अन्य कानूनों में परिभाषित किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निम्नलिखित की लेखापरीक्षा एवं रिपोर्ट करने के अधिदेश है:

- संघ एवं राज्य सरकारों की समेकित निधि में देय सभी प्राप्तियां और व्यय;
- आम बजट के बाहर आपातकाल में सभी वित्तीय लेन-देन (जिसे आकस्मिक निधि कहा जाता है);
- केंद्र के साथ-साथ राज्य स्तरों पर न्यासी या बैंकर के रूप में सरकार द्वारा धारित जनता के निजी धन की आवाजाही (जिसे लोक लेखा कहा जाता है);
- किसी भी सरकारी विभाग में रखे गए समस्त व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखे, तुलन-पत्र एवं अन्य सहायक लेखे;
- सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों के समस्त भण्डार और स्टॉक लेखे;

[1] भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 10, 11 एवं 12

- कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित सभी सरकारी कंपनियों और किसी अन्य कंपनी के लेखे;
- सभी विनियामक निकायों और अन्य सांविधिक प्राधिकरणों/निगमों के लेखे, जिनमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उनकी लेखापरीक्षा का शासी विधियों में प्रावधान है;
- सरकारी कोष से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के लेखे;
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम, 1971 के समर्थकारी प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रपति/राज्यपाल/उप राज्यपाल द्वारा लोकहित में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा हेतु विशिष्ट रूप से सौंपे गए किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निम्नलिखित विशेष उत्तरदायित्व भी सौंपे गए हैं:

- क्रमिक केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों पर, राज्यों ने सीएजी के डीपीसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को राज्य सरकारों के स्थानीय निधि लेखापरीक्षा स्कंधों, जो स्थानीय निकायों (एलबी) के प्राथमिक लेखापरीक्षक हैं, को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता (टीजीएस) प्रदान करने की भूमिका सौंपी है। टीजीएस के घटकों में अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा मानकों की स्थापना, लेखापरीक्षा योजना, उन्नत लेखापरीक्षा पद्धतियों को अपनाने और क्षमता निर्माण के लिए प्राथमिक लेखापरीक्षकों का समर्थन और आपसी सहयोग शामिल है। इसके अतिरिक्त, केंद्र/राज्य सरकारों से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त निधियों का उपयोग और स्थानीय निकायों (एलबी) द्वारा केंद्रीय/राज्य स्कीमों के कार्यान्वयन की भी लेखापरीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, उन स्थानीय निकायों (एलबी) की सभी प्राप्तियों और व्ययों की लेखापरीक्षा की जाती है जो या तो भारत/राज्यों की समेकित निधि से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित होते हैं या जहाँ ऐसी लेखापरीक्षा राज्य सरकारों द्वारा सौंपी गई है।
- राजकोषिय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम के अन्तर्गत संघ सरकार की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में निष्पादन की समीक्षा करना।
- केंद्रीय कर/शुल्क की निवल आय को प्रमाणित करना जो राज्यों के साथ साझा करने योग्य हैं।

2.5.2 न्यायिक घोषणा के माध्यम से अधिदेश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास उन निजी कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा का भी अधिकार है, जो सामान्यतया भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश में नही है, यदि कम्पनी को लाइसेंस की शर्तों के अन्तर्गत दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति दी गई है, जिसमें अपेक्षित है कि कम्पनी उससे अर्जित राजस्व के एक भाग को सरकार के साथ सहभाजित करेगी। इस अधिकार को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 17 अप्रैल 2014 निर्णय द्वारा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली कम्पनियों के संबंध में समर्थन दिया गया था।

2.6 हमारी शक्तियां

2.6.1 लेखापरीक्षा करने की शक्तियां

ऊपर उल्लिखित कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास निम्नलिखित शक्तियाँ[2] हैं:

- अपनी लेखापरीक्षा के अधीन किसी भी कार्यालय या संगठन का निरीक्षण;
- किसी भी लेखापरीक्षित सत्व से किन्हीं अभिलेखों, कागजातों, दस्तावेजों को मांगना;
- लेखापरीक्षा की सीमा और तरीके का निर्णय लेना;
- सभी लेन-देनों की जांच और कार्यपालिका से प्रश्न करना; और
- जब परिस्थितियाँ ऐसी हों, तो किसी लेखे अथवा लेन-देनों की किसी श्रेणी की विस्तृत लेखापरीक्षा के किसी भाग को छोड़ना और ऐसे लेखाओं अथवा लेन-देनों के संबंध में ऐसी सीमित जाँच करना जैसा कि वे अवधारित करें।

2.6.2 प्रत्यायोजन की शक्तियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक डीपीसी अधिनियम, 1971 अथवा किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने विभाग के किसी अधिकारी को अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकते हैं, इस अपवाद को छोड़कर कि जब सीएजी छुट्टी अथवा अन्य किसी कारण से अनुपस्थित हो तो कोई अधिकारी उनकी ओर से राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता।

2.6.3 विनियम बनाने की शक्तियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक डीपीसी अधिनियम 1971 के प्रावधानों को लागू करने, जहाँ तक कि वे लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और सीमा से संबंधित हैं, जिनमें सरकारी विभागों के मार्गदर्शन, सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धान्तों और प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के संबंध में विस्तृत सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया है, के लिए विनियम बना सकते हैं।

पर्यावरण में महत्वपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए जिसमें सार्वजनिक लेखापरीक्षक कार्य करते हैं जैसे शासन प्रतिमान, सरकारी प्राथमिकताओं में परिवर्तन, सरकार की सेवा वितरण और डेटा वातावरण में आईटी उपकरणों की व्यापक तैनाती, संस्थागत व्यवस्थाओं का नया स्वरूप, सीएजी के अधिदेश की न्यायिक व्याख्या, सार्वजनिक लेखापरीक्षा प्रावधानों का दायरा और प्रयोज्यता आदि, उपर्युक्त शक्तियों के तहत 2007 में जारी किए गए 'लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियमों' की समीक्षा की गई थी और उन्हें लेखापरीक्षा और लेखा (संशोधन) 2020 पर विनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

[2] भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम 1971, की धारा 18, 21, 22, 23, और 24

2.7 साई इंडिया द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की शक्तियां किसी लेखापरीक्षा के आयोजन में अपनाए जाने वाले कार्यक्षेत्र सीमा, पद्धति तथा उपागम को मानते हुए विस्तारित हैं। इस संबंध में हम, हमारे अधिदेश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी मानदंडों और दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षित सत्त्वों में वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा या इन लेखापरीक्षा प्रकारों के किसी संयोजन की लेखापरीक्षा करते है।

2.7.1 वित्तीय लेखापरीक्षा

वित्तीय लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने से संबंधित है कि क्या किसी सत्व के वित्तीय विवरण और जानकारी ठीक से तैयार की गई है, सभी मामलों में पूर्ण है और निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग और नियामक ढांचे के अनुसार पर्याप्त प्रकटीकरण के साथ प्रस्तुत की गई है; और लेखापरीक्षक को एक राय व्यक्त करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करके पूरा किया गया है कि क्या वित्तीय विवरण और जानकारी इकाई की वित्तीय स्थिति के एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त है।

2.7.2 अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र निर्धारण है कि क्या कोई दी गई विषय वस्तु (एक गतिविधि, वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन, इकाई या इकाइयों के समूह के संबंध में जानकारी) लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित कोड आदि और सरल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों के साथ सभी भौतिक संबंधों का अनुपालन करता है।

2.7.3 निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र, उद्देश्यपूर्ण और विश्वसनीय परीक्षा है कि क्या सरकारी सत्त्व, संस्थाएं, संचालन, कार्यक्रम, निधियां, गतिविधियां (उनके इनपुट, प्रक्रियाओं, आउटपुट, परिणामों और प्रभावों के साथ) मितव्ययता, दक्षता और प्रभावशीलता के सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर रहे हैं और क्या सुधार की गुंजाइश है।

अध्याय 3
साई इंडिया का संगठन

3.1 साई इंडिया का संगठन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के माध्यम से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं। साई इंडिया एक ज्ञान आधारित और मानव संसाधन संचालित संगठन है। इसमें लगभग 41,700 कर्मचारी शामिल हैं। नई दिल्ली में स्थित सीएजी का कार्यालय साई इंडिया का मुख्यालय है। 2021-22 के दौरान, 137 क्षेत्रीय कार्यालयों (पूरे भारत में फैले 132 कार्यालयों और विदेशों में स्थित पांच कार्यालयों) द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। तीन राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान और 12 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/केंद्र क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करते हैं।

नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय साई इंडिया के लेखापरीक्षा, लेखा एवं हकदारी कार्यों से संबंधित सभी कार्यकलापों को निर्देशित, निरीक्षित और नियंत्रित करता है। यह साई इंडिया की दीर्घकालिक संकल्पना, उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करता है। यह नीतियों, लेखापरीक्षण मानकों और प्रणालियों को निर्धारित करता है और सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अंतिम प्रसंस्करण और अनुमोदन करता है।

इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए ले. एवं हक., सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, रक्षा लेखापरीक्षा, रेलवे लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, राज्य सरकारी लेखापरीक्षा, व्यवसायिक प्रथाएं, नीतिगत प्रबंधन, कार्मिक प्रशासन, प्रशिक्षण, संचार, क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण, बृहत डेटा प्रबंधन इत्यादि के कार्य करने वाले पृथक डिवीजन हैं। इन डिविजनों के प्रमुख उप/अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक हैं जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को रिपोर्ट करते हैं। इनकी सहायता महानिदेशक, प्रधान निदेशक, निदेशक और उप निदेशक करते हैं जो सभी वरिष्ठ स्तर के प्रबन्धक हैं।

देश के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय सीएजी के लेखापरीक्षा और लेखा अधिदेश को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हैं। लंदन, कुआलालंपुर और वाशिंगटन डीसी में लेखापरीक्षा कार्यालय भारत

सरकार के विदेशी उद्देश्यों की लेखापरीक्षा करते हैं, जब कि रोम और जिनेवा में हमारे बाह्य लेखापरीक्षा कार्यालय क्रमशः संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की लेखापरीक्षा करते हैं।

हमारे कार्यक्षेत्र हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों अर्थात केंद्र सरकार की लेखापरीक्षा, राज्य सरकार की लेखापरीक्षा, ले. एवं हक. और प्रशिक्षण और मानव संसाधन के अनुसार संरचित होते हैं। संगठनात्मक व्यवस्था को निम्न चित्र में दर्शाया गया है:

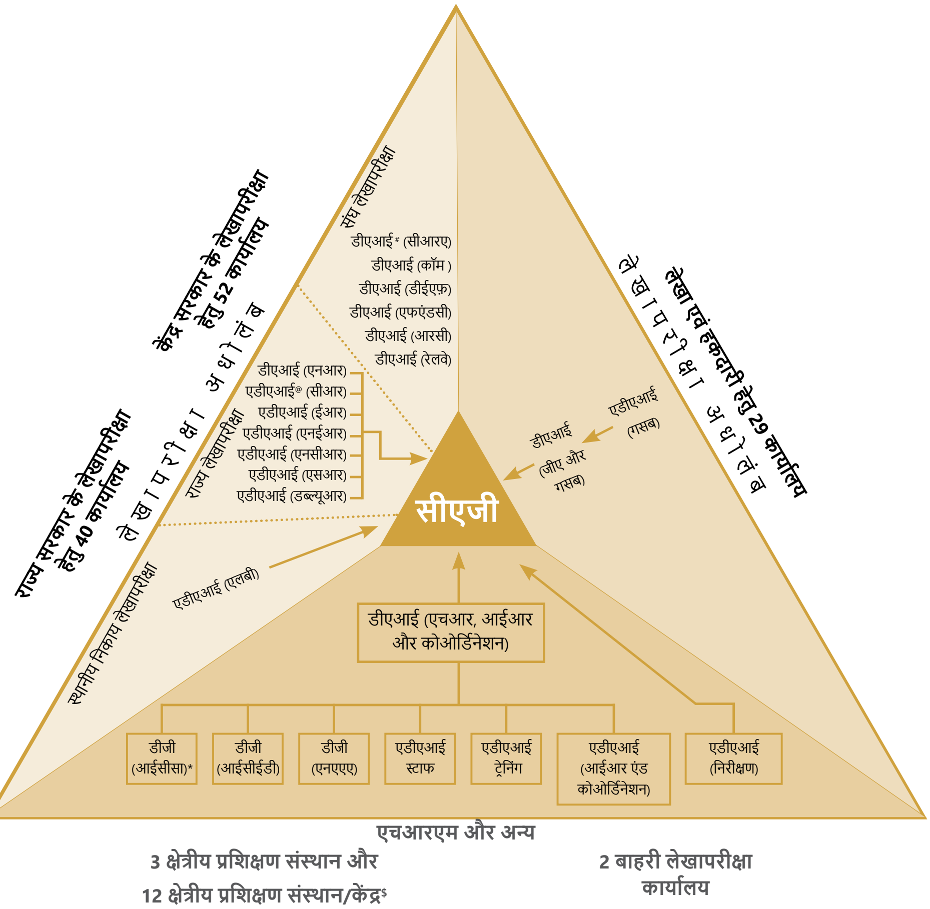

 # डीएआई: उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
@ एडीएआई: अपर उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
** अपर उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (दक्षिण क्षेत्र), महानिदेशक (आईसीसा) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।*
$ एक आरटीसी अलग कार्यालय नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट https://cag.gov.in/content/organisation-chart पर उपलब्ध है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए वेब लिंक https://cag.gov.in/en/home/our-office/पर उपलब्ध है।

3.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

लेखापरीक्षा संबंधी मामलों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सलाह देने के लिए एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड होता है जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक और सांविधिक अधिदेश के ढांचे के अन्तर्गत लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सुझाव देता है।

बोर्ड में मनोनीत बाहरी सदस्य शामिल होते हैं जो भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ-साथ विविध क्षेत्रों में प्रख्यात व्यक्ति होते है। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक क्षमता पर कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन प्रत्येक दो वर्षों में किया जाता है। प्रथम लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन 1999 में किया गया था। तब से बोर्ड का नौ बार (2001, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2018 और 2021) पुनर्गठन किया गया है। दसवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन दो वर्षों की अवधी 2021-23 के लिए अप्रैल 2021 में किया गया, गठित दसवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य हैं:

श्री गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	पदेन अध्यक्ष
श्री अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री	सदस्य
डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, नारायणा हेल्थ	सदस्य
श्री एच. के. दास सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी	सदस्य
प्रो. मकरंद आर. परांजपे शिक्षाविद्	सदस्य
श्री मनीष सभरवाल एचआर सलाहकार	सदस्य
श्री मारूफ रज़ा सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक	सदस्य
श्री नितिन देसाई विशिष्ट अध्येता, टेरी, संयुक्त राष्ट्र सेवानिवृत्त	सदस्य
डॉ. रविंदर एच. ढोलकिया अर्थशास्त्री	सदस्य
श्री एस.एम. विजयानंद सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी	सदस्य
श्री सुरेश एन. पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त	सदस्य
सभी उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	पदेन सदस्य

सीएजी के दसवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य

3.3 राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

इसी आधार पर लेखापरीक्षा कार्यालयों के संबंधित प्रधान महालेखाकारों/महालेखाकारों की अध्यक्षता में राज्यों में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। राज्यों में अन्य महालेखाकार बोर्ड के पदेन सदस्य हैं। बाह्य सदस्यों में प्रख्यात शिक्षाविदों, पेशेवरों और सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को नामित किया जाता है। राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का उद्देश्य लेखापरीक्षा कार्यालयों के वरिष्ठ प्रबंधन और विभिन्न क्षेत्रों के जानकार और अनुभवी पेशेवरों के बीच पेशेवर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करके, हमारी लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। बोर्ड की बैठक वर्ष में दो बार होती है और इसे द्विवार्षिक रूप से पुनर्गठित किया जाता है।

अध्याय 4

प्रशिक्षण अवसंरचना

4.1 साई इंडिया का प्रशिक्षण अवसंरचना

साई इंडिया के प्रशिक्षण अवसंरचना में तीन केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, 10 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान और दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं।

4.1.1 राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी, शिमला

राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी (एनएएए) साई इंडिया का उच्चतम प्रशिक्षण संस्थान है, जिसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा (आईएएंडएएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं को आरंभिक प्रशिक्षण देने और आईएएंडएएस और अन्य अखिल भारतीय और केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

एनएएए, शिमला

अकादमी के प्रमुख उद्देश्य- लेखापरीक्षण, लेखाकरण, लोक प्रशासन तथा सुशासन के क्षेत्र में समकालीन बेहतर पद्धतियों के साथ सुप्रवीण सक्षम अधिकारियों के सवंर्ग का विकास करना है। प्रत्येक वर्ष दिसंबर के मध्य में अकादमी में 89 सप्ताह तक

चलने वाला आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण शुरू होता है जिसे चरण-I, कार्यभार पर रहते हुए प्रशिक्षण (ओजेटी) और चरण–II प्रशिक्षण वाले कई स्वरूपों में आयोजित किया जाता है। चरण-I प्रशिक्षण को सरकार और वाणिज्यिक लेखाकरण; अनुपालन, निष्पादन, वित्तीय और सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा सहित सार्वजनिक लेखापरीक्षा; सार्वजनिक वित्त और नीति; प्रशासन और सार्वजनिक व्यय; लागत और वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ छमाही-I और II में विभाजित किया गया है। साई इंडिया की क्षेत्रीय संरचनाओं में कार्य करने का अनुभव प्रदान करने के लिए देश भर के चुनिंदा क्षेत्रीय कार्यालयों में 32 सप्ताह के लिए कार्यभार पर रहते हुए प्रशिक्षण द्वारा कक्षा प्रशिक्षण को पूरा किया जाता है।

अधिकारी प्रशिक्षुओं को भारतीय प्रबंधन संस्थानों, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, भारतीय रिज़र्व बैंक, नीति आयोग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान और लोकतंत्रों के लिए संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान सहित कार्यक्षेत्र विशिष्ट ज्ञान के लिए उत्कृष्टता के अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी भेजा जाता है।

अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान, खेल, सांस्कृतिक, सामाजिक संपर्क और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से अधिकारी प्रशिक्षुओं के पारस्परिक कौशल और व्यक्तित्व विकास के उत्थान पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। अधिकारी प्रशिक्षुओं द्वारा संचालित विभिन्न समितियां हैं। इन समितियों द्वारा आयोजित प्रमुख गतिविधियों में 'अकादमी कॉलिंग' और 'यारोस ड्यू' पत्रिकाएं प्रकाशित करना, 'अभिव्यक्ति' के रूप में पहचाने जाने वाले संपूर्ण साई इंडिया की वार्षिक फोटोग्राफी एवं सह लघु वीडियो

यारोस, शिमला

प्रतियोगिता सह प्रदर्शनी का आयोजन, वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता 'बैटल ऑफ आइडियाज', वार्षिक जिज्ञासा प्रतियोगिता, प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए क्रेच का संचालन, रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन, विभिन्न खेल आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है।

संस्थान आईएएंडएएस अधिकारियों और अन्य विभागों के अधिकारियों को मध्य-कैरियर और सेवारत प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। संस्थान अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं जैसे भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, भारतीय रेलवे यातायात सेवा, भारतीय डाक सेवा आदि के लिए विशेष कार्यक्रम को पूर्ण करता है।

4.1.2 अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तथा लेखापरीक्षा के लिए केंद्र (आईसीसा)

नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तथा लेखापरीक्षा केंद्र (आईसीसा) मार्च 2002 में स्थापित किया गया था और आईसीसा एक आईएसओ 9001:2008 तथा आईएसओ 27001 प्रमाणित संस्थान है जो कि प्रशिक्षण में गुणवत्ता प्रणाली सुनिश्चित करने तथा बेहतर वैश्विक प्रथाओं के साथ आईटी लेखापरीक्षा के संरेखण के लिए प्रयासरत है। आईसीसा आईटी लेखापरीक्षा पर ईंटोसाई कार्यप्रणाली समूह की नामित वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा है।

आईसीसा, नोएडा

आईसीसा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिदेशित है। इसके अतिरिक्त केंद्र विभिन्न सेवाओं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, सशस्त्र सेनाएं, संसदीय सचिवालय तथा केंद्रीय स्वायत निकायों के साथ-साथ अन्य साई से वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है।

आईसीसा का अधिदेश सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में क्षमता निर्माण को बढाना है। आईसीसा सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा और नियंत्रण संघ (आईएसएसीए) इंडिया चैप्टर, प्रमुख लेखापरीक्षा फर्मों, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन), भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (डीएससीआई) और मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निदेशालय जैसे संस्थानों और एजेंसियों के साथ सहयोग करता है। साई इंडिया के अधिकारियों के लिए सूचना प्रणाली सुरक्षा पर क्षमता निर्माण के लिए एसटीक्यूसी निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

आईसीसा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जो चार सप्ताह की अवधि के होते हैं। विदेश मंत्रालय भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) योजना के तहत इन कार्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों के व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- भारत सरकार, जो इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वित्तपोषण करना तथा अन्य सरकारों के बीच में द्विपक्षीय सहयोग बढाना;
- विभिन्न साई को एक साथ आने और लेखापरीक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उनके विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान करना; और
- साई के विभिन्न प्रतिभागियों को लेखापरीक्षा में समकालीन सर्वोत्तम प्रथाओं का विवरण प्राप्त करने तथा उभरती लेखापरीक्षा प्रयोजनों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करना।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं (साई) से वरिष्ठ तथा मध्य स्तर के अधिकारियों तथा अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व, पैसिफिक तथा पूर्व यूरोपीय क्षेत्र जैसे देशों की सरकारों के अधिकारियों ने इन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया है।

आईसीसा द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत अन्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के क्षमता निर्माण में योगदान देता है। आईसीसा ने अफगानिस्तान, भूटान, चिली, इस्वातिनी, इराक, जमैका, मालदीव, नेपाल, ओमान, युगांडा और वियतनाम जैसे कई देशों से सहभागियों के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रारूप बनाया तथा प्रदान किया है। द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम साई और संबंधित देशों के बीच संबंधों को गहरा बनाने के लिए एक प्रभावी साधन हैं।

4.1.3 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केंद्र (आईसीईडी)

जयपुर में आईसीईडी की स्थापना मई 2013 में हुई थी और यह पर्यावरणीय लेखापरीक्षा पर इंटोसाई की एक मान्यता प्राप्त वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा है। इसके परिसर को देश की पहली जीआरआईएचए (ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट) **पांच सितारा दर्जा प्राप्त हरित भवन** होने का अनूठा गौरव प्राप्त है।

आईसीईडी पर्यावरण लेखापरीक्षा करने के लिए आपसी हैंड-होल्डिंग सत्र प्रदान करता है, जिसमें मानदंड-स्थिति-कारण-निष्कर्ष-अनुशंसा ट्रेल की स्थापना करते हुए लेखापरीक्षा उद्देश्यों की पहचान करने, डेटा के स्रोतों की पहचान करने में और भागीदारी के लिए मापदंड के चयन करने को यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिपोर्ट व्यापक है और बड़ी तस्वीर को दर्शाती है, आईसीईडी ने अपनी संस्थागत भागीदारी के माध्यम से लेखापरीक्षण में अंतर्अनुशासन दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञता को एक स्थान पर उपलब्ध कराया है।

आईसीईडी, जयपुर

आईसीईडी परिसर

4.1.4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/केंद्र

साई इंडिया के पास वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों, साई इंडिया के ग्रुप 'बी' एवं 'सी' संवर्गों के लिए लेखा, लेखापरीक्षा, प्रशासन, प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी में गहन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश भर में 10 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई) और दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आरटीसी) स्थित हैं जो पर्यवेक्षी संवर्ग और लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा स्टाफ कैडर का गठन करते हैं। ये संस्थान चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, प्रयागराज, रांची और शिलांग में स्थित हैं। दो आरटीसी बैंगलुरु और दिल्ली में स्थित हैं।

प्रत्येक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र को विशेषज्ञता का एक विशिष्ट क्षेत्र दिया गया है। क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र इनको दिए गए विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। ज्ञान केंद्रों के रूप में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र विशेषज्ञता के क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल (एसटीएम), वैयक्तिक अध्ययन तथा अन्य प्रशिक्षण सामग्री तैयार करते हैं। वे इन्हें आवंटित विशेषज्ञता क्षेत्रों में अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं।

आरटीआई शिलांग

आरटीआई नागपुर

आरटीआई मुंबई

आरटीआई प्रयागराज

आरटीआई जम्मू

आरटीआई जयपुर

अध्याय 5

हम अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं

5.1 वित्तीय प्रबंधन-व्यय के घटक

हमने 2021-22 में ₹ 5352.06 करोड़ खर्च किए। कुल व्यय (88.55 *प्रतिशत*) का मुख्य भाग हमारे मानव संसाधनों – 'वेतन' पर 85.45 *प्रतिशत* और 'यात्रा' पर 3.10 *प्रतिशत* खर्च किया गया। व्यय के घटकवार विवरण नीचे दिए गए है:

व्यय के घटक (₹ करोड़ में)

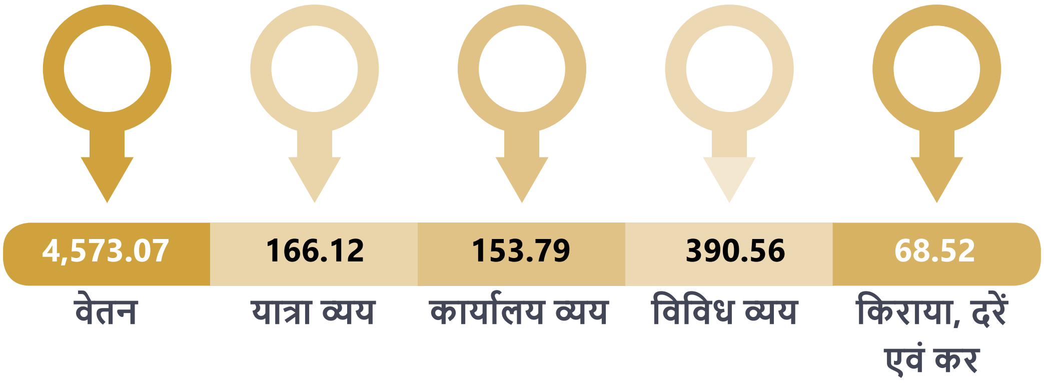

5.1.1 कार्यात्मक आधार पर व्यय प्रतिमान

कुल व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा किया जाता है, जिसके बाद, सिविल ले. एवं हक. कार्यालयों का व्यय आता है। समग्र रूप से हमने लेखापरीक्षा पर (मुख्यालय को छोड़कर) लगभग 65.03 *प्रतिशत* व्यय किया। सिविल लेखा कार्यालयों पर कुल व्यय लगभग 29.85 *प्रतिशत* था।

तालिका I.5.1

कार्यालय की श्रेणी	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	व्यय की प्रतिशतता
मुख्यालय	187.98	3.51
सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय	2650.34	49.52
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय	236.50	4.42
वित्त और संचार लेखापरीक्षा कार्यालय	154.72	2.89
रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय	273.96	5.12
रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय	127.95	2.39
सिविल लेखा कार्यालय	1597.44	29.85
संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षा (संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क, विश्व स्वास्थ्य संगठन-जिनेवा और एफएओ-रोम में बाह्य लेखापरीक्षा निदेशकों का कार्यालय)	4.18	0.08
विदेशी लेखापरीक्षा कार्यालय	32.62	0.61
एनएए, शिमला	17.32	0.32
आईसीईडी, जयपुर	10.81	0.20
आईसीसा, नोएडा	9.42	0.18
क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान	34.84	0.65
विभागीय कैंटीन	13.98	0.26
कुल	**5352.06**	**100**

5.2 मानव संसाधन प्रबंधन

हमारे ज्ञान आधारित संगठन होने के कारण जनता हमारी प्रमुख परिसम्पत्ति है। आईएसएसएआई 40 निर्धारित करता है कि साई की नीतियों और प्रक्रियाओं को यह आश्वासन प्रदान करने के लिए स्थापित करना चाहिए कि इसमें पर्याप्त संख्या में सक्षम और प्रेरित कर्मचारी हैं जो अपने कार्यों का प्रभावी ढ़ग से निर्वहन कर सकते हैं।

हमारे श्रमबल को व्यापक रूप में चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

श्रेणी	अधिकारियों/स्टाफ की संख्या (1 मार्च 2022 तक)
आईएएंडएएस	553
पर्यवेक्षी संवर्ग	17,745
लेखापरीक्षा एवं लेखा स्टाफ	20,320
बहुविधि कार्य स्टाफ	3,057
कुल	**41,675**

61,121 की संस्वीकृत क्षमता के प्रति, वर्तमान में 68.18 *प्रतिशत* कर्मचारी विभाग में कार्यरत है। साई इंडिया में 43.91 *प्रतिशत* लोग विभिन्न प्रबन्धकीय और पर्यवेक्षी स्तर पर हैं और 48.75 *प्रतिशत* लोग लेखापरीक्षा एवं लेखा स्टाफ में है। कुल क्षमता का केवल 7.34 *प्रतिशत* सहायता कार्य करते हैं।

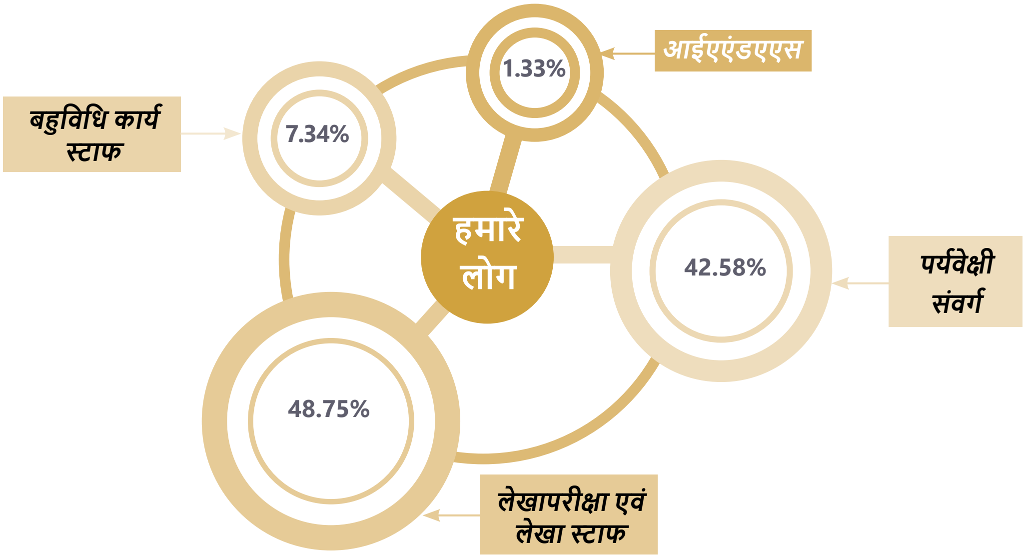

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा (आईएएंडएएस) अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। साई इंडिया के उच्चतम, वरिष्ठ और मध्य प्रबन्धन स्तर इस सेवा के अधिकारियों द्वारा संचालित होते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों की पदोन्नति भी इस सेवा द्वारा किया जाता है। वे भारत सरकार में ग्रुप 'ए' सेवा का गठन करते हैं।

पर्यवेक्षी संवर्ग - राजपत्रित पर्यवेक्षी संवर्ग में वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी (ग्रुप 'ए'-राजपत्रित), सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी (ग्रुप 'बी' -राजपत्रित) और पर्यवेक्षक (ग्रुप 'बी' -अराजपत्रित) होते हैं। वे हमारे पदानुक्रम में महत्वपूर्ण परिचालनात्मक प्रबन्धन का हिस्सा हैं। सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आते हैं अथवा अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा के रूप में जानी जाने वाली अखिल भारतीय विभागीय परीक्षा उतीर्ण करने के बाद संवर्ग में उनकी पदोन्नति की जाती है। उन्हें कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती किया जाता है।

लेखापरीक्षा एवं लेखा स्टाफ - यह संवर्ग डेटा एंट्री आपरेटर (डीईओ), लिपिकों, लेखापरीक्षकों/लेखाकारों, वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/वरिष्ठ लेखाकारों और सहायक पर्यवेक्षकों से बनता है और हमारे कुल श्रमबल का 50 *प्रतिशत* है। इनकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है या फीडर संवर्ग से पदोन्नति होती है।

बहुविधी कार्य स्टाफ - विभिन्न भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग कार्यालयों में सभी सहायता कार्य बहुवि़धी कार्य स्टाफ द्वारा किए जाते है।

5.2.1 योग्यताएं

आईएएंडएएस संवर्ग में 14 डॉक्ट्रेट, 274 स्नातकोत्तर और 260 स्नातक हैं। उनमें से 87 व्यावसायिक रूप से योग्यता[1] प्राप्त अधिकारी हैं। ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' के गैर आईएएंडएएस संवर्गों में अधिकारी और कर्मचारी भी काफी योग्य हैं। हमारे पास इन संवर्गों में 68 डॉक्ट्रेट, 4,019 व्यावसायिक रूप से योग्यता प्राप्त कार्मिक, 5,116 स्नातकोत्तर और 22,324 स्नातक हैं।

5.2.2 भर्ती

क्षेत्रीय कार्यालयों में इष्टतम स्टाफिंग पर 2021-22 के दौरान विभाग का ध्यान केंद्रित करना जारी रहा। सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों, मंडल लेखाकारों, कनिष्क हिंदी अनुवादकों, लेखापरीक्षकों, लेखाकारों, आशुलिपिकों के पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग से की गई मांग को 2021-22 के दौरान उत्प्रेरित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ग्रुप 'बी' और 'सी' संवर्ग में कमी का काफी हद तक पता लगाया गया।

[1] *इंजीनियर, डाक्टर, एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफई, सीआईए, सीआईएसए आदि।*

- हमने 2021-22 में 788 व्यक्तियों को भर्ती किया। सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (296), लेखापरीक्षक (199), मंडल लेखाकार (150), आशुलिपिक ग्रेड-II (50), डेटा एंट्री आपरेटर ग्रेड 'ए' (48) और आशुलिपिक (45) के लिए बड़ी संख्या में भर्ती की गई।
- विशिष्ट आवश्यकता आधार पर सलाहकार नियुक्त किए गए थे, ताकि कर्मचारी की कमी, यदि कोई हो, के कारण क्षेत्रीय कार्यालयों में हो रहा कार्य प्रभावित न हो।

5.2.3 लिंग संतुलन

नीचे दी गई तालिका विभिन्न संवर्ग में विभाग के लिंगानुपात को दर्शाती है।

श्रेणी	महिलाएं	पुरूष	महिलाओं की प्रतिशतता
आईएएंडएएस	159	394	28.75
पर्यवेक्षी संवर्ग एवं लेखापरीक्षा / लेखा स्टाफ	6,129	31,936	16.10
बहुविधि कार्य स्टाफ	471	2,586	15.41
कुल	**6,759**	**34,916**	**16.22**

जबकि पर्यवेक्षी संवर्ग और बहुविधि कार्य स्टाफ के मामले में महिलाओं का अनुपात क्रमशः 16.10 और 15.41 *प्रतिशत* था, यह 28.75 *प्रतिशत* पर आईएएंडएएस में अधिक था।

5.2.4 कर्मचारी संघ

हमारे पास लेखापरीक्षा तथा लेखा कर्मचारी और पर्यवेक्षी सवंर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले 225 कर्मचारी संघ और पांच अखिल भारतीय संघ हैं। संबंधित क्षेत्र स्तरीय सेवा संघ के साथ प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार द्वारा आवधिक रूप से राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी।

सीएजी कार्यालय परिसर में डॉ. भीम राव अम्बेडकर की प्रतिमा

खंड 2

हमारे अधिदेश को पूरा करना

अध्याय 1

हमारे लेखापरीक्षा अधिदेश को पूरा करना

अध्याय 2

हमारे लेखा अधिदेश को पूरा करना

अध्याय 1

हमारे लेखापरीक्षा अधिदेश को पूरा करना

1.1 हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान स्तर पर और पृथक लेखापरीक्षा कार्यालय स्तर पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया का अनुसरण करती है, जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है:

नीतिगत योजना एक लंबी समय सीमा के लिए सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर साई इंडिया में योजना बनाने के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। वर्ष 2023-30 के लिए साई इंडिया के लिए नीतिगत योजना तैयार करने के लिए फरवरी 2022 में एक समिति का गठन किया गया है।

प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विकसित वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं में वार्षिक लेखापरीक्षा चक्र के दौरान निष्पादन हेतु अलग-अलग योजनाबद्ध लेखापरीक्षाओं का विवरण होता है। वार्षिक योजना कार्य में मामले या यूनिट और मानव संसाधन के महत्व सहित लेखापरीक्षा अधिदेश; जोखिम निर्धारण; और अन्य प्रासंगिक मापदण्डों द्वारा यथा अवधारित लेखापरीक्षा की आवधिकता को भी ध्यान में रखा जाता है। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए विषयों का चयन विभिन्न विचारों जैसे जोखिम निर्धारण, सार तथा महत्व, विषय की दृश्यता, पिछली लेखापरीक्षाएं, अनुमानित प्रभाव, योजना विकास का कवरेज और चरण, आदि द्वारा निर्देशित किया जाता है।

हम तैनात किए जाने वाले लेखापरीक्षा दलों, आवंटित समय और लेखापरीक्षा की वास्तविक तारीखों का वर्णन करते हुए विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यक्रम भी बनाते हैं। लेखापरीक्षा दल अपने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समर्थन में विश्वसनीय, सक्षम और पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के संग्रहण के लिए तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित लेखापरीक्षा प्रतिमानों के आधार पर लेखापरीक्षा करते हैं। उनका मार्गदर्शन साई इण्डिया के लेखापरीक्षण मानकों तथा समय-समय पर जारी किये गये अन्य अनुदेशों द्वारा किया जाता है।

लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षित सत्त्व को एक निरीक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है। उच्च मूल्य वाले लेखापरीक्षा निष्कर्ष या वह जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, जिनको संघ तथा राज्य स्तर पर संसद/विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए आगे संसाधित किया जाता हैं।

लेखापरीक्षित सत्त्वों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बतायी गई त्रुटियों और की गई सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है और उनसे यह अपेक्षित है कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गयी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर की गई कार्यवाही टिप्पणियाँ भेजें। संघ और राज्य स्तरों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर संबंधित लोक लेखा समितियों (पीएसी) और लोक उपक्रम समितियों (सीओपीयू) द्वारा चर्चा की जाती है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों तथा सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की भी जाँच की जाती है और उन्हें बाद की लेखापरीक्षाओं के दौरान सूचित किया जाता है।

लेखापरीक्षित सत्त्वों द्वारा गठित लेखापरीक्षा समितियां लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिये एक तंत्र है। लेखापरीक्षित सत्त्व और साई इंडिया के अधिकारियों से बनी लेखापरीक्षा समितियां,

अनुवर्ती प्रक्रिया की अनुवीक्षण करती हैं, ताकि अनुबोध अंतराल को कम किया जा सके और बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा करने एवं उनका निपटान करने के अतिरिक्त संप्रेषण के स्तर को बढ़ाया जा सके।

1.2 वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2021-22 की मुख्य बातें

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2021-22 ने अनिवार्य वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी थी। अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं की हमारी कवरेज लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की गुणवत्ता और समयबद्धता पर बल देने के साथ, जोखिम निर्धारण और हमारे शेष संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा मार्गदर्शित थी।

पणधारकों और विशेषज्ञों के साथ कई बार अन्त:क्रिया के पश्चात, वर्ष के दौरान 'स्वदेश दर्शन योजना' और पूर्व-पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना/एनएसएपी' अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षाएं शुरू की गईं। इसके अतिरिक्त, हमने राज्यों में जनस्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर क्रॉस कटिंग लेखापरीक्षा की। हमने क्रॉस कटिंग लेखापरीक्षाओं जैसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता की लेखापरीक्षा, डिस्कॉम का निष्पादन - पूर्व और पश्च उदय और कुछ राज्यों में शहरी क्षेत्रों/स्मार्ट सिटी में अपशिष्ट प्रबंधन, को जारी रखा।

1.3 लेखापरीक्षा में मुख्य परिणाम एवं उपलब्धियाँ

साई इंडिया के मुख्य कार्यात्मक क्षेत्रों में केंद्र तथा राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू), और उनके अधीन स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा करना शामिल है। साई इंडिया इन कार्यात्मक क्षेत्रों में वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा का आयोजन करता है।

इन लेखापरीक्षाओं के मुख्य परिणाम निरीक्षण रिपोर्टें तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र हैं, जो लेखापरीक्षित सत्त्व के प्रबंधन को जारी किए जाते हैं। इन लेखापरीक्षा उत्पादों में रिपोर्ट की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जाता है, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के प्रावधानों के अंतर्गत संसद/राज्य विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इन लेखापरीक्षा उत्पादों की गुणवत्ता तथा समयबद्धता सुनिश्चित करना, साई इंडिया का मुख्य परिणाम क्षेत्र है। आगामी अनुच्छेदों में हमने 2021-22 के दौरान हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा तथा हमारे लेखापरीक्षा उत्पादों के मुख्य बिंदुओं की सूचना दी है।

1.3.1 वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा

संघ तथा राज्य सरकारों स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वार्षिक लेखाओं की वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, साई इंडिया आर्थिक सहायता समझौते के भाग के रूप में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर किए गए व्यय को भी प्रमाणित करता है।

2021-22 के दौरान, हमने संघ और राज्य सरकारों, पीएसयू, स्वायत्त निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं और अन्य सत्त्वों के 7,912 लेखाओं की जांच की और प्रत्येक लेखे के लिए एक लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया। लेखापरीक्षा के 4,911 प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा में जारी किए गए।

लेखा संबंधित है	जांच किए गए लेखा	समय पर लेखापरीक्षा प्रमाणीकरण
संघ/राज्य सरकार	298	267
पीएसयू (केंद्र/राज्य)	1,664	1,032
स्वायत्त निकाय (केंद्र/राज्य)	1,386	386
बाह्रय सहायता प्राप्त परियोजनाएं (केंद्र/राज्य)	201	142
अन्य (केंद्र/राज्य)[1]	4,363	3,084
कुल	**7,912**	**4,911**

लेखाओं के प्रमाणीकरण में विलम्ब अपूर्ण लेखाओं की प्राप्ति; लेखाओं के संशोधन; स्वायत्त निकायों, कम्पनियों और सांविधिक निकायों से लेखाओं की विलम्ब से प्राप्ति; क्रियाविधिक विलम्ब; लेखाओं के सत्यापन हेतु अभिलेखों की प्राप्ति न होने तथा अभ्युक्तियों का निपटान न होने के कारण विलम्ब; लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर उत्तर की प्राप्ति में विलम्ब; महत्वपूर्ण मामलों पर प्रबंधन के साथ चर्चा में लिया गया लम्बा समय और लेखाओं की बंचिंग आदि के कारण था। कोविड-19 का फैलाव भी विलम्ब का मुख्य कारण था।

1.3.2 अनुपालन लेखापरीक्षा

1.3.2.1 लेखापरीक्षा कवरेज

2021-22 के दौरान, कुल 32,884 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। इसकी तुलना में, वर्ष के दौरान 28,964 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी। नीचे दिया गया ग्राफ दर्शाता है कि संघ स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 89.23 *प्रतिशत* एवं राज्य स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 87.40 *प्रतिशत* कार्य पूरा किया जा चुका था।

[1] अन्य में ग्राम पंचायत और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं सहित वाणिज्यिक प्रकृति के विभागीय उपक्रमों के प्रोफॉर्मा खाते शामिल हैं

लेखापरीक्षा कवरेज

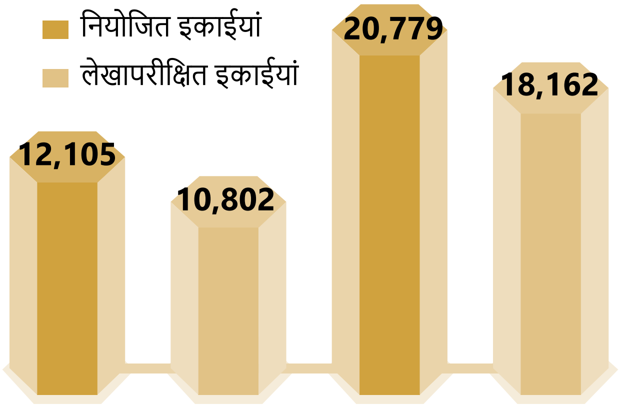

	संघ	राज्य
नियोजित इकाईयां	12,105	20,779
लेखापरीक्षित इकाईयां	10,802	18,162

1.3.2.2 निरीक्षण रिपोर्ट

निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) लेखापरीक्षित सत्त्व की प्रत्येक लेखापरीक्षा पूरी होने पर जारी की जाती है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित 28,964 इकाइयों में से 15,417 इकाइयों (53.23 *प्रतिशत*) के मामलों में 2021-22 में निरीक्षण रिपोर्टें जारी की गई। इसके अतिरिक्त, 2021-22 से पूर्वगामी लेखापरीक्षित इकाइयों के लिए भी 3,241 निरीक्षण रिपोर्टें जारी की गई थी।

संघ स्तर पर, 99.66 *प्रतिशत* निरीक्षण रिपोर्ट समय पर अर्थात 30 दिनों के अन्दर जारी की गई जबकि राज्य स्तर पर 73.32 *प्रतिशत* का निष्पादन ही समय पर हुआ था।

	वर्ष के दौरान वास्तव में लेखापरीक्षित इकाईयों के लिए जारी की गई निरीक्षण रिपोर्ट	2021-22 से पहले लेखापरीक्षित इकाइयों को जारी की गई निरीक्षण रिपोर्ट	वर्ष के दौरान जारी की गईं कुल निरीक्षण रिपोर्ट	30 दिनों के अंदर जारी की गई निरीक्षण रिपोर्ट	30 दिनों में जारी की गई निरीक्षण रिपोर्टों की प्रतिशतता
संघ	5,680	879	6,559	6,537	99.66
राज्य	9,737	2,362	12,099	8,872	73.32
कुल	**15,417**	**3,241**	**18,658**	**15,409**	**82.59**

अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किया गया है। 2021-22 के दौरान अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में कुल 2,547 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (संघ के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 849 और राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 1,698) शामिल किए गए थे। अनुपालन प्रतिवेदनों के लिए महत्वपूर्ण विषय ओएनजीसी में पश्चिमी अपतटीय में जल का अंतः क्षेपण और भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा नजूल भूमि का प्रशासन थे।

संघ स्तर पर, लेखापरीक्षित सत्त्वों द्वारा 849 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से 362 को स्वीकार किया गया था और 27 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था। राज्य स्तर पर लेखापरीक्षित सत्त्वों द्वारा 1,698 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से 434 को स्वीकार किया गया था और 112 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था।

1.3.3 निष्पादन लेखापरीक्षा

वर्ष 2020-21 में अपनाए गए दृष्टिकोण को जारी रखते हुए उन लेखापरीक्षा के क्षेत्रों की केंद्रीय रूप से पहचान की गई और चयन किया गया जो परिणाम केंद्रित थे। जैसा कि पैरा 1.2 में उल्लेख किया गया है, लेखापरीक्षा हेतु लिए गए महत्वपूर्ण विषयों में 'स्वदेश दर्शन योजना', 'पूर्व-पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना/एनएसएपी', राज्यों में लोक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता की लेखापरीक्षा, उदय से पहले और बाद में डिस्कॉम का निष्पादन, शहरी क्षेत्रों/स्मार्ट शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, भूजल प्रबंधन और विनियमन, नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की स्थापना, अग्रिम प्राधिकृति योजना, डीएमआरसी द्वारा चरण–III, दिल्ली मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्यान्वयन, आयुध निर्माणियों का माल एवं कल-पुर्जों का समूह, भारतीय सेना में अधिकारियों का चयन और प्रशिक्षण, आयुध सेवाओं में माल-सूची प्रबंधन, डीआरडीओ में निर्माण और संपदा प्रबंधन, यूआईडीएआई का कार्यकरण, जिला अस्पतालों का कार्यकरण, कर्नाटक राज्य सड़क सुरक्षा प्राधिकरण का कार्यकरण, डायल 100 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, भूमि अधिग्रहण और संपत्तियों का आबंटन, राज्य विद्युत संस्थाओं द्वारा परिचालित की जा रही केंद्रीयकृत सूचना प्रौद्योगिकी बिलिंग प्रणाली, प्रधानमंत्री विकास पैकेज, केरल में बाढ़ से बचने के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया, शहरी क्षेत्र में तूफान के पानी के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा।

1.3.4 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संविधान का अनुच्छेद 151 यह परिकल्पित करता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संसद या राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदनों को तैयार करेगा और राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत करेगा।

2018-21 के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संसद/राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत करने हेतु सालाना औसतन 105 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अनुमोदित किया। 2021-22 के दौरान, 165 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अनुमोदित किए गए थे, जिनमें से 34 संसद में प्रस्तुत किए जाने थे और 131 *प्रतिशत* राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत किए जाने थे। 2021-22 के दौरान 165 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से, 21 संघ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और 119 राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान, 2021-22 में अनुमोदित किए गए प्रतिवेदन नामत: एक संघ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और 45 राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भी संसद/राज्य विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को संसद/राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत किए जाने के बाद, *https://cag.gov.in/audit-reports* पर सार्वजनिक डोमेन में रखा जाता है।

1.3.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

1.3.5.1 लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों की स्वीकृति

वर्ष 2021-22 के दौरान अनुमोदित 165 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों की स्थिति इस प्रकार थी:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष के दौरान अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की संख्या	की गई सिफारिशें	स्वीकार की गई सिफारिशें
केंद्र सरकार	34	422	83
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें	131	1,722	475
कुल	**165**	**2,144**	**558**

इस प्रकार, 2021-22 के दौरान अनुमोदित किए गए 165 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 2,144 सिफारिशें की गईं, जिनमें से 558 सिफारिशों को लेखापरीक्षित सत्त्वों द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

1.3.5.2 लेखापरीक्षा में बताए जाने पर वसूली

हमारी कुछ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां कर अवनिर्धारण या राजकोष की विशिष्ट हानि से संबंधित हैं, जिससे संबंधित पक्षों से वसूली की आवश्यकता होती है। वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा में बताए जाने पर की गई वसूली नीचे दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

	स्वीकृत की गई वसूली	प्रभावित वसूली
केंद्र सरकार	16,777.06	1,113.29
राज्य सरकार	8,793.68	1,861.73
कुल	**25,570.74**	**2,975.02**

1.3.5.3 पीएसयू के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा का प्रभाव

(i) वित्तीय प्रभाव

सरकारी कंपनियों तथा निगमों के वार्षिक लेखाओं के मामले में हम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। 2021-22 के दौरान 1,351 कंपनियों और निगमों (संघ और राज्य दोनों) के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई थी और लेखाओं पर इन लेखापरीक्षाओं का प्रभाव था: (क) लेखाओं की टिप्पणियों में संशोधन: ₹49,089.53 करोड़ (ख) वर्गीकरण अशुद्धियाँ: ₹32,015.80 करोड़ (ग) लाभ तथा हानि में परिवर्तन: ₹13,694.18 करोड़ और (घ) परिसम्पत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन: ₹1,07,340.76 करोड़।

(ii) वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में संशोधन

वर्ष 2020-21 के लिए प्रमाणन लेखापरीक्षा के दौरान जारी लेखापरीक्षा जांच के आधार पर, **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), बीईएल थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल), भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल), मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) और उत्कर्ष एल्यूमीनियम धातु निगम लिमिटेड (यूएडीएनएल)** के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को संशोधित किया गया था।

(iii) लेखाकरण नीतियों/ लेखाओं के लिए टिप्पणियों में परिवर्तन (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान जारी किए गए प्रबंधन पत्रों और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा:

- अक्टूबर 2020 में जारी किए गए प्रबंधन पत्र के आधार पर, वर्ष 2020-21 के लिए **हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों को जून 2021 में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था (i) नकदी प्रवाह विवरण में उपार्जित आय को अलग करने, और (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार उधार लेने के प्रकटीकरण की आवश्यकता का अनुपालन करने के बाद।
- जनवरी 2022 में जारी प्रबंधन पत्र के आधार पर **हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड** ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुरूप विमूल्यन के संबंध में परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल की नीति को अपनाया।

- **बीईएल थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड** ने (i) अपनाई गई मानित लागत और विमूल्यन की विधि और (ii) लेखाओं के लिए टिप्पणी में मालसूची से संबंधित जानकारी का प्रकटन किया।
- **बीईएमएल** ने अनुसंधान एवं विकास उत्पादों के लिए अप्रचलन प्रावधान के संबंध में लेखाकरण नीति को अपनाया/ परिवर्तित किया।
- **मिधानी** ने परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के लिए लेखा इकाइयों के लिए कार्यचालन दिशा-निर्देश तैयार किए।
- **हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)** ने पांच साल से अधिक समय के लिए व्यापार प्राप्य और दावा प्राप्य बकाया के प्रावधान पर लेखाकरण नीति तैयार की।
- **बीईएल** द्वारा सभी इकाइयों को (i) निष्पादन वारंटी के लिए प्रावधान तैयार करने के लिए कार्यप्रणाली में एकरूपता बनाए रखने और (ii) लेखाकरण विनिमय दर विविधता दावों के लिए प्रावधान तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
- **बीईएल ऑप्ट्रोनिक डिवाइसेज लिमिटेड** ने (i) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधानों में परिवर्तन और (ii) वेतन और भत्तों के तहत समायोजन के संबंध में खातों के लिए टिप्पणी में प्रकटीकरण किया।
- सितंबर 2020 में जारी प्रबंधन पत्र के आधार पर, वर्ष 2019-20 के लिए **ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड** (ईसीएल) के वित्तीय विवरणों पर, **कोल इंडिया लिमिटेड** (सीआईएल) ने सभी सहायक कंपनियों द्वारा पालन की जाने वाली कोयला गुणवत्ता विचरण की गणना की एक समान लेखाकरण नीति / कार्यप्रणाली तैयार (मार्च 2021) की।
- **एचएमटी लिमिटेड** ने उन सभी अत्यंत नकदी वित्तीय दस्तावेजों पर विचार करने के लिए लेखाकरण नीति को बदल दिया, जो तत्काल रूप से नकदी की ज्ञात राशि में परिवर्तनीय थे जो मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन हैं और खरीद की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता रखने के कारण, खरीद की तारीख से 12 महीने या उससे कम के स्थान पर नकद समकक्ष है। कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष से अचल मालसूची पर लेखाकरण नीति को भी अपनाया।
- **भाग्यनगर गैस लिमिटेड** ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अचल भंडार और पुर्जों पर विशिष्ट नीति बनाई।
- **एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड** ने धारित कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुरूप 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अचल मालसूची पर लेखाकरण नीति को अपनाया।

(iv) लेखाकरण नीतियों/लेखाओं के लिए टिप्पणियों में परिवर्तन (राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

(क) मध्य प्रदेश

- **एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,** इंदौर की अनुपूरक लेखापरीक्षा में की गई टिप्पणियों के आधार पर मध्यप्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भुगतान किए गए ब्याज की राशि को वित्तीय वर्ष 2021-22 से वर्तमान प्राप्तियों के अंतर्गत सही तरीके से प्रस्तुत किया जाना आरंभ किया गया।
- **एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड** की अनुपूरक लेखापरीक्षा में टिप्पणियों के आधार पर, एमपीईआरसी द्वारा तय की गई प्रति यूनिट एक्स-पावर खरीद की लागत के प्रभाव को वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेखाओं के लिए टिप्पणियों के अंतर्गत उद्घटित करना आरंभ किया गया।

(ख) त्रिपुरा

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड** के लेखाओं पर अनुपूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर, प्रबंधन (i) इंड एएस-107 की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य मापन के वर्गीकरण और प्रकटीकरण की आवश्यकता का पालन करने, और (ii) इंड एएस-115 की आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग राजस्व का प्रकटीकरण और प्राप्तियों की प्रारंभिक शेष राशि, संविदा परिसंपत्तियां और संविदा देयताओं का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए सहमत हुआ।

1.3.5.4 लेखापरीक्षा में बताए जाने पर नीतियों, कानूनों और नियमों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन

हमारी टिप्पणियों के आधार पर संघ/ राज्य सरकारों के मंत्रालयों/ विभागों द्वारा बनाई गई नीतियों, कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं में कुछ परिवर्तन इस प्रकार हैं:

1.3.5.4.1 संघ लेखापरीक्षा

(i) प्रत्यक्ष कर - 2020 का प्रतिवेदन सं. 14 - "आयकर विभाग में तलाशी और अभिग्रहण निर्धारण" का निष्पादन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर वित्त विधेयक, 2022 ने आयकर अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किए:

क) *एक नई धारा 79ए का अंतर्वेशन* जो यह प्रावधान करता है कि आयकर अधिनियम के धारा 132 के तहत तलाशी या धारा 132ए के तहत मांग या उप-धारा (2 ए) के अलावा धारा 133ए के तहत सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप निर्धारिती को अघोषित आय के प्रति हानि का कोई भी समंजन, चाहे प्रस्तुत किया गया हो या अन्यथा, या अवशोषित विमूल्यन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख) *स्पष्टीकरण 1 (xii) में धारा 153 (एफ) का अंतर्वेशन*, जो यह प्रावधान करता है कि अभिग्रहण की गई सामग्री के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट को तलाशी और अभिग्रहण की समाप्ति के बाद एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर मूल्यांकन स्कंध को सौंप दिया जाए।

ग) *धारा 149 में उप-धारा (1ए) का सम्मिलन* जो यह प्रावधान करता है कि जहां एक परिसंपत्ति या व्यय के रूप में प्रस्तुत की गई कर के लिए प्रभार्य आय निर्धारण से बच गई और ऐसी घटना या अवसर के संबंध में ऐसी परिसंपत्ति या व्यय में निवेश निर्धारण वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले एक से अधिक वर्षों में किया गया है या हुआ है, ऐसे प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए धारा 148 के तहत निर्धारण, पुनर्निर्धारण अथवा पुनर्गणना, जैसा भी मामला हो, के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

(ii) रेलवे की लेखापरीक्षा

2019 की रिपोर्ट संख्या 19 (अनुपालन लेखापरीक्षा)

(क) **पैराग्राफ संख्या 7.1** – लेखापरीक्षा में यह टिप्पणी की गई कि दक्षिण पूर्व रेलवे ने पड़ोसी जोनल रेलवे द्वारा खरीद की दरों पर विचार किए बिना उच्च दरों पर भण्डार की मदों की खरीद की थी जो एकीकृत सामग्री प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमएमआईएस) में आसानी से उपलब्ध थे।

इसे ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने अनुदेश जारी किए कि वास्तविक काल के आधार पर अभिग्रहण की गई सूचना/आंकड़ों का उपयोग इन प्रणालियों में उपलब्ध विभिन्न कार्यात्मकताओं का उपयोग करके सक्रिय रूप से किया जाना चाहिए, ताकि बोलियों पर विचार करने के साथ खरीद की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सके।

(ख) **पैराग्राफ नंबर 4.1** – यह पाया गया कि सीओएफएमओडब्ल्यू के पास मशीनों की संस्थापना और प्रवर्तन की प्रगति का पता लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं था। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के आधार पर, मशीनों की संस्थापना और प्रवर्तन की निगरानी के लिए नीतियों में बदलाव किए गए थे।

(ग) पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के लिमखेड़ा में ट्रैक्शन सब स्टेशन (टीएसएस) के कार्य को पूरा करने में विलंब के कारण परिहार्य व्यय के संबंध में **पैराग्राफ संख्या 6.5** के उत्तर में, टीएसएस के निर्माण और प्रवर्तन के लिए नीतियों में बदलाव किए गए थे।

(घ) भारतीय रेल में स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों (एटीवीएम) के कार्यकरण के संबंध में **पैराग्राफ 2.2** के उत्तर में, एटीवीएम के कार्यकरण की निगरानी के लिए नीतियों में परिवर्तन किए गए थे।

(iii) वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

क) **2020 की रिपोर्ट संख्या 18 (अनुपालन लेखापरीक्षा) के पैराग्राफ संख्या 13.5** में, यह बताया गया था कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) ने सीमित बिजली उत्पादन पर बिजली शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने के संबंध में ओडिशा सरकार के औद्योगिक नीतिगत प्रस्तावों का पालन नहीं किया, जिससे परिहार्य भुगतान हुआ, जिसके आधार पर सेल ने नई विद्युत बिजली उत्पादन प्रणाली से संबंधित वैधानिक मंजूरी, अनुमतियां, छूट आदि प्राप्त करने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाई।

ख) **2021 की रिपोर्ट संख्या II- "डीएमआरसी द्वारा चरण -III दिल्ली मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के कार्यान्वयन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा** में, लेखापरीक्षा ने अन्य बातों के साथ-साथ यह ध्यान दिलाया कि (i) डीएमआरसी के पास गलियारे के प्रकार अर्थात ग्रेड या भूमिगत पर उत्थित के चयन के लिए कोई अनुमोदित नीति नहीं थी; (ii) वन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुमति पत्रों के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण स्थानों और लकड़ी के निपटान की कोई निगरानी नहीं की गई थी; और (iii) डीएमआरसी ने 2011 से लेकर अब तक अपने स्टेशनों, डिपो और निर्माण स्थलों पर जल की कोई लेखापरीक्षा नहीं की थी, जिसके आधार पर डीएमआरसी द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक कार्रवाई की गई:

- डीपीआर तैयार करने के लिए डीएमआरसी ने मेट्रो कॉरिडोर के प्रकार के चयन के लिए एक नीति तैयार की
- पेड़ काटने पर प्राप्त वास्तविक वृक्ष कटाई, प्रतिरोपण और लकड़ी के निपटान की निगरानी की एक प्रणाली विकसित की गई जो डीएमआरसी द्वारा वन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त प्रत्येक अनुमति के प्रति की जाएगी।
- चरण-4 परियोजना में जल की लेखापरीक्षा को अविभाज्य भाग माना गया।

1.3.5.4.2 राज्य लेखापरीक्षा

(i) मध्य प्रदेश

क) **(दिसंबर 2021 में विधान मंडल में प्रस्तुत किए गए वर्ष 2018-19 के लिए पीएसयू पर 2021 के प्रतिवेदन संख्या 4 का पैरा सं. 4.4.6.1)** अनुबंध में प्राइस फॉल बैक क्लॉस और 50 फीसदी मात्रा में कटौती के क्लॉस को शामिल न किए जाने के कारण एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड घटी हुई कीमत का लाभ नहीं उठा पाई और उसे अतिरिक्त व्यय उठाना पड़ा। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर, कंपनी ने निविदा बोली दस्तावेजों की संतुलित मात्रा की आपूर्ति के लिए प्राइस फॉल बैक के लिए आवश्यक प्रावधान किया।

(ii) तमिलनाडु

"74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर वर्ष 2020-21 का प्रतिवेदन संख्या 8

राज्य सरकार ने प्रतिवेदन में प्रस्तुत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर निम्नलिखित कार्रवाई की:

- तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनाव फरवरी 2022 में आयोजित किए गए थे।
- अप्रैल 2022 में तमिलनाडु के सभी शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर संशोधन को प्रभावी किया गया था।

हथकरघा और वस्त्र आयुक्त, चेन्नई के कार्यालय के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट संख्या 27-07/2021-22 का पैरा 3/IIए)

यह बताने पर कि मैसर्स को-ऑप्टेक्स द्वारा हथकरघा और वस्त्र आयुक्त के संबंध में उठाधरी शुल्क के लिए जीएसटी का दावा अस्वीकार्य था, आयुक्त कार्यालय ने जीएसटी कर 2017 की धारा 98 के तहत अग्रिम निर्णयों के लिए प्राधिकरण को संबोधित किया। यह निर्णय हथकरघा और वस्त्र विभाग द्वारा लेखापरीक्षा के विचार को बरकरार रखने के पक्ष में आया। तदनुसार, जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 98 के तहत अग्रिम निर्णय प्राधिकरण की कार्यवाही के तहत दिसंबर 2021 में सरकारी आदेश जारी किया गया।

निरीक्षण रिपोर्ट सं. सी-20-020/2020-21 (जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), अरियालुर जिला का कार्यालय)

लेखापरीक्षा की अनुशंसा के आधार पर तमिलनाडु सरकार ने नवंबर 2021 में एक जी.ओ. जारी किया, जिसमें मैट्रिक विद्यालयों के निदेशक को निर्देश दिया गया कि वे उन निजी स्कूलों को वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक स्कूल फीस के 75 *प्रतिशत* तक फीस की प्रतिपूर्ति

को सीमित करें, जिन्होंने वंचित समूहों और कमजोर वर्गों से संबंधित बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (सी) के तहत प्रवेश दिया था।

(iii) राजस्थान

2020 में समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) लेखापरीक्षा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चौखल बारा, पीएस झाड़ोल, जिला परिषद उदयपुर के पास सामुदायिक भवन के अधूरे निर्माण के लिए ₹10 लाख के जाली भुगतान की ओर ध्यान दिलाया गया जिसके लिए अन्य सामुदायिक भवन की तस्वीर का उपयोग करके कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था और व्यय को जिला परिषद द्वारा समायोजित किया गया था। राजस्थान सरकार ने सूचित किया (सितंबर 2021) कि बीडीओ, झाड़ोल को आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध वसूली, प्राथमिकी या अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कार्रवाई आरंभ करने के निर्देश जारी किए गए थे।

संविदाकारों को जाली भुगतान किए जाने पर 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) का पैरा 2.8 लेखापरीक्षा में पाया गया कि विधिवत सत्यापित बिलों की उपलब्धता के बिना पांच फर्मों को ₹ 1.06 करोड़ का जाली भुगतान किया गया। इस प्रकार का भुगतान केवल तभी संभव था जब डिजिटल हस्ताक्षरकर्ता (एफटीओ के निर्माता और परीक्षक) ऐसी फार्मों के सांठ-गाँठ करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपना अधिकार साझा करते। राजस्थान सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों **(जनवरी 2021)** को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए कि भुगतान के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारी अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को किसी भी संविदात्मक व्यक्ति के साथ साझा न करें और किसी भी स्थिति में, एक संविदात्मक व्यक्ति भुगतान करने के लिए अधिकृत नहीं है।

(iv) उत्तर प्रदेश

2021 का प्रतिवेदन सं. 6- 'नोएडा में भूमि अधिग्रहण और संपत्तियों के आवंटन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में नीतियों/नियमों से संबंधित 27 सिफारिशों में से 23 सिफारिशों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया।

2021 का प्रतिवेदन सं. 3- 'राज्य विद्युत उपयोगिताओं द्वारा परिचालित की जा रही केंद्रीकृत सूचना प्रौद्योगिकी बिलिंग प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा- नीतियों/नियमों से संबंधित आठ सिफारिशों में से सात सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था।

1.3.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई

आईएसएसएआई 10 में निर्धारित किया गया है कि साई के पास अनुवर्ती कार्रवाई के लिए स्वतंत्र प्रक्रियाएं होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखापरीक्षित सत्त्वों ने उनकी अभ्युक्तियों और सिफारिशों का ठीक से समाधान कर लिया है और सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। लेखा और लेखापरीक्षा विनियमावली 2020 में निर्धारित किया गया है कि सरकार के संबंधित विभाग का सचिव उसके विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा अनुच्छेद (अनुच्छेदों) पर स्व-व्याख्यात्मक ऐक्सन टेकन नोट (एटीएन) तैयार कराएगा, जिसे लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम पर समिति में प्रस्तुतिकरण के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जाता है।

एटीएन में बताया जाता है कि क्या -

- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के तथ्य और आंकड़ें स्वीकार्य हैं;
- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गईं परिस्थितियां जिनमें अनियमितताएं घटित हुईं;
- जिम्मेदारी तय करने और इनके समापन के लिए संभावित समयसीमा हेतु कार्रवाई की गई है;
- वसूली की मौजूदा स्थिति;
- लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है या प्रस्तावित की गई है; और
- भविष्य में चूक की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की गई है या प्रस्तावित की गई है।

2021-22 के दौरान, संघ के मंत्रालयों/विभागों (1,560 एटीएन) और राज्य सरकारों (1,474 एटीएन) से 3,034 एटीएन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,649 एटीएन (संघ सरकार से 1,468 एटीएन और राज्य सरकार से 1,181 एटीएन) की साई इंडिया के कार्यालयों द्वारा जांच की गई थी। वर्ष के दौरान 992 एटीएन (संघ सरकार से 472 एटीएन और राज्य सरकार से 520 एटीएन) का निपटान किया गया।

16,032 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों (1,070 संघ सरकार से संबंधित और 14,962 राज्य सरकारों से संबंधित) पर एटीएन, संघ और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए लंबित थे। इसमें से सरकारों द्वारा 9,323 अनुच्छेदों पर एटीएन (संघ सरकार=505, राज्य सरकार=8,818) एक बार भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे। नतीजतन, लेखापरीक्षा भविष्य में इसी तरह की चूक की पुनरावृत्ति से बचने के लिए की गई या की जाने वाली प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई को सत्यापित नहीं कर सकी।

अध्याय 2

हमारे लेखा अधिदेश को पूरा करना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 10, 11 और 12 के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में संघ तथा राज्यों के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य तथा शक्तियां निर्धारित की गई हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक राज्य सरकारों (एनसीटी दिल्ली एवं गोवा को छोड़कर) के लेखाओं के संकलन और इन्हें तैयार करने 20 राज्यों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) लेखाओं का अनुरक्षण 19 राज्यों में राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन भुगतानों को प्राधिकृत करने और नौ राज्यों में राजपत्रित हकदारी (जीई) कार्यों के लिए उत्तरदायी है। विवरण इस अध्याय के अंत में **तालिका-II.2.1** में प्रस्तुत किए गए है।

2.1 लेखा कार्य से संबंधित निष्पादन

2.1.1 राज्य प्रधान महालेखाकार (प्र.म.ले)/महालेखाकार (म.ले)/लेखा एवं हकदारी संबंधित राज्यों के वार्षिक वित्त और विनियोग लेखाओं को तैयार करते हैं, जिन पर, लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणीकरण के बाद, निर्धारित समय सीमा के अनुसार राज्य विधानमंडलों के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाते है।

2.1.2 वार्षिक लेखाओं के अतिरिक्त, राज्य सरकारों को नियमित रूप से मासिक सिविल लेखाओं तथा व्यय के आंकड़ों से सम्बन्धित विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाती हैं। राज्य सरकारों को अग्रेषित करने हेतु प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (ले. एवं हक.) द्वारा वार्षिक लेखों को एक नज़र में तैयार किया जाता है, जो वित्त और विनियोग लेखाओं पर वृहत अवलोकन प्रदान करता है और पिछले पांच वर्षों की अवधि के लिए राजकोषीय संकेतक भी है।

2.1.3 लेखाओं की समयबद्धता

i. वित्त और विनियोग लेखे

2020-21 के लिए 27 राज्यों के वित्त और विनियोग लेखाओं को मार्च 2022 के अंत तक प्रमाणित किया गया था जिसमें से 2020-21 के लिए 17 राज्यों के लेखाओं को 2022 के बजट सत्र के अंत में राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत किया गया था। 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश के लेखे को अंतिम रूप दिया जा रहा था।

ii. मासिक सिविल लेखे

2020-21 के दौरान ले. एवं हक. कार्यालयों द्वारा 364[1] मासिक सिविल लेखाओं में से 256 समय पर प्रदान किए गए थे। शेष लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलंब हुआ था जो मुख्य रूप से राज्य सरकारों के कोषागारों/ प्रभागों/अन्य लेखे प्रदान करने वाली इकाईयों से विलम्ब से प्राप्त हुए और कुछ मामलों में 2021-22 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के कारण हुए थे।

2.1.4 लेखाओं की पूर्णता

2021-22 के दौरान राज्य सरकारों को प्रदान किए गए मासिक सिविल लेखे सभी मामलों में पूर्ण थे। राज्यों के वार्षिक वित्त लेखे 2020-21 में किसी भी लेखे को छोड़ा नहीं गया था।

2.1.5 संयुक्त वित्त और राजस्व लेखे

संघ तथा राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखे (सीएफआरए) एक सूचनाप्रद संकलन है, जो वर्ष के लिए संघ, संघ शासित प्रदेशों तथा सभी राज्यों के लेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ उनके शेष तथा बकाया देयताओं और उनकी वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित अन्य जानकारियों का समाकलन करता है। सीएफआरए वार्षिक रूप से प्रकाशित होते हैं और विभिन्न हितधारकों के लिए उपयोगी हैं क्योंकि इसमें संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति का समेकन एक ही स्थान पर होता है। यद्यपि, सीएफआरए का वृहत फ्रेमवर्क पहले जैसा ही रखा गया है, फिर भी 2016-17 से अपनाया गया संशोधित संस्करण अधिक विश्लेषणात्मक है।

तीन खंडों वाले सीएफआरए विवरणों को महालेखाकार (ले. एवं हक.) पंजाब द्वारा संकलित किया जाता है और महालेखाकार (ले. एवं हक.) हरियाणा द्वारा लेखापरीक्षा की जाती हैं। "एक नज़र में संघ और राज्य वित्त" सीएफआरए विवरणों की पूर्णता के लिए सीएजी कार्यालय की सरकारी लेखा शाखा द्वारा तैयार किया गया है।

[1] वर्ष में 28 राज्यों X 13 लेखे सहित मार्च (अनुपूरक) लेखे

2019-20 के लिए सीएफआरए मार्च 2022 के अंत में अंतिम रूप दिए जाने के उन्नत चरण में था। सीएजी वेबसाइट पर डैशबोर्ड संघ/राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए 2019-20 तक पांच साल की अवधि के लिए सीएफआरए डेटा परिचारित करता है[2]।

2.1.6 रिज़र्व बैंक जमा (आरबीडी) का मिलान और सरकार के राजस्व का समय पर प्रेषण पर - की गई पहल

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) सरकार का बैंकर है। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों के अनुरोध पर एजेंसी बैंकों को सरकार के कार्य को करने के लिए प्राधिकृत करता है।

यह पाया गया कि महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा लेखाओं में दी गई सूचना के अनुसार राज्य सरकारों की नकदी शेष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित नकदी शेष के अनुसार नहीं थी और इसके बारे में प्रत्येक राज्य के वित्त लेखाओं के नोट्स टु अकाऊंट्स पर टिप्पणी की जा रही थी।

नकदी शेष मिलान प्रक्रिया और सरकारी राजस्व का समय पर प्रेषण सुव्यवस्थित करने के लिए, अगस्त 2021 में सभी प्रधान महालेखाकार / महालेखाकार (ले.एवं हक.) द्वारा अनुपालन के लिए आरबीडी मिलान पर एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है।

2.1.7 कोषागार निरीक्षण

राज्य सरकार के लेखाओं के संकलनकर्ता होने के नाते, प्र.म.ले/म.ले (ले. एवं हक.), राज्य सरकारों के लेखाओं की कोषागार निरीक्षण के माध्यम से कोषागारों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की जांच करते है। कोषागार निरीक्षण का उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना है कि कोषागारों द्वारा आंरभिक लेखा तैयार करने, वेतन, पेंशन आदि के भुगतान के लिए निर्धारित विभिन्न जांच बिंदुओं तथा क्रियाविधियों का विधिवत अनुपालन किया जा रहा है। लगभग सभी राज्यों में कोषागार कम्प्यूटरीकृत किए जा चुके है।

2021-22 के दौरान, कुल नियोजित 1,870 कोषागारों/उप-कोषागारों के प्रति 1,481 कोषागारों/ उप-कोषागारों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कमी कोविड-19 के प्रकोप के कारण हुई। इन निरीक्षणों के परिणामस्वरूप, 1,200 निरीक्षण रिपोर्टें जारी की गईं जिनमें 3,195 सिफारिशें की गई थी।

[2] *http://cag.gov.in → लेखे → संघ और राज्य वित्त के लिए डैशबोर्ड*

2.1.7.1 कोषागार निरीक्षणों के परिणाम

कोषागार निरीक्षणों से राज्य के वित्तीय/हकदारी नियमावली के अनुपालन से सम्बन्धित कई विचलनों का पता चला, जो राज्यों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में दोषपूर्ण प्रचलनों की ओर इशारा करते है और वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करते है। कुछ दृष्टांत नीचे दिए गए है:

- **मेघालय** में 824 मामलों में नई पेंशन योजना के लिए अंशदान की कटौती नहीं की गई थी और 311 मामलों में सामान्य भविष्य निधि सदस्यता की अनिवार्य कटौती भी नहीं की गई थी।
- **राजस्थान** में 15 कोषागारों में विभागीय बकाया राशि के अधिक भुगतान की वसूली न होने, 11 कोषागारों में कर योग्य पेंशन बकाया से स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की वसूली न होने और नौ कोषागारों में अपात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अनियमित/अधिक भुगतान के मामलों का पता लगाया गया।
- **जम्मू-कश्मीर** में 13 कोषागारों/उप-कोषागारों में लगभग ₹25.54 लाख की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अतिरिक्त भुगतान पाया गया।
- **आंध्र प्रदेश** में हमने कोडल प्रावधानों को दरकिनार करते हुए विशेष बिलों के रूप में ₹41,043.08 करोड़ का आहरण, डीडीओ द्वारा ₹97.35 लाख के वाहन बिलों का जाली आहरण और ₹38.38 लाख के विभिन्न प्रकार के बिलों का दोहरा आहरण पाया।
- **झारखंड** में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का अधिक भुगतान पाया गया।
- **बिहार** में भुगतान की गई पेंशन में से टीडीएस की कटौती न होने का पता चला।

2.2 हकदारी कार्यों के संबंध में निष्पादन

समस्त बोर्ड में ले. एवं हक. कार्यालयों ने जीपीएफ के अंतिम भुगतान मामलों के निपटान में तेजी लाकर, पेंशन के प्राधिकार और वेतन पर्ची जारी करके हकदारी कार्यों को सुव्यवस्थित आदि करके संतुष्टि के स्तर में सुधार करने के प्रयास किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफर की ओर बढ़ते हुए, ई-ऑथराइजेशन से कुछ कार्यालयों में मामलों के निपटान में लगने वाला समय कम हो गया है। नागरिक चार्टर में यथानिर्धारित मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा का पालन करने के सभी प्रयास किए गए थे। लगभग सभी ले. एवं हक. कार्यालयों में ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र कार्य कर रहे हैं।

2.2.1 हकदारी कार्यों से संबंधित जानकारी

पेंशन, जीपीएफ तथा जीई कार्यों की स्थिति से संबंधित जानकारी संबंधित महालेखाकार कार्यालयों की वेबसाईट पर तथा एसएमएस आधारित सेवा, जहां कार्यालयों को राज्य के कार्मिकों द्वारा विवरण प्रदान किया गया है, के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इससे संबंधित राज्य की वेबसाईटों पर अपलोड की गई जानकारी देखने में संबंधित हितधारको तथा अन्य आगंतुकों को सहायता मिलती हैं और एसएमएस के माध्यम से भी सूचना मिलती है।

2.2.2 अंतिम रूप दिए गए पेंशन मामले

पेंशन प्राधिकरण का कार्य 20 ले. एवं हक. कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। 2021-22 के दौरान इन कार्यालयों ने मूल और पेंशन संशोधन के 6,16,698 मामलों को अंतिम रूप दिया। वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त और अंतिम रूप दिए गए कुल पेंशन मामलों का राज्य-वार ब्यौरा अध्याय के अंत में **तालिका II.2.2** में दिया गया है। नागरिक चार्टर के अनुसार महालेखाकार कार्यालय में सभी संदर्भों में पूरा मामला प्राप्त होने से 30 कार्य दिवसों के भीतर मूल पेंशन मामलों को अंतिम रूप दिया जाना है। आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना और त्रिपुरा में पेंशन मामले को अंतिम रूप देने में लगने वाला औसत समय निर्धारित समय के भीतर था। शेष राज्यों में पेंशन मामले को अंतिम रूप देने में लिया गया औसत समय 30 दिनों से अधिक था, जो मुख्य रूप से कोविड-19 लॉकडाउन के कारण संबंधित विभागों से जानकारी की कमी या अन्य परिचालन बाधाओं के कारण था।

2.2.3 जीपीएफ खातों का अनुरक्षण

20 राज्यों में, 22 ले. एवं हक. कार्यालय, राज्य सरकार के कर्मचारियों के जीपीएफ खातों के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। 2021-22 के दौरान इन कार्यालयों द्वारा 26,93,856 जीपीएफ खातों का अनुरक्षण किया गया था। राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू किए जाने के कारण वर्ष 2004 से पिछले वर्ष की तुलना में 5.18 *प्रतिशत* अंशदाताओं (पिछले वर्ष अंशदाताओं की कुल संख्या 28,41,122 थी) में कमी आई है।

2.2.4 जीपीएफ अंतिम भुगतान मामलों को अंतिम रूप देना

2021-22 के दौरान जीपीएफ के अंतिम भुगतान के लिए देय 1,94,902 मामलों में से, ले. एवं हक. कार्यालयों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर 1,84,658 मामलों (94.74 *प्रतिशत*) को अंतिम रूप दिया।

2021-22 में देय जीपीएफ के अंतिम भुगतान मामलों की संख्या	अंतिम रूप दिए गए अंतिम भुगतान मामलों की संख्या
1,94,902	1,84,658

2.2.5 हितधारकों के साथ अग्रसक्रिय जुड़ाव

वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण पेंशनभोगियों/अंशदाताओं के लिए अदालतें/कार्यशालाएं/लोकवाणी/संवाद कार्यस्थल पर और आभासी रूप से आयोजित की गई थीं। ऐसी पारस्परिक क्रियाओं के कुछ दृष्टांतों को नीचे वर्णित किया गया हैं:

हरियाणा, कर्नाटक और तेलंगाना

महालेखाकार (ले. एवं हक.) हरियाणा ने 30 मार्च 2022 को पेंशन अदालत का आयोजन किया, जिसमें पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के अलावा, कोष एवं लेखा विभागों और बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। कोविड महामारी के मद्देनजर, महालेखाकार (ले. एवं हक.) तेलंगाना ने 27 अगस्त 2021 को कृषि विभाग के संबंध में एक वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन किया। अदालत में उठाए गए 16 लंबित पेंशन मामलों में से सात मामलों को पेंशन स्वीकृत प्राधिकारियों से उत्तर मिलने के तुरंत बाद अंतिम रूप दे दिया गया। इसी प्रकार महालेखाकार (ले. एवं हक.) कर्नाटक ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 24 फरवरी 2022 को पेंशन अदालत का आयोजन किया।

प्र. महालेखाकार (ले. एवं हक.) कार्यालय, कर्नाटक द्वारा आयोजित पेंशन अदालत

उत्तर प्रदेश

अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर छह कोष कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य जीपीएफ के बकाया मामलों को घटाकर, असूचित और अप्राप्त क्रेडिट मदों की निकासी से संबंध में कोषाधिकारियों/डीडीओ को संवेदनशील बनाना था।

हिमाचल प्रदेश

पिछले वर्ष की तरह वर्ष 2021-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश कार्यालय ने पेंशनभोगियों/अंशदाताओं के साथ संवाद करने हेतु पेंशन संबंधी मुद्दों के लिए पहुँच बढ़ाने, सुविधाजनक पेशकश करने के लिए और सस्ता निवारण तंत्र/विश्वास निर्माण उपायों को प्रस्तावित करने के लिए अग्रसक्रिय पहल के एक भाग के रूप में ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के लाइव फोन-इन कार्यक्रम -***'लोक वाणी'*** में त्रैमासिक भागीदारी शुरू की। इस कार्यक्रम में नागरिकों को अपने मुद्दों पर चर्चा करने और पेंशन और जीपीएफ से संबंधित स्पष्टीकरण मांगने के लिए आकाशवाणी केंद्र से बात करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महालेखाकार (ले. एवं हक.) कार्यालय के अधिकारी कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे और पेंशनभोगियों और जीपीएफ अंशदाताओं की यथासंभव अधिकतम शिकायतों का मौके पर ही निवारण किया। ऑल इंडिया रेडियो पर कार्यक्रम के अलावा दूरदर्शन केंद्र शिमला द्वारा मासिक आधार पर एक ***'जनवाणी'*** कार्यक्रम भी प्रसारित किया गया ताकि जनता को महालेखाकार कार्यालयों के हकदारी कार्यों से अवगत कराया जा सके।

महाराष्ट्र

कोविड-19 महामारी के कारण महालेखाकार (ले. एवं हक.)-1, महाराष्ट्र ने नासिक कोषागार के लिए ऑनलाइन पेंशन अदालत आयोजित की और पेंशनभोगियों के मुद्दों को हल करने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से उनके साथ ***'पेंशन संवाद'*** किया।

संवाद के लिए पंजीकरण के बाद, राज्य सरकार के ***'सेवार्थ'*** और ***'निवृत्तिनवाहिनी'*** पोर्टल पर एक लिंक साझा किया गया। व्यापक प्रचार के लिए वेबसाइट पर पोस्टर भी लगाए गए थे। इस प्रकार का पहला ऑनलाइन पेंशन/जीपीएफ संवाद 2 मार्च 2022 को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से आयोजित किया गया था। हालांकि, यह नासिक कोषागार से पेंशनभोगियों के लिए था, विभिन्न अन्य कोषागरों से भी आवेदन प्राप्त हुए थे। पेंशनभोगियों को व्हाट्सएप वीडियो कॉल किए गए और उनकी संतुष्टि होने तक प्रश्नों का समाधान किया गया।

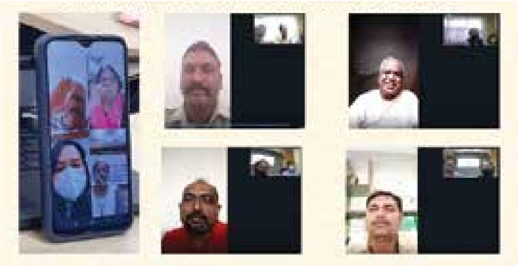

प्र. महालेखाकार (ले. एवं हक.)-1, महाराष्ट्र द्वारा आयोजित ऑनलाइन पेंशन और जीपीएफ संवाद

प्र. महालेखाकार (ले. एवं हक.)-I, महाराष्ट्र द्वारा डीडीओ के लिए पेंशन, भविष्य निधि और लेखा पर कार्यशाला सह अदालत का आयोजन

तमिलनाडु

महालेखाकार (ले. एवं हक.) तमिलनाडु द्वारा अप्राप्त क्रेडिट के समाशोधन के लिए मिसिंग क्रेडिट क्लीयरेंस ड्राइव (एमसीसीडी) का आरंभ किया गया था। अधिकारियों को अप्राप्त क्रेडिट के लिए विवरण एकत्र करने के लिए अक्टूबर 2021 से पांच से छह कोषागारों /वेतन एवं लेखा कार्यालयों का दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। अधिकारियों के दौरे से पहले संबंधित कोषागार अधिकारियों/ वेतन एवं लेखा अधिकारियों को अप्राप्त क्रेडिट की डीडीओ वार सूची भेजी गई थी। अब तक 41 कोषागारों/ पीएओ में से 19 को कवर किया जा चुका है और वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक लेखा विवरण अपलोड करने से पहले अप्राप्त क्रेडिट के समाशोधन के लिए वसूली विवरण के संग्रहन के पहले दौर के रूप में अप्रैल 2022 तक शेष कोषागारों/ पीएओ को कवर करने का प्रस्ताव है। एमसीसीडी पहल के कारण पांच महीनों में 9,065 अंशदाताओं के 40,600 अप्राप्त क्रेडिट का समाशोधन किया गया ।

महालेखाकार (ले. एवं हक.), तमिलनाडु द्वारा अप्राप्त क्रेडिट के समाशोधन के लिए कार्यशाला आयोजित की गई

2.2.6 सीएजी की वेबसाइट में वेब-आधारित शिकायत निवारण तंत्र

शिकायतों को ऑनलाइन पंजीकृत करने के लिए एक केंद्रीकृत वेब-आधारित शिकायत निवारण तंत्र है। जीपीएफ अंशदाता/पेंशनभोगी संबंधित ले. एवं हक. कार्यालय में ऑनलाइन या ई-मेल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि कोई अंशदाता/पेंशनभोगी महालेखाकार कार्यालय के उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी शिकायत सीएजी कार्यालय के शिकायत विंग में भी दर्ज कर सकते है। शिकायत निवारण प्रणाली से संबंधित सभी लिंक सीएजी की वेबसाइट[3] पर उपलब्ध हैं। शिकायत दर्ज करने पर प्रणाली स्वचालित रूप से शिकायत का पंजीकरण संख्या उत्पन्न करती है और भविष्य के संदर्भ के लिए शिकायतकर्ता को एक एसएमएस भेजती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य पेंशनभोगियों/अंशदाताओं से सीएजी कार्यालय में 2,353 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 2,233 का नागरिक चार्टर की समय सीमा के भीतर निवारण किया गया था। निपटान के लिए 120 शिकायतें लंबित थीं जो नागरिक चार्टर की निर्धारित अवधि (30 कार्य दिवस) के भीतर थीं। प्राप्त शिकायतों और निवारण पर एक रिपोर्ट मासिक और त्रैमासिक आधार पर उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की जाती है।

2.3 त्रैमासिक केआरए रिपोर्टों के माध्यम से ले. एवं हक. कार्यालय के निष्पादन का मूल्यांकन

सरकारी लेखा स्कंध प्रमुख रिपोर्टिंग क्षेत्रों की आंतरिक रूप से विकसित ग्रेडिंग स्कीम के माध्यम से तिमाही आधार पर सभी ले. एवं हक. कार्यालयों के लेखा एवं हकदारी कार्यों के निष्पादन का मूल्यांकन कर रहा है।

[3] *https://cag.gov.in/en/page-entitlement-grievance*

तालिका II.2.1 राज्य महालेखाकार (ले. एवं हक.) के साथ कार्य

लेखे	सामान्य भविष्य निधि	पेंशन	राजपत्रित हकदारी
1. आंध्र प्रदेश	1. आंध्र प्रदेश	1. आंध्र प्रदेश	1. असम
2. असम	2. असम	2. असम	2. बिहार
3. अरुणाचल प्रदेश*	3. छत्तीसगढ़	3. बिहार	3. झारखंड
4. बिहार	4. गुजरात	4. हरियाणा	4. कर्नाटक
5. छत्तीसगढ़	5. हरियाणा	5. हिमाचल प्रदेश	5. केरल
6. गुजरात	6. हिमाचल प्रदेश	6. जम्मू और कश्मीर	6. मणिपुर
7. हरियाणा	7. कर्नाटक	7. झारखंड	7. मेघालय
8. हिमाचल प्रदेश	8. केरल	8. कर्नाटक	8. नागालैंड
9. जम्मू और कश्मीर	9. मध्य प्रदेश	9. केरल	9. तमिलनाडु
10. झारखंड	10. महाराष्ट्र	10. महाराष्ट्र	
11. कर्नाटक	11. मणिपुर	11. मणिपुर	
12. केरल	12. मेघालय	12. मेघालय	
13. मध्य प्रदेश$	13. नागालैंड	13. नागालैंड	
14. महाराष्ट्र$	14. उड़ीसा	14. उड़ीसा	
15. मणिपुर	15. तमिलनाडु	15. पंजाब	
16. मेघालय	16. तेलंगाना	16. तमिलनाडु	
17. मिजोरम*	17. त्रिपुरा	17. तेलंगाना	
18. नागालैंड	18. उत्तर प्रदेश	18. त्रिपुरा	
19. उड़ीसा	19. उत्तराखंड	19. पश्चिम बंगाल	
20. पंजाब	20. पश्चिम बंगाल		
21. राजस्थान			
22. सिक्किम			
23. तमिलनाडु			
24. तेलंगाना			
25. त्रिपुरा			
26. उत्तर प्रदेश$			
27. उत्तराखंड			
28. पश्चिम बंगाल			

*नोट: * ये कार्यालय ले. एवं हक. और लेखापरीक्षा कार्यों के लिए समग्र कार्यालय हैं।*
$ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दो ले. एवं हक. कार्यालय हैं। महालेखाकार (ले. एवं हक.)-II, मध्य प्रदेश में केवल जीपीएफ कार्य हैं।

तालिका II.2.2

2021-22 के दौरान पेंशन मामलों के राज्यवार अंतिम रूप और पेंशन मामलों में संशोधन

क्र. सं.	कार्यालय	मूल पेंशन		पेंशन में संशोधन	
		प्राप्त मामलों की संख्या (शेष राशि सहित)	निपटाए गए मामलों की संख्या	प्राप्त मामलों की संख्या (शेष राशि सहित)	निपटाए गए मामलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	12,015	11,274	5,376	4,812
2	असम	14,759	13,437	979	893
3	बिहार	28,473	25,077	23,330	20,162
4	हरियाणा	11,960	11,960	30,504	30,504
5	हिमाचल प्रदेश	12,439	11,778	2,261	1,866
6	जम्मू और कश्मीर	16,057	16,047	25,673	25,544
7	झारखंड	10,458	10,089	31,543	24,966
8	कर्नाटक	23,932	23,886	9,713	9,658
9	केरल	19,072	18,945	32,612	31,204
10	महाराष्ट्र-I	28,628	28,628	36,335	33,363
11	महाराष्ट्र-II	18,006	18,006	32,473	32,473
12	मणिपुर	5,558	3,837	7,528	4,796
13	मेघालय	3,208	3,160	221	214
14	नागालैंड	3,738	3,699	5,567	5,551
15	उड़ीसा	13,432	12,521	3,281	2,906
16	पंजाब	15,729	15,729	43,725	41,286
17	तमिलनाडु	12,703	11,936	9,824	9,357
18	तेलंगाना	2,602	2,444	27,116	27,023
19	त्रिपुरा	4,442	4,150	56	54
20	पश्चिम बंगाल	22,566	17,803	51,477	45,660
कुल		**2,79,777**	**2,64,406**	**3,79,594**	**3,52,292**
प्राप्त कुल मामले (मूल पेंशन मामले और संशोधित पेंशन मामले)		**6,59,371**			
निपटान किए गए कुल मामले		**6,16,698**			

सीएजी कार्यालय परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा

खंड

3

हाल ही में हुई प्रगति

अध्याय 1
मार्गदर्शनों का विकास

अध्याय 2
क्षमता निर्माण

अध्याय 3
आंतरिक नियंत्रण और गुणवत्ता मूल्यांकन

अध्याय 4
हमारी आईटी पहल

अध्याय 5
ऑडिट दिवस

अध्याय 6
अन्य गतिविधियाँ, कोई कम महत्वपूर्ण नहीं

अध्याय 1
मार्गदर्शनों का विकास

लेखापरीक्षा और लेखाकरण पर व्यावसायिक मानक उत्तम लेखापरीक्षा और लेखाकरण के लिए मुख्य आधार हैं। हम सरकारी लेखापरीक्षकों और लेखाकारों दोनों के लिए व्यावसायिक मानकों और प्रथाओं के महत्व के प्रति सचेत हैं। ये सभी पेशेवरों द्वारा विभिन्न स्थितियों के अंतर्गत पालन किए जाने वाले मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं के लिए मानदंड के रूप में कार्य करते हैं। साई इंडिया के लेखापरीक्षण मानकों में परिकल्पना की गई है कि साई के पास एक उपयुक्त गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली होनी चाहिए।

1.1 सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भारत सरकार के परामर्श से अगस्त, 2002 में सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) का गठन किया था। गसब का मिशन सार्वजनिक जवाबदेही और निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकारी लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार करने के लिए लेखाकरण मानकों को तैयार करना और सिफारिश करना है। नई प्राथमिकताएं सार्वजनिक योजना के वित्तपोषण के लिए संसाधनों की पहचान करने के बजाय सार्वजनिक व्यय में सुशासन, राजकोषीय विवेक, दक्षता और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

गसब में सरकार (संघ और राज्य), पेशेवर लेखाकरण संस्थानों, आरबीआई और अकादमिक जगत के उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व के साथ 15 सदस्य होते हैं। गसब के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

क. जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों का निरूपण करना और सुधार करना।

ख. लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के विशेष क्षेत्रों की पहचान और उन पर विचार करना जिनमें मानक स्थापना प्रक्रिया के माध्यम से सुधार किया जा सकता है।

ग. उन सरकारी मानकों को निरूपित करना और प्रस्तावित करना जो सभी पणधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर वित्तीय विवरणों की उपयोगिता को सुधारेंगे;

घ. सरकारी लेखाकरण मानकों के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण प्रदान करना;

ङ. नियमित अंतरालों पर स्वीकृति या परिवर्तित शर्तों की दृष्टि से सरकारी लेखाकरण मानकों की समीक्षा करना और यदि आवश्यक हो, तो इसे संशोधित करना।

च. अन्य घोषणाएं जारी करना उदाहरणत: मार्गदर्शी टिप्पणियों को जारी करना, जो सरकार में वित्तीय रिपोर्टिंग में मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करती है।

छ. वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित ऐसे अन्य सामान्य कार्यों को पूरा करना, जैसे, शोध पत्रों का प्रकाशन आदि और

ज. यह जांचने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार संघ (आईएफएसी) के अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखाकरण मानक बोर्ड (आईपीएसएएसबी) द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखाकरण मानकों (आईपीएसएएस) जैसे प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी लेखाकरण मानकों को भारत में प्रचलित परिस्थितियों और प्रथाओं को देखते हुए सरकारी लेखाकरण मानकों को तैयार करते समय किस सीमा तक अपनाया जा सकता है।

गसब दो प्रकार के मानक तैयार करता है:

(i) नकद आधारित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर भारत सरकार लेखाकरण मानक (आईजीएएस) जो सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से संघ, राज्यों और विधानमंडल वाले संघ शासित क्षेत्रों के अनुपालन के लिए अनिवार्य बन गए हैं; और

(ii) प्रोद्भवन आधारित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर भारत सरकार के वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईजीएफआरएस) जो संस्तुतिपरक हैं।

पणधारकों के परामर्श से विकसित ये मानक भारत के संविधान के अनुच्छेद 150, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि संघ और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के पश्चात् विहित करेंगे, के अनुसार अधिसूचना के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाते है।

1.1.1 भारतीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेखाकरण मानक

- आईजीएएस 1: सरकारों द्वारा दी गई गारंटियां: प्रकटीकरण अपेक्षाएं
- आईजीएएस 2: सहायता अनुदान का लेखाकरण और वर्गीकरण
- आईजीएएस 3: ऋणों और अग्रिमों का लेखाकरण

1.1.2 अनुमोदित और वित्त मंत्रालय को अधिसूचना के लिए भेजे गए लेखाकरण मानक/मार्गदर्शी टिप्पणियां – मार्च 2022 तक अधिसूचित की जानी हैं

- संशोधित आईजीएएस 2: सहायता अनुदान का लेखाकरण
- संशोधित आईजीएएस 3: ऋण और अग्रिम का लेखाकरण
- अचल परिसंपत्तियों के लेखाकरण पर मार्गदर्शी टिप्पणी
- आईजीएएस 7: विदेशी मुद्रा संव्यवहार और विनिमय दर भिन्नताओं द्वारा हानि या लाभ
- आईजीएएस 9: इक्विटी में सरकारी निवेश
- आईजीएएस 10: सार्वजनिक ऋण और सरकार की अन्य देयताएं: प्रकटीकरण अपेक्षाएं

1.2 2021-22 के दौरान लेखाकरण मानक/प्रकटीकरण विवरणों पर प्रगति

1.2.1 गैर अधिसूचित मानकों की समीक्षा

क. संशोधित मानकों: आईजीएएस 2 और आईजीएएस 3 को जून 2019 में अधिसूचना को अंतिम रूप देने के लिए वित्त मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था। संबंधित दस्तावेजों की पुनरीक्षण के लिए समीक्षा की जा रही है।

ख. साई इंडिया ने प्रत्येक तीन वर्षों में मौजूदा घोषणाओं की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया था ताकि घोषणाओं को अद्यतित, संशोधित किया जा सके, उन्हीं को चालित रखा जा सके और सरकारी लेखाकरण वातावरण में परिवर्तनों को प्रतिबिंबित किया जा सके। मसौदा मानकों को वित्त मंत्रालय को भेजे जाने और अधिसूचना के लिए इन मानकों के लंबित होने के बाद से समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए, स्वप्रेरणा से निम्नलिखित तीन मानकों को संशोधित करने का निर्णय लिया है:

i. आईजीएएस 7: विदेशी मुद्रा संव्यवहारों और विनिमय दर भिन्नताओं के द्वारा हानि या लाभ;

ii. आईजीएएस 9: इक्विटी में सरकारी निवेश; और

iii. आईजीएएस 10: सार्वजनिक ऋण और सरकारों की अन्य देयताएं।

सभी मानकों के लिए संशोधित मसौदे वर्ष के दौरान तैयार किए गए थे और इन्हें सदस्यों के बीच पुनरीक्षण और टिप्पणियों/सुझावों के लिए परिचालित किया गया था। सुझावों/टिप्पणियों को मानकों में शामिल किया गया था। उपर्युक्त सभी प्रारूप मानकों में संशोधन किया जा रहा है।

1.2.2 अन्य मानक

1.2.2.1 आरक्षित निधियों पर मानक मसौदा

आरक्षित निधियां भविष्य के लिए विशिष्ट प्रयोजन के लिए सृजित निधियों का संचय हैं और अव्यपगत हैं। उन्हें 'संघ और राज्यों के प्रमुख और लघु लेखा शीर्षों की सूची' की पुस्तिका के सेक्टर - 'जे' के तहत शामिल किया गया है और सार्वजनिक लेखे के तहत उत्तरदायी ठहराया गया है। आरक्षित निधियों के वित्तपोषण का स्रोत भारत/राज्यों की संचित निधि से अंशदान, अनुदान और विनियोग, उपकर, करदाताओं से एकत्र अधिभार शुल्क, अवसंरचना कार्यकलापों के प्रयोक्ताओं और पुनर्वास, संरक्षण आदि के विशिष्ट प्रयोजन के लिए अन्य पार्टियों से वसूली योग्य प्रभारों के माध्यम से होता है।

इस मानक का उद्देश्य आरक्षित निधियों के लेखाकरण और इसकी वित्तीय रिपोर्टिंग को कार्यान्वित करने के तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि निधियों के तहत शेष राशि की प्रमात्रा, आरक्षित निधियों में ब्याज सहित धन के हस्तांतरण, (जहां भी लागू हो) निष्क्रिय निधियों के बारे में जानकारी का ठीक से प्रकटन किया जा सके। साथ ही, इसका उद्देश्य यह बताना है कि क्या धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हें सृजित किया गया था। पहला संकल्पना पेपर तकनीकी सलाहकारों (टीए) के साथ जून 2020 में साझा किया गया था।

मसौदा मानकों पर पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को आगे के अध्ययन के लिए समानुक्रमित किया गया था। मसौदे पर फिर से काम करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, पुनः लिखित मसौदा अब मार्च 2022 में सभी तकनीकी सलाहकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है।

1.2.2.2 उचित प्रक्रिया का संशोधन

गसब की प्रणाली को अब तक वर्ष 2011 में बनाए गए 'व्यावसायिक नियमों' द्वारा निर्देशित किया गया था। हालांकि, गसब के कार्यों को सुव्यवस्थित और संहिताबद्ध करने के लिए उन्हें अधिक केंद्रित, सुदृढ़ और समावेशी बनाने के लिए, 'गसब की नियत प्रक्रिया' जिसे अगस्त 2020 में संशोधित किया गया था, जिसमें मिशन, गसब के उद्देश्यों, पणधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, मानकों के निर्माण में शामिल प्रक्रियाओं, मानकों की संरचना आदि को दर्शाती है।

चारों ओर तेजी से हो रहे विकास की पृष्ठभूमि में गसब अधिक जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार है जिसमें न केवल सरकारी लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग जैसे पारंपरिक क्षेत्रों की दिशा में प्रयास

शामिल हैं, बल्कि पर्यावरण लेखाकरण को लागू करने की दिशा में देश की सहायता करने जैसे अन्य नए क्षेत्र भी शामिल हैं। यह आवश्यक है कि मानकों, मार्गदर्शन टिप्पणियों और परामर्शों को एक विशिष्ट समय सीमा को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाए और इसे संभव बनाने के लिए सदस्यों को तकनीकी सलाहकारों का पूरा पर्यवेक्षण दिया जाए। उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गसब ने 2022 में 'नियत प्रक्रिया' को और संशोधित किया है। संशोधित नियत प्रक्रिया को सभी सदस्यों को वितरित किया गया था और फरवरी 2022 में एक आभासी बैठक में चर्चा की गई थी। टिप्पणियों के आधार पर दस्तावेज को संशोधित किया गया, अंतिम रूप दिया गया और उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और अध्यक्ष (गसब) द्वारा अनुमोदित किया गया और इसे अनुमोदन के लिए आगामी बोर्ड बैठक के समक्ष रखा जाएगा।

1.2.2.3 नकद आधारित आईपीएसएएस पर आधारित मानक/प्रकटीकरण विवरण

आईएफएसी द्वारा गठित आईपीएसएएस बोर्ड (पेशेवर लेखाकरण मानक निर्धारित करने वाले निकायों का एकछत्र निकाय) ने सार्वजनिक क्षेत्र/सरकार/निकायों के लिए लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आईपीएसएएस मानक निर्धारित किए हैं। आईपीएसएएसबी सत्वों को वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो प्रोद्भवन आधार आईपीएसएएस की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं। नकद आधार आईपीएसएएस को वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रोद्भवन आधार पर बदलने और प्रोद्भवन आधारित आईपीएसएएस को अपनाने में सहायता करने के लिए एक मध्यवर्ती कदम के रूप में विकसित किया गया है। नकद आधार आईपीएसएएस सत्त्वों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नकद आधार लेखाकरण पर रिपोर्टिंग के प्रोद्भवन आधार पर एक इकाई के बदलने का समर्थन करती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने आईपीएसएएस नकद आधारित लेखाकरण का पालन करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है।

गसब ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के सहयोग से नकदी आधारित आईपीएसएएस मानकों/प्रकटीकरण विवरणों को तैयार करने के लिए निम्नलिखित तीन विषयों की पहचान की है:

(i) आकस्मिक देयताएं
(ii) पूर्व अवधि त्रुटियों का सुधार; और
(iii) बाहरी सहायता के प्राप्तकर्ता

तीन मानक मसौदा तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया गया है और इसी संदर्भ में प्रारभिक अध्ययन किए गए हैं। इन प्रारभिक अध्ययनों के परिणामों के आधार पर दस्तावेजों को संशोधित किया गया और उनकी टिप्पणियों/सुझावों के लिए टीए को अग्रेषित किया गया। (i) और (iii) पर दर्शाए गए मानकों को टीए द्वारा अग्रेषित टिप्पणियों के आधार पर और संशोधित किया जा रहा है।

अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के समक्ष रखने के लिए (ii) पर दर्शाए गए मानक को अंतिम रूप दिया गया है।

1.2.2.4 आईएमएफ-एसएआरटीटीएसी के साथ सहयोग और नकद आधारित आईपीएसएएस को अपनाना

गसब ने आईएमएफ-एसएआरटीटीएसी (दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र) के साथ नकद आधारित आईपीएसएएस के साथ भारतीय वित्त लेखाओं पर एक अंतर विश्लेषण परियोजना के लिए सहयोग किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय द्वारा एक अंतर विश्लेषण रिपोर्ट तैयार और जारी की गई है। इसके अलावा नकद आधार आईपीएसएएस को अपनाने के हमारे प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए आईपीएसएएस बोर्ड को शामिल करने का निर्णय लिया गया। आईपीएसएएस बोर्ड के साथ बैठक की गयी थी।

आगे बढ़ने के लिए, यह निर्णय लिया गया:

क. अंतर विश्लेषण के लिए नकद आधारित आईपीएसएएस और वित्त लेखों का अध्ययन करने के लिए आईसीएआई की मदद से सनदी लेखाकारों की एक समिति का गठन करना। नियमित बैठकों के परिणामस्वरूप समूह ने नकद आधारित आईपीएसएएस अपनाने की एक प्रश्नावली स्थिति विकसित की है।

ख. पांच चरण कार्यान्वयन योजना के साथ नकद आधारित आईपीएसएएस को अपनाने के लिए प्रति कार्यालय दो एसएओ/एएओ के साथ 10 प्रधान महालेखाकारों की एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन करना।

राज्य क्षेत्रीय कार्यालयों से नकद आधार आईपीएसएएस को अपनाने के संबंध में राज्य सरकारों के विचार/टिप्पणियां प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। निगरानी करने और आवधिक अद्यतन लेने के लिए मुख्य समितियों के साथ नियमित रूप से बैठकें की जा रही हैं। आईएमएफ मॉडल पर प्रारंभिक अध्ययन चार राज्यों-कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु द्वारा किए गए हैं, जिनकी जांच की गई है और टिप्पणियों के लिए सभी राज्यों को अग्रेषित कर दिया गया है। प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर साई इंडिया में नकद आधारित आईपीएसएएस को अपनाने के बारे में एक विस्तृत टिप्पणी तैयार की गई और इसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया गया था।

1.3 भारत में प्राकृतिक संसाधन लेखाकरण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में गसब सचिवालय ने जुलाई 2020 में भारत में प्राकृतिक संसाधन लेखाकरण (एनआरए) पर अवधारणा पत्र तैयार किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आर्थिक और पर्यावरणीय लेखाकरण प्रणाली - संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के केंद्रीय ढांचे में निहित रणनीति के अनुरूप भारत में एनआरए के कार्यान्वयन के लिए तीन-अवधि की योजना की परिकल्पना की गई थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

अल्पकालिक लक्ष्य	मध्यावधि लक्ष्य	दीर्घकालिक लक्ष्य
• राज्यों में खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखाओं को तैयार करना • एनआरए से संबंधित राजस्व और व्यय पर प्रकटीकरण विवरण की शुरुआत और तैयार करना ***(2019-20 से 2021-22)***	• खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर राष्ट्रीय परिसंपत्ति लेखाओं को तैयार करना • राज्यों में अन्य तीन संसाधनों के संबंध में नामक जल, भूमि और वन संसाधनों की परिसंपत्ति लेखा तैयार करना • प्राकृतिक संसाधन आदानों, उत्पादों और अवशेषों के प्रवाह को दर्शाते हुए भौतिक और मौद्रिक संदर्भों में आपूर्ति और उपयोग की तालिकाओं को तैयार करना ***(2022-23 से 2024-25)***	• ह्रास समायोजित आर्थिक समुच्चय को उजागर करने वाले आर्थिक लेखाओं को तैयार करना; और • पर्यावरणीय प्रयोजनों के लिए किए गए आर्थिक गतिविधियों के बारे में संव्यवहार (और अन्य जानकारी दर्ज करने वाले कार्यात्मक लेखाओं को तैयार करना। ***(2025-26 से)***

राज्यों में एनआरए प्रकोष्ठों का गठन किया गया था और भारत में एनआरए की कार्यान्वयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए गसब के मुख्यालय में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था। अवधारणा पत्र ने खनिज और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखाओं की तैयारी के लिए साँचों का सुझाव दिया। राज्यों में खनिज और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर मॉडल परिसंपत्ति खाता तैयार करने के लिए पांच राज्यों में प्रारंभिक अध्ययन शुरू किए गए थे।

प्रारंभिक अध्ययनों के परिणामों के आधार पर प्रारूपों की समीक्षा की गई और समीक्षा तथा आदानों/टिप्पणियों के लिए केंद्रीय एनआरए प्रकोष्ठ के सदस्यों के बीच परिचालित किया गया। राज्यों को साथ लेने के लिए उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (गसब) ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को अर्धशासकीय पत्र लिखकर उन्हें प्रयासों, किए गए कार्यों, उपलब्धियों और आगे के रास्ते के बारे में सूचित किया। उपरोक्त पर सभी राज्यों को आभासी प्रस्तुतियां दी गईं और टेम्पलेट को अंतिम रूप देते समय उनके विचारों/टिप्पणियों को ध्यान में रखा गया। बैठक के दौरान प्राप्त आदानों के आधार पर प्रारूपों को अद्यतन/संशोधित किया गया और सदस्यों को फिर से परिचालित किया गया। सलाहकार समिति की अनुवर्ती बैठक भी 20 सितंबर 2021 को आभासी रूप से की गई थी। प्राप्त विचारों/सुझावों के आधार पर, खनिज और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखों के लिए टेम्पलेट को अंतिम रूप दिया गया और अक्टूबर 2021 में एक पुस्तिका के रूप में जारी किया गया। राज्यों में वर्ष 2020-21 के लिए खनिज और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखाओं की तैयारी के साथ शुरू करने का लक्ष्य था, जिसे मार्च 2022 तक पूरा किया जाना था।

इस कार्य से राज्यों में साक्ष्य आधारित सुशासन में सहायता मिलेगी और इसके निम्नलिखित विशिष्ट लाभ होंगे:

- राज्य-वार संसाधनों पर एक-पृष्ठीय दस्तावेज;
- वास्तविक निष्कर्षण की तुलना में राजस्व के क्रॉस सत्यापन को सक्षम करने के लिए भौतिक और मौद्रिक मूल्यों का संकलन;
- दोहन की गति पता लगाने के लिए वर्षों से प्राप्त जानकारी का समेकन;
- बाजार मूल्य/निर्यात मूल्य की तुलना में राजस्व का विश्लेषण ताकि रॉयल्टी दरों का मूल्यांकन और समीक्षा करना आसान बनाया जा सके, अप्रत्याशित लाभों को रोका जा सके और राज्य के राजस्व हितों की रक्षा की जा सके।
- संसाधनों की स्थिरता को उजागर करना;
- भविष्य के लिए राजस्व धाराओं के मूल्यांकन को सक्षम करना;
- वैकल्पिक संसाधनों (ऊर्जा/आर्थिक) की पहचान करने में मदद करना; और
- अवैध खनन पर कड़ी निगरानी

मार्च 2022 तक वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों में खनिज और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखाओं को तैयार करने की प्रगति की निगरानी करने के लिए, उन 30 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक के साथ मासिक बैठकें की गईं, जिनमें परियोजना चलाई जा रही थी। 31 मार्च 2022 तक, 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 26 राज्यों/1 केंद्र शासित प्रदेश ने परिसंपत्ति लेखाओं का पहला मसौदा तैयार करने की सूचना दी है, जबकि दो राज्यों ने पूरा होने के आंशिक चरण में होने की सूचना दी है और दिल्ली ने सूचित किया है कि इसके पास कोई खनिज और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं हैं।

इस कार्य की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, सूचक दिशा-निर्देश/मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार की गईं और स्रोत पर संसाधनों के भौतिक प्रवाह को कैप्चर करने की प्रणाली को स्वचालित करने के लिए परिचालित की गईं, अर्थात जिला खनन/पेट्रोलियम/वन कार्यालय स्तर और निदेशालयों के साथ-साथ महालेखाकार कार्यालयों में परिसंपत्ति लेखाओं का निरंतर निर्माण, क्रॉस सत्यापन तंत्र, अक्षय ऊर्जा संसाधनों के उत्पादन की प्रगति के साथ-साथ प्रति राज्य और प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की निगरानी, और परिसंपत्ति लेखाओं के संदर्भ में भू-स्थानिक खनिज और ऊर्जा संसाधन मानचित्रण। सभी राज्य सरकारों के खान विभाग के सभी अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को दिशा-निर्देश परिचालित किए गए थे, जहां परियोजना चलाई जा रही है।

अवैध खनन का पता लगाने में मदद करने के लिए भू-सक्षम डेटा-सेट के साथ राज्यों की सहायता के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) के साथ एक आभासी बैठक आयोजित की गई थी। इसके अलावा, एनआरएससी हमारे लेखापरीक्षा कार्यालयों और प्रयासों के लिए अन्य जीपीएस सक्षम

डेटा में भी मदद करेगा। इसके अलावा, सीओपी 26 में राष्ट्रीय घोषणा की दिशा में हुई प्रगति के बारे में जानकारी उत्पन्न करने के उद्देश्य से नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने की प्रगति की निगरानी करने की प्रणाली को लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करेगा और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा आवश्यकताओं का आधा उत्पादन करने और वर्ष 2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 50 *प्रतिशत* तक कम करने का प्रयास करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मालदीव की यात्रा (अक्टूबर 2021) के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मालदीव सरकार और साई मालदीव के साथ एनआरए पर अवधारणा पत्र भी साझा किया गया था।

अक्टूबर 2021 में जारी एएसओएसएआई (सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का एशियई संगठन) के जर्नल में इस क्षेत्र में हुई प्रगति को चित्रित किया गया है

1.4 लेखापरीक्षा पद्धति और मार्गदर्शन

1.4.1 समकक्ष समीक्षा दिशा-निर्देश 2021

समकक्ष समीक्षा निष्पादन और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए संगठनात्मक संरचनाओं और प्रक्रियाओं में सुधार के अवसरों का निर्धारण और पहचान करने के लिए एक तंत्र है। विभाग द्वारा वर्ष 2009 में समकक्ष समीक्षा विनिबंध के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन लाया गया था, जिसमें साई इंडिया की समकक्ष समीक्षा के संचालन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे।

हमारी संरचनाओं और प्रक्रियाओं में काफी बदलाव के कारण, समकक्ष समीक्षा विनिबंध पर फिर से विचार किया गया और नवंबर 2021 में समकक्ष समीक्षा दिशा-निर्देश जारी किए गए। ये दिशा-निर्देश संक्षिप्त, केंद्रित हैं और समकक्ष की समीक्षा कार्यालय के राष्ट्रीय मानकों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के पालन का आश्वासन प्रदान करते हैं।

ये दिशा-निर्देश साई इंडिया के लेखापरीक्षा कार्यालयों के कामकाज पर लागू होते हैं और इन्हें क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा मानकों, दिशा-निर्देशों और समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

1.4.2 पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए दिशा-निर्देश

'पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए दिशा-निर्देश' स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों, जो पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्राथमिक लेखापरीक्षक हैं, द्वारा उपयोग के लिए विकसित किए गए थे। इसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने ऑडिट दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 17 नवंबर 2021 को जारी किया था। इन दिशा-निर्देशों में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा करने में स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों की सहायता के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शन शामिल है। इनमें लेखापरीक्षा कार्य पत्र भी होते हैं जिनका उद्देश्य लेखापरीक्षकों को मॉडल लेखा प्रणाली (एमएएस) के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अनुरक्षित विभिन्न रजिस्टरों की जांच करने में मदद करना और उन्हें राय बनाने और लेखापरीक्षा करने और लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मार्गदर्शन करना है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए जारी दिशा-निर्देश

1.4.3 स्थानीय निकायों की जिला केंद्रित लेखापरीक्षा

स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए साई इंडिया के प्रयासों के एक भाग के रूप में, स्थानीय निकायों की जिला केंद्रित लेखापरीक्षा आयोजित करने की संकल्पना की जा रही है। इसके लिए अपनाई जाने वाली उपयुक्त प्रक्रियाओं और पद्धतियों पर अंतर्दृष्टि एकत्र करने के लिए, 46 जिलों को शामिल करते हुए 25 राज्यों में प्रारंभिक अध्ययन शुरू किए गए हैं।

1.5 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संगठन में नई पहल और अच्छी प्रथाओं का संकलन

21 नवंबर 2019 को महालेखाकारों और उप महालेखाकारों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए, माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि "वास्तव में इस संगठन को केवल आंकड़ों और प्रक्रियाओं तक

सीमित न रह कर, सुशासन के उत्प्रेरक के रूप में आगे आना होगा"। इसके बाद, सितंबर 2020 में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने फैसला किया कि ऐसे उदाहरणों को संकलित करना बहुत उपयोगी होगा जहां सरकारों/लेखापरीक्षित संस्थाओं ने लेखापरीक्षा सिफारिशों पर काम किया था; और सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन तैयार किया। यह एक वैश्विक नेता बनने और सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा और लेखाकरण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के सर्जक बनने के हमारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक और कदम है।

प्रधानमंत्री और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, साई इंडिया में नई पहलों और अच्छी प्रथाओं का संकलन जिसका शीर्षक 'दा केटलिस्टस-इन परसुएट ऑफ गुड गर्वनैन्स' भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 'ऑडिट दिवस' - 16 नवंबर 2021 को जारी किया गया था। यह संकलन साई इंडिया के विभिन्न कार्यालयों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय में कार्यात्मक स्कंधों द्वारा की गई नई पहलों और सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन है। ये सर्वोत्तम प्रथाएं हमारी गतिविधियों और प्रक्रियाओं की विस्तृत विस्तार से उभरती हैं, जैसे कि लेखापरीक्षा योजना, साक्ष्य एकत्र करने और रिपोर्टिंग के लिए प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग; लेखापरीक्षा पद्धति और महत्वपूर्ण प्रभाव में प्रगति; व्यावसायिक प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी का परिचय; हितधारक मूल्य बनाना; अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अच्छी प्रथाएं; और कल्याणकारी पहल।

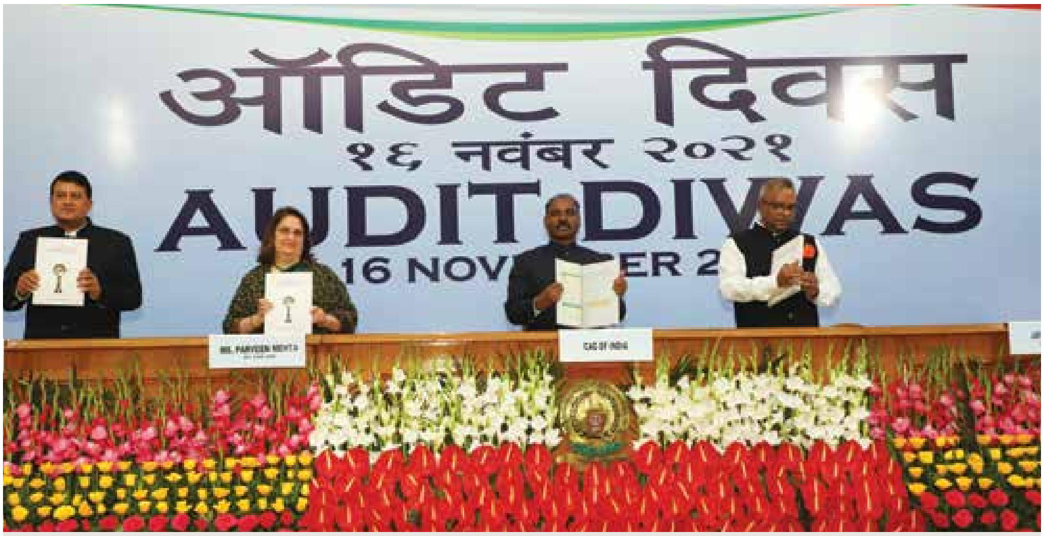

'दा केटलिस्टस-इन परसुएट ऑफ गुड गर्वनैन्स' भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी

यह संकलन उन्नत तकनीकों के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने में साई इंडिया के प्रयासों को दर्शाता है और वित्तीय जवाबदेही स्थापित करने और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

अध्याय 2

क्षमता निर्माण

2.1 प्रस्तावना

साई इंड़िया अपने मजबूत प्रशिक्षण क्षमता के माध्यम द्वारा, व्यावसायिक कौशल तथा विशेषज्ञता के निरन्तर उन्नयन का प्रयास करता है जो सभी ग्रुप 'ए', 'बी' एवं 'सी' कार्मिकों के लिए है। प्रशिक्षण कार्यनीति, प्रशिक्षण तथा ज्ञान सहभाजन प्रदान करने के माध्यम से कार्मिक को अपनी भूमिका के निष्पादन तथा मूल्य निर्माण में सहायता करने तथा मजबूत करने के प्रति उन्मुख है। इसका लक्ष्य ***''पेशेवर तथा संस्थागत विकास को बढा़वा देना''*** है।

2.2 साई इंड़िया में क्षमता निर्माण

क्षमता निर्माण में गहन प्रशिक्षण तथा ज्ञान सहभाजन शामिल हैं। क्षमता निर्माण के उद्देश्य निम्न हैं:

- कार्य-क्षेत्र ज्ञान को सुधारना तथा इसको प्रशिक्षण सामग्री में बदलना
- ज्ञान तथा सूचना सहभाजन
- शिक्षण एवं अध्ययन वातावरण में सुधार करना
- अध्ययन परिणामों में सुधार करना

2.3 प्रशिक्षण कार्य प्रणाली तथा प्रक्रियाएं

i. **केंद्रीय प्रशिक्षण सलाहकार समिति (सीटीएसी)** प्रतिवर्ष प्रशिक्षण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए साई इंडिया में सभी प्रशिक्षण गतिविधियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करती

है। केंद्र बिन्दु, गुणवत्ता तथा औचित्य को सुनिश्चित करने के लिए एनएएए, आईसीसा तथा आईसीईडी के प्रशिक्षण कैलेण्डरों की गहराई से समीक्षा की जाती है। सीटीएसी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की क्षेत्रीय सलाहकार समिति के कार्य का भी निरीक्षण करती है।

ii. **प्रशिक्षण विश्लेषण की आवश्यकता**, प्रशिक्षण के लिए सुव्यवस्थित दृष्टिकोण की ओर पहला कदम है तथा इसे पाठयक्रमों के प्रभावकारी रूप-रेखा, कार्यान्वयन तथा प्रशिक्षण के मूल्यांकन के लिए प्रतिवर्ष कार्यान्वित किया जाता है। यह विश्लेषण यह निर्धारित करने में भी सहायता करता है कि कौन से नये या भिन्न-भिन्न कौशल नवीनतम चुनौतियों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

iii. **संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल** को सभी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए उपयोग किया जाता है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है तथा समकक्ष समीक्षा की जाती है। प्रशिक्षण मोड्यूल के लिए विषय-वस्तु अधिकारियों की एक टीम जो विषय-वस्तु विशेषज्ञ होते हैं, के द्वारा विकसित की जाती है।

31 मार्च 2022 तक, 68 एसटीएम विकसित किए गए, समकक्ष समीक्षा की गई तथा प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए आरटीआई/आरटीसी को भेजा गया। निम्नलिखित एसटीएम, 2021-22 के दौरान विकसित किए गए थे:

- सार्वजनिक ऋण प्रबंधन और व्यय प्रबंधन की बुनियादी बातें
- आईएएडी द्वारा संभाले गए कानूनी मामले
- आर के साथ डेटा विश्लेषिकी
- राज्य सरकार के लेखाओं के लिए वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा दिशा-निर्देश और राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना

iv. वैयक्तिक अध्ययन/शोधपत्रों का विकास

वैयक्तिक अध्ययन परिपक्व शिक्षा विधि हेतु सशक्त तथा व्यवहारिक उपकरण है। वैयक्तिक अध्ययन प्रक्रिया एक अध्ययन कक्ष बनाती है जिसमें विद्यार्थी साधारण तौर पर तथ्यों तथा सिद्धांतों को आत्मसात कर के सीखते हैं अपितु वास्तविक मामलों में विश्लेषण, संश्लेषण, नेतृत्व तथा दल कार्य के कौशल का उपयोग करके भी सीखते हैं।

वैयक्तिक अध्ययनों की तैयारी हेतु भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनस, हैदराबाद के संयोजन से एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। सभी आरटीआई/आरटीसी को नवम्बर 2017 में इस पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे कि नीतिशास्त्र तथा नैतिक मूल्यों, व्यवसाय प्रक्रिया पुन: अभियांत्रिकीकरण और लैंगिक संवेदीकरण पर वैयक्तिक अध्ययन मॉडल के साथ-साथ वैयक्तिक अध्ययन का विकास तथा निर्माण कैसे किया जाए।

2021-22 के दौरान 'माल और सेवाओं के तहत आपूर्ति स्थल', 'निर्माण कार्य संविदाओं में निरस्तीकरण' और 'वन प्राप्तियों' पर तीन वैयक्तिक अध्ययन विकसित किए गए थे।

2.4 साई इंड़िया के संस्थानों में प्रशिक्षण

साई इंडिया की प्रशिक्षण अवसंरचना में तीन केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, 10 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र सम्मिलित है।

2.4.1 केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण

2.4.1.1 राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी, (एनएएए)

2021 के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और एनएएए के बीच अकादमी में समावेशन प्रशिक्षण के सफल समापन पर हमारे अधिकारी प्रशिक्षुओं को सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षा, लेखा और वित्तीय प्रबंधन में मास्टर डिग्री प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

2021-22 के दौरान एनएएए ने 2019, 2020 और 2021 बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए समावेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न चरणों का आयोजन किया, जिसमें 59 (आईएएंडएएस) अधिकारी प्रशिक्षुओं और भूटान के रॉयल लेखापरीक्षा प्राधिकरण के छह अधिकारियों ने अकादमी में प्रशिक्षण लिया था। 2019 बैच के 15 आईएएंडएएस प्रशिक्षुओं ने अगस्त 2021 में अकादमी में सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया और अकादमी में अपना चरण-1 प्रशिक्षण पूरा करने वाले 2020 बैच के 25 आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षु वर्तमान में अपने कार्यस्थलीय प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में हैं। 2021 बैच के 19 आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षु और रॉयल लेखापरीक्षा प्राधिकरण भूटान के दो अधिकारी मार्च 2022 में अकादमी में समावेशन प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं और वर्तमान में अकादमी में चरण-1 प्रशिक्षण में हैं।

उपरोक्त के अलावा 2021-22 के दौरान, अकादमी में 'सुशासन में लेखापरीक्षा की भूमिका' पर एक कार्यशाला सहित 13 इन-सर्विस पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 225 अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, अकादमी में 'शिक्षा में जवाबदेही' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया।

2.4.1.2 अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तथा लेखापरीक्षा केंद्र (आईसीसा)

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों[1] के संचालन के अलावा, आईसीसा ने 2021-22 के दौरान कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ऑनलाइन के साथ-साथ ऑनसाइट राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों (एनटीपी) के मेल के साथ आगे कदम बढ़ाया। आईसीसा ने 36 एनटीपी और चार कार्यशालाएं आयोजित कीं जिनमें सूचना प्रणाली, डेटा विश्लेषिकी और अन्य लेखापरीक्षा के क्षेत्रों में 1,032 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

---
[1] *खंड 5 अध्याय 5 पैरा 5.2 का संदर्भ लें*

आईसीसा एक द्विवार्षिक ई-जर्नल-पर्स्युट प्रकाशित करता है, जिसे ईमेल के माध्यम से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रसारित किया जाता है और आईसीसा वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। आईसीसा ने लेखापरीक्षिती सत्त्वों द्वारा उपयोग किए जाने वालेसूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का विवरण एकत्र करने के लिए एक टूलकिट भी विकसित किया है, जिसे सभी क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों के साथ साझा किया गया है।

2.4.1.3 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केंद्र (आईसीईडी)

2021-22 के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण प्रतिबद्धताओं[2] के अलावा, आईसीईडी ने पर्यावरण लेखापरीक्षा के क्षेत्र में 399 अधिकारियों के लिए 11 इन-सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम और पांच सेमिनार भी आयोजित किए, जिनमें रॉयल लेखापरीक्षा प्राधिकरण, भूटान[3] के दो अधिकारी प्रशिक्षु शामिल थे।

आईसीईडी विभिन्न पर्यावरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और अन्य संबंधित विषय-वस्तुओं से प्राप्त जानकारियों को मिलाकर त्रैमासिक सूचना-पत्र 'ग्रीन फाइल्स' जारी करता है, जिसकी साई इंडिया और विदेश में काफी सराहना की जाती है। 2021-22 में आईसीईडी ने नए सामग्री क्षेत्रों को पेश करके 'ग्रीन फाइल्स' की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास जारी रखा।

आईसीईडी ने अधिक परिष्कृत मानदंडों और मापदंडों को शामिल करते हुए साई इंडिया के अंदर पर्यावरण लेखापरीक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन नमूने का भी संवर्धन किया।

2.4.2 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/केंद्र/संस्थानिक प्रशिक्षण में प्रशिक्षण

साई इंडिया के देशभर में 10 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई) और दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आरटीसी) स्थित हैं।क्षेत्रीय कार्यालय क्षमता निर्माण के लिए कार्यालय विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पावधि के आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

2021-22 के दौरान, आरटीआई/आरटीसी ने 575 पाठ्यक्रम आयोजित किए और 14,140 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। इसी अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों ने 417 संस्थानिक पाठ्यक्रम आयोजित किए और 8,330 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।

---

[2] खंड 5 अध्याय 5 पैरा 5.3 का संदर्भ लें

[3] खंड 5 अध्याय 5 पैरा 5.1 का संदर्भ लें

प्रशिक्षण गतिविधियां 2021-22

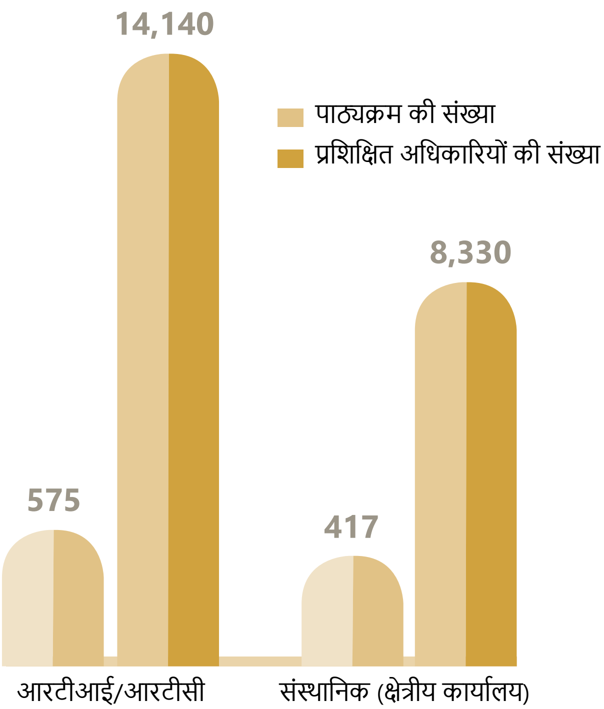

ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जीएसटी, निर्माण कार्य लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा, वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा और आईटी विषयों जैसे डेटा विश्लेषिकी, आईटी वातावरण में लेखापरीक्षा, ओरेकल और कंप्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा तकनीक जैसे विभिन्न विषयों पर आयोजित किए गए थे।

आरटीआई जयपुर में प्रशिक्षण सत्र

आरटीआई मुंबई में प्रशिक्षण सत्र

आरटीआई प्रयागराज में प्रशिक्षण सत्र

2.5 प्रतिष्ठित संस्थाओं में भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारियों के लिए कैरियर माइलस्टोन प्रशिक्षण

ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) को मई 2016 में जारी किए गए डीओपीटी आदेशों के अनुसार संशोधित किया गया था। वर्तमान में इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

i) **7-9 वर्षों की सेवा वाले आईएएडंएएस अधिकारियों के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम** ताकि सार्वजनिक नीति तथा वित्तीय मुद्दों की जानकारी को बढ़ाया जा सके, विश्लेषणात्मक साधनों तथा प्रबंधन सूझबूझ को सुदृढ़ किया जा सके।

ii) **14-16 वर्षों की सेवा वाले आईएएडंएएस अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम** ताकि अवसरों का तथा तकनीकी इनपुटों के विस्तार, विश्लेषणात्मक साधन, प्रबंधन कुशलता तथा अंतर्वैयक्तिक कौशलों को सुदृढ़ किया जा सके।

iii) **26-28 वर्षों की सेवा वाले आईएएडंएएस अधिकारियों के लिए विकसित प्रबंधन विकास कार्यक्रम** ताकि वरिष्ठ प्रबंधकों के द्वारा सामना किए जा रहे बहु-आयामी मुद्दों, जिसमें नीति विकास, निष्पादन प्रबंधन, संगठनात्मक रूपरेखा, मध्यस्थता वार्ता और नेतृत्व सम्मिलित हैं, के अवसरों का विस्तार किया जा सके।

तथापि कोविड महामारी के कारण, 2021-22 के दौरान एमसीटीपी का आयोजन नहीं किया गया था।

2.6 वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा/ लेखा अधिकारियों के लिए बाह्य प्रशिक्षण

2021-22 के दौरान ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में "प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण" और "शोधाक्षमता और दिवालियापन" पर दो ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे, जिसमें 73 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को प्रशिक्षित किया गया था।

2.7 राजकोषीय जोखिम निर्धारण पर प्रशिक्षण

प्रभावी शासन और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में राजकोषीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए उचित जोखिम न्यूनीकरण उपायों की पहचान करने के लिए राजकोषीय जोखिम निर्धारण का बहुत महत्व है। वैयक्तिक राजकोषीय जोखिम की पहचान और मापन, अभिज्ञात राजकोषीय जोखिम का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण, जोखिम न्यूनीकरण उपाय और अंतत: अवशिष्ट जोखिम का उपर्युक्त प्रकटीकरण तैयार करना सरकार में राजकोषीय जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलू हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष- दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (आईएमएफ-एसएआरटीटीएसी) के सहयोग से जुलाई 2021 से मार्च 2022 के दौरान सभी ले. एवं हक. कार्यालयों को कवर करते हुए राजकोषीय जोखिम मूल्यांकन पर पांच वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।इस प्रशिक्षण ने लेखाओं में बेहतर वित्तीय रिपोर्टिंग/प्रकटीकरण के लिए राजकोषीय जोखिमों को समझने में ले. एवं हक. कार्यालयों के अधिकारियों के कौशल, क्षमता और ज्ञान को बढ़ाया। यह प्रशिक्षण, वरिष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार (ले. एवं हक.), वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को दिया गया।

2.8 सरकारी वित्त सांख्यिकी (जीएफएस) और सार्वजनिक क्षेत्र ऋण सांख्यिकी (पीएसडीएस) पर प्रशिक्षण

जी-20 डाटा गैप्स पहल के तहत भारत ने 2021 तक तिमाही आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए सरकारी वित्त सांख्यिकी और सार्वजनिक क्षेत्र ऋण सांख्यिकी डेटा प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई थी। यह निर्णय लिया गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय, आईएमएफ की सरकारी वित्त सांख्यिकी नियमावली-2014 (जीएफएसएम-2014) और संकलकों और उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र ऋण सांख्यिकी मार्गदर्शिका 2011 (ऋण मार्गदर्शिका) ढ़ाचे में निर्धारित वर्गीकरण के अनुसार सरकारी वित्त सांख्यिकी और सार्वजनिक क्षेत्र ऋण सांख्यिकी के संबंध में राज्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से 15 अंकों का डेटा उपलब्ध कराएगा।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष- दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (आईएमएफ-एसएआरटीटीएसी) के सहयोग से नवंबर-दिसंबर 2021 के दौरान सभी ले. एवं हक. कार्यालयों को शामिल करते हुए एक वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह प्रशिक्षण 65 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को दिया गया था, जो डेटा संकलित करने के लिए उत्तरदायी हैं।इस प्रशिक्षण ने जीएफएसएम-2014 वर्गीकरण में राज्यों के राजकोषीय डेटा के सरल अनुवाद हेतु सरकारी वित्त सांख्यिकी नियमावली-2014 (जीएफएसएम-2014) और संकलकों और उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र ऋण सांख्यिकी मार्गदर्शिका 2011 (ऋण मार्गदर्शिका) ढांचे के लेखांकन/वर्गीकरण ढांचे को समझने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के अधिकारियों के कौशल और ज्ञान में वृद्धि की है।

2.9 वार्षिक लेखाओं की समीक्षा, समय-सूची और राजकोषीय संकेतकों को अंतिम रूप देने पर कार्यशाला

राज्यों के वार्षिक लेखाओंको अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए वार्षिक लेखाओं की समीक्षा, समय सूची और राजकोषीय संकेतकों को अंतिम रूप देने पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 26 नवंबर 2021 को आईसीईडी, जयपुर में किया गया था। इस कार्यशाला में आईएएंडएएस के 15 अधिकारियों (मुख्यालय के अधिकारियों सहित) और सरकारी लेखा शाखा के सभी डेस्क अधिकारियों ने भाग लिया था।

2.10 क्षमता निर्माण के लिए अन्य प्रशिक्षण/व्याख्यान

(i) केरल में सीपीडब्ल्यूडी के तहत भवन का मूल्यांकन, पीएसयू की दुर्दशा का शीघ्र पता लगाने और इसके उपचारात्मक उपायों आदि जैसे विषयों पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिष्ठित संकाय के साथ ऑनलाइन बैठकें आयोजित की गईं थी।

(ii) तमिलनाडु में लेखापरीक्षा कार्यों को करने के लिए माल एवं सेवा कर, टैनजेडको में एचटी बिलिंग की लेखापरीक्षा, भारतीय लेखाकरण मानक, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग आदि जैसे विभिन्न विषयों में नवीनतम विकास पर प्रशिक्षण देने के लिए व्याख्यान आयोजित किए गए थे।

(iii) उत्तराखंड में निर्माण कार्य लेखापरीक्षा, अधिप्राप्ति की लेखापरीक्षा, जीएसटी आदि विषयों पर अतिथि वक्ताओं के माध्यम से व्याख्यान आयोजित किए गए थे।

2.11 2021-22 के दौरान विशेष उपलब्धियां

2021-22 के दौरान क्षमता निर्माण में अन्य माइलस्टोन भी इस प्रकार हैं:

i) वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए मध्य-कार्यकाल प्रशिक्षण कार्यक्रम

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए पांच स्तरीय मध्य-कार्यकाल प्रशिक्षण कार्यक्रम को अप्रैल 2021 में मंजूरी दी गई थी और इसके कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अगस्त 2021 में विकसित की गई थी। मार्च 2022 में एमसीटीपी को आरटीआई, आरटीसी और अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए शुरू किया गया है। 2021-22 के दौरान 11 एमसीटीपी (आरटीआई/आरटीसी पर 10 लेवल दो एमसीटीपी और एजेएनआईएफएम में एक लेवल 5 एमसीटीपी) आयोजित किए गए थे और 293 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था।

ii) वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए स्व-नामांकन योजना

नवंबर 2021 में स्व-नामांकन योजना को संशोधित किया गया था ताकि वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों की भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण में भी भाग लेने हेतु सक्षम बनाया जा सकें।

2021-22 के दौरान 15 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को तीन पाठ्यक्रम अर्थात् एक पाठ्यक्रम को आईआईएम कोलकाता में और दो पाठ्यक्रमों को आईआईएम इंदौर में प्रशिक्षित किया गया था।

iii) सिस्टम ऑटोमेशन इनिशिएटिव (साई) प्रशिक्षण एप्लीकेशन

साई प्रशिक्षण एप्लीकेशन ने विकास के तीसरे चरण में प्रवेश किया है जिसके दौरान वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए ई-परिपत्र, क्वेरी/फीडबैक मॉड्यूल और एमसीटीपी मॉड्यूल जोड़े गए थे। लॉगिन मॉड्यूल और डैशबोर्ड को उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए पुन: डिज़ाइन किया गया था।

iv) सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) परीक्षा के लिए पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण

क्षेत्रीय कार्यालयों और आईसीसा नोएडा द्वारा संस्थानिक प्रशिक्षण व्यवस्था के अलावा अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जैसे बाहरी प्रशिक्षण भागीदारों को वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों/वरिष्ठ डीएओ/डीएओ-1 के लिए सीपीडी पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया गया है। 2021-22 के दौरान इन कार्यक्रमों में 5,338 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था।

v) सूचना प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण

साई इंडिया के एक ऑनलाइन आईटी प्रशिक्षण आवश्यकता सर्वेक्षण को साई प्रशिक्षण एप्लीकेशन के माध्यम से किया गया था, जिसमें साई इंडिया के 77 *प्रतिशत* से अधिक कर्मचारियों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की गई थीं। सर्वेक्षण के परिणाम सभी कार्यालयों के साथ-साथ प्रशिक्षण संस्थानों को भी उपलब्ध कराए गए थे ताकि वे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान अंतराल का विश्लेषण कर सकें और तदनुसार वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार कर सकें।

vi) सेल्फ-लर्निंग मॉड्यूल (एसएलएम)

साई इंडिया के सभी अधिकारियों को आईटी के इष्टतम कार्यात्मक ज्ञान से लैस करने के लिए एमएस-वर्ड, एमएस-एक्सेल, एमएस-एक्सेस, एमएस-पावरपॉइंट, ई-मेलिंग, ई-ऑफिस, पीएफएमएस, बीईएमएस और स्पैरो (एनआईसी के माध्यम से) पर आरटीआई के माध्यम से संस्थानिक सेल्फ-लर्निंग मॉड्यूल आंतरिक रूप से विकसित किए गए थे। ये मॉड्यूल साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से सभी कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए थे। क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे इन एसएलएम पर आवधिक आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करें, जिसके उत्तीर्ण होने का समापन सफल उम्मीदवारों के प्रमाणन के रूप में होना चाहिए। इस तरह की पहली परीक्षा मार्च 2022 में 67 कार्यालयों द्वारा आयोजित की गई थी जिसमें 4,944 कर्मचारियों ने परीक्षा दी और 4,005 कर्मचारियों को सफल घोषित किया गया था।

(vii) समावेशन प्रशिक्षण के लिए पुस्तिका

2022-23 से कार्यान्वयन हेतु नए भर्ती किए गए ऑन-बोर्डिंग सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए समावेशन प्रशिक्षण के लिए एक पुस्तिका विकसित की गई थी। यह पुस्तिका सभी आरटीआई/आरटीसी में समावेशन प्रशिक्षण मॉड्यूल को मानकीकृत करने में मदद करेगी।

2.12 निष्पादन निगरानी ढ़ाचा

साई इंडिया की क्षेत्रीय प्रशिक्षण क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए मध्यावधि रोडमैप के अनुसार उनके बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए आरटीआई को पर्याप्त संसाधन आवंटित किए गए थे। उन्नयन के लिए एक समुचित निगरानी प्रणाली की आवश्यकता थी। इससे निपटने के लिए मात्रात्मक मापदंडों वाले आरटीआई के लिए निष्पादन निगरानी ढ़ाचा (पीएमएफ) तैयार किया गया था और 2015-16 में शुरू किया गया था। पीएमएफ में आरटीआई की आंतरिक प्रक्रियाओं को हितधारकों की अपेक्षाओं से जोड़कर उत्कृष्टता को आंतरिक और संस्थागत बनाने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण और प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। आरटीआई और उसके उपयोगकर्ता कार्यालयों द्वारा आवंटित स्कोर को आरटीआई का भौतिक निरीक्षण करके सत्यापित किया जाता है। पीएमएफ सत्यापन मैट्रिक्स को अगस्त 2019 में आयोजित आरटीआईएस/आरटीसी के प्रमुखों के सम्मेलन के विचार-विमर्श के आधार पर संशोधित किया गया था। संशोधित मापदंडों का उपयोग करते हुए नौ आरटीआई/आरटीसी के संबंध में वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए पीएमएफ सत्यापन को 2021-22 के दौरान पूरा किया गया था।

अध्याय 3

आंतरिक नियंत्रण और गुणवत्ता मूल्यांकन

3.1 निरीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता प्रबंधन

बोर्ड में साई इंडिया के सभी कार्यात्मक कार्यालयों की परीक्षण जांच करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण और समकक्ष समीक्षा विंग (आईपीआर) में निहित है। विंग व्यावसायिक घोषणाओं और प्रशासनिक निर्देशों के अनुपालन पर आश्वासन प्रदान करने की दृष्टि से निरीक्षण कार्य करता है; अंतर विश्लेषण, मानव पूंजी और दक्षता अनुकूलन के इष्टतम उपयोग के लिए पाठ्यक्रम सुधार की सुविधा प्रदान करता है। निरीक्षण अलग-अलग कार्यालयों में पाई गई बेहतर प्रथाओं को साझा करने के लिए एक आधार प्रदान करता है।

अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए विंग, शाखा कार्यालयों सहित क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थल निरीक्षण करता है। इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए जोखिम मापदंडों पर आधारित एक बिंदु प्रणाली के आधार पर कार्यालयों का चयन किया जाता है।

मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यात्मक स्कंधों के निरीक्षण और उत्तरदायित्व की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तंत्र मौजूद हैं:-

क. निरीक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी और सहभागी बनाने के लिए विंग ने संबंधित कार्यात्मक विंगों के प्रमुखों के साथ नियमित संवाद के माध्यम से सभी हितधारकों के साथ तालमेल में सुधार करने और इसे बनाए रखने का प्रयास किया है;

ख. निरीक्षण दल उपलब्ध सामग्री जैसे पूर्ववर्ती समकक्ष समीक्षा प्रतिवेदन/निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण किए जाने वाले कार्यालयों से मांगी गई विस्तृत जानकारी और नियमित आधार पर कार्यात्मक विंगों से प्राप्त आवधिक विवरणियों/आदानों का डेस्क अध्ययन करते हैं।

क्षेत्रीय कार्यों के शरू होने से पहले और पूरा होने के बाद दल उच्चतम स्तर पर ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग सत्रों से गुजरती हैं;

ग. प्रतिवेदन मानक प्रारूपों में तैयार किए जाते हैं, संक्षिप्त होते हैं और रचनात्मक तरीके से हितधारकों की भागीदारी के लिए सिफारिशों को शामिल किए हुए होते हैं;

घ. क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण और विशिष्ट मुद्दों पर जांच सूची और संबंधित समूहों के परामर्श से तैयार कार्यात्मक कार्यक्षेत्रों का उपयोग निरीक्षण दलों द्वारा किया जाता है;

ङ. सभी निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर), डिजिटल रूप में जारी की जाती हैं और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वेबसाइट पर ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) पोर्टल के तहत अपलोड भी की जाती हैं। वर्ष 2014-15 से 2020-21 के आईआर, केएमएस पोर्टल पर उपलब्ध हैं और वर्ष 2021-22 के आईआर अपलोड करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

च. इन अभ्युक्तियों का अनुपालन क्षेत्रीय कार्यालयों से दो श्रेणियों अर्थात् (i) श्रेणी-क जहां अनुपालन कार्यालय द्वारा ही समयबद्ध तरीके से किया जाना है, और (ii) श्रेणी-ख जहां अनुपालन राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि जैसी बाह्य एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर है के अंतर्गत मांगा जाता है। अलग-अलग कार्यालयों को सलाह दी गई है कि वे एक समय सीमा तय करें जिसके भीतर आईआर में उठाई गई सभी अभ्युक्तियों का अनुपालन किया जाना है।

3.2 वर्ष 2021-22 के दौरान गतिविधियां

- 2021-22 के दौरान (2020-21 जैसी कोविड-19 महामारी से प्रभावित) कार्यप्रणाली को संशोधित करके निरीक्षण किया गया था, जिसमें मुख्यालय की टीम ने क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त जानकारी और स्कैन किए गए दस्तावेजों के आधार पर दूरस्थ रूप से प्रारंभिक डेस्क समीक्षा की थी। इसके बाद मुख्यालय की टीम द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को कई निरीक्षण ज्ञापन जारी किए गए। तत्पश्चात उस स्टेशन के समूह अधिकारी की अध्यक्षता में टीम द्वारा कार्यालय की सूचना का सत्यापन और अभिलेखों की जांच की गई थी। इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालयों में निरीक्षण दलों और मुख्यालय में संबंधित अधिकारियों के समन्वय से निरीक्षण रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया और महानिदेशक (निरीक्षण) द्वारा जारी किया गया।
- 2021-22 के दौरान, 15 क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण की योजना बनाई गई थी और पूरा किया गया था। उठाए गई, निपटाई गई और बकाया अभ्युक्तियों का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:-

योजनाबद्ध निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	2021-22 के दौरान जारी आईआर/ अभ्युक्तियों की संख्या		2021-22 के दौरान निपटाई गईअभ्युक्तियों की संख्या	मार्च 2022 के अंत में बकाया पैरा/आईआर की संख्या	
		आईआर	पैरा		पैरा की संख्या	आईआर की संख्या
15	15	24	2324	1336	1632	37

- वर्ष 2018-19 और 2019-20 की निरीक्षण रिपोर्टों में शामिल अभ्युक्तियों(मुख्य और लघु के रूप में वर्गीकृत) वाली एक पुस्तिका तैयार की गई थी और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को परिचालित की गई थी ताकि यदि कोई भी अभ्युक्ति उनके कार्यालय के लिए प्रासंगिक हो तो उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।
- निरीक्षण रिपोर्टों की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से निरीक्षण कार्मिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

3.3 आंतरिक समकक्ष समीक्षा

आईपीआर विंग गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के हिस्से के रूप में साई इंडिया में कार्यालयों की समकक्ष समीक्षा को आयोजित करता है। ये "समकक्ष समीक्षा के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन" पर दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। साई निष्पादन मापन ढ़ाँचा (एसएआई-पीएमएफ) के साथ संरेखित करने के लिए, इन दिशा-निर्देशों को वर्ष के दौरान संशोधित किया गया था और इसे 'लेखापरीक्षा कार्यालयों के लिए समकक्ष समीक्षा दिशा-निर्देश 2021' शीर्षक दिया गया था। इन दिशा-निर्देशों का दायरा लेखापरीक्षा कार्यालयों की समीक्षा तक सीमित है।

- वर्ष 2021-22 के दौरान, 15 कार्यालयों (ले. एवं हक. कार्यालय-03 और लेखापरीक्षा कार्यालय-12) की समकक्ष समीक्षा की योजना बनाई गई थी। तीन ले. एवं हक. कार्यालयों में से एक कार्यालय की समकक्ष समीक्षा पूरी कर ली गई है और शेष दो की समकक्ष समीक्षा प्रगति पर है। 12 लेखापरीक्षा कार्यालयों में से पांच का चयन शुरू में प्रारंभिक आधार पर किया गया था, जिसे नए समकक्ष समीक्षा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना था। ये समकक्ष समीक्षा प्रगति पर है।
- प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने और समकक्ष समीक्षा रिपोर्ट की अधिक उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए, इस वर्ष से समकक्ष समीक्षा रिपोर्ट से सीखे गए महत्वपूर्ण बिंदु/सबक के प्रसार की एक नई पहल शुरू की गई थी। 2017-18 से 2020-21 तक समकक्ष समीक्षा रिपोर्ट की सभी महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को संकलित किया गया और साई इंडिया के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी किया गया ताकि उन कार्यालयों से संबंधित अभ्युक्तियों का उपयोग सुधारात्मक कार्रवाई के लिए किया जा सके, जहां भी उपयुक्त हो।

अध्याय 4
हमारी आईटी पहल

साई इंडिया विभिन्न पृथक विरासत आईटी एप्लीकेशन से केंद्रीकृत आईटी समाधानों में निरंतर विस्थापित कर रहा है। केंद्रीकृत समाधानों को व्यवस्थित करना सरल है और केंद्रीकृत प्रयुक्ति में लागत प्रभावी तरीके से अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था को परिनियोजित किया जा सकता है। डिजिटल समाधानों की तरफ जाना हमारी कार्य प्रक्रियाओं के मानकीकरण के उद्देश्य द्वारा सुस्पष्ट होता है, जो प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता को प्रसंस्करित करने और सुधार करने हेतु अथवा लेखापरीक्षा कार्यों के लिए अन्य सरकारी आईटी एप्लीकेशन द्वारा सृजित किए गए डिजिटल डेटा का लाभ लेने हेतु लगने वाले समय को कम करता है।

साई इंडिया में प्रयुक्तियों को सेवाओं की उच्च उपलब्धता और बेहतर गुणवत्ता/निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु डिजाइन किया गया है। नए केंद्रीकृत समाधानों मे उन्नत साइबर हमलों से निपटने के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा संरचना शामिल है। सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु एक स्वतंत्र बाह्य सरकारी नामिकायित एजेंसी द्वारा नेटवर्क अवसंरचना और एप्लीकेशन की सुरक्षा लेखापरीक्षा अनिवार्य रूप से की जाती है।

साई इंडिया में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का प्रयोग निम्नलिखित श्रेणियों के तहत व्यापक रूप से समूहित किया जा सकता है:

- नए आईटी एप्लीकेशन का डिजाइन करना अथवा उसे लागू करना
- वर्तमान आईटी एप्लीकेशन को सहायता देना विशेषकर लेखाकरण और हकदारी कार्यों के संबंध में
- सहायक आईटी अवसंरचना का प्रबंधन और रखरखाव
- लेखापरीक्षा कार्यों की योजना बनाने और निष्पादन करने में सहायता हेतु डेटा विश्लेषण के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है
- सरकारी और अन्य लेखापरीक्षिति सत्त्वों की आईटी प्रणालियों की लेखापरीक्षा

4.1 हाल की पहल और विकास

भारत सरकार के आईटी 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के परिपेक्ष्य में साई इंडिया इसकी व्यावसायिक प्रक्रिया और अभिलेख को पूर्णत: डिजिटल करने की प्रक्रिया में है। वन-आईएएंडएडी-वन-सिस्टम (ओआईओएस) एप्लिकेशन, आद्योपान्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया और सूचना प्रबंधन प्रणाली-साई इंडिया का प्रमुख लेखापरीक्षा कार्य जिसका विकास, कार्यान्वयन और रोल आउट प्रक्रिया के अंतर्गत है। क्षेत्रीय कार्यालय ई-ऑफिस (एनआईसी की फाइल प्रबंधन और अंतरण प्रणाली) एप्लीकेशन पर कार्यरत और प्रशिक्षित थे। हमारे कार्मिकों के लिए एक व्यापक एचआर पैकेज (ई-एचआरएमएस) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त साई इंडिया के पास मुख्यालय मे डेटा प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (सीडीएमए) भी मौजूद है। सीडीएमए अन्य सरकारी एप्लीकेशन और उनके द्वारा सृजित डेटा की केंद्रीकृत पहुँच प्राप्त करने के लिए एक केंद्र बिन्दु के रूप में कार्य करता है और समंक विश्लेषण और डेटा पुन: स्थापन में साई इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता करता है। सीडीएमए ने चयनित लेखापरीक्षा कार्यों हेतु केंद्रीकृत डेस्क समीक्षा करना भी आरंभ किया है।

साई इंडिया ने आईटी लेखापरीक्षाओं हेतु लेखापरीक्षिति आईटी प्रणालियों के जोखिम प्रबंधन और वरीयता तथा रिपोर्टिंग की मध्यावधि समीक्षा के माध्यम से योजना और डिजाइन से पृथक आईटी लेखापरीक्षा कार्यों के मार्गदर्शन को लक्ष्य मानते हुए पृथक आईटी लेखापरीक्षा कार्य भी करता है।

4.1.1 वन-आईएएंडएडी-वन-सिस्टम

4.1.1.1 ओआईओएस का डिजाइन, विकास और रोल आउट

साई इंडिया लगभग 45,000 कार्यरत व्यक्तियों का एक बड़ा संगठन है जिसमें से लगभग 29,000 कर्मचारी (इसके 150+ कार्यालयों में तैनात) इसके प्रमुख लेखापरीक्षा कार्यों में शामिल हैं।

साई इंडिया ने 2019 में लेखापरीक्षा प्रक्रिया स्वचालन और ज्ञान प्रबंधन हेतु एक व्यापक आईटी प्रणाली का विकास, कार्यान्वयन और रोल आउट आरंभ किया, जिसका नाम वन-आईएएंडएडी-वन-सिस्टम (ओआईओएस) है। यह एक कार्यप्रवाह-आधारित आईटी एप्लीकेशन है जिसके तहत वास्तविक काल में आद्योपान्त सभी गतिविधियां की जाती है। समाधान में तीन मुख्य घटक शामिल हैं:

क. व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन प्रणाली जिसके माध्यम से लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा डिजाइन, लेखापरीक्षा निष्पादन, लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी गतिविधियां की जा सकती हैं। इसमें सभी प्रकार की लेखापरीक्षा (वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा) शामिल है।

ख. ज्ञान प्रबंधन प्रणाली जिसमें लेखापरीक्षितियों (जैसे कि नीतिगत टिप्पणियां, सरकारी आदेश, रिपोर्ट, अधिनियम, नियमावली, परिपत्र, निर्देश, दिशा-निर्देश इत्यादि) से संबंधित असंगठित सूचना और लेखापरीक्षा प्रकियाओं (अधिदेश, विनियम, स्थायी आदेश, दिशा-निर्देश, मार्गदर्शन टिप्पणियां, कार्यप्रणाली टिप्पणियां इत्यादि) का अनुरक्षण किया जाता है।

ग. रिपोर्टिंग मॉड्यूल जिसमें एमआईएस रिपोर्ट और डैशबोर्ड को निर्मित और प्रबंधित किया जा सकता है।

ओआईओएस एप्लीकेशन में एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन भी शामिल है जो जिओटैग इमेज, विडियो और दस्तावेजों को कैप्चर करने में सहायता करती है और मुख्य दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उन्हें संलग्न करती है। भौगोलिक अवस्थिति में जहां इंटरनेट संबद्धता कम होती है या नहीं होती है, लेखापरीक्षा निष्पादन को सुनिश्चित करने की दिशा में ऑफलाइन मॉड्यूल भी ओआईओएस एप्लीकेशन का भाग होती है।

ओआईओएस एप्लीकेशन के डिजाइन और विकास की प्रक्रिया पुनरावर्ती विकास हेतु एजाईल स्कृम मेथोडोलोजी पर आधारित है।

4.1.1.2 ओआईओएस एप्लीकेशन विकास और रोल आउट की स्थिति

ओआईओएस हेतु एप्लीकेशन विकास प्रक्रिया में है। प्राथमिक कार्यात्मक मॉड्यूलों (क्षेत्रीय ऑडिट पार्टी द्वारा लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा निष्पादन, लेखापरीक्षा उत्पादों-निरीक्षण रिपोर्ट, लेखापरीक्षा रिपोर्ट सामग्री की समीक्षा और अंतिम रूप प्रदान करना) को विकसित किया गया है। मोबाईल स्कैनर ऐप और ऑफलाइन ऐप भी शुरू किए गए हैं।

प्रत्येक क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय या शाखा कार्यालय में रोलिंग आउट और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में विभिन्न व्यापक गतिविधियां अर्थात, आरंभिक कार्य; बेस कैम्प (मास्टर डेटा कैप्चर और सहायक गतिविधियां शामिल है); प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है।

कार्यालय-स्तर पर कार्य प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करने की दिशा में साई इंडिया के विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों पर ओआईओएस कार्यात्मक हेल्पडेस्क के लिए समर्पित पदों को निर्मित किया गया था। प्रत्येक हेल्पडेस्क वाला व्यक्ति कार्यालयों के समूह की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। यदि उपयोगकर्ता किसी परेशानी का सामना करता है तो ये संपर्क के प्रथम स्तर के रूप में कार्य करते हैं।

साई इंडिया के कार्यालयों में ओआईओएस का रोल आउट नवंबर 2020 में आरंभ हुआ और वर्तमान में 102 लेखापरीक्षा कार्यालयों (65 मुख्य और 37 शाखा लेखापरीक्षा कार्यालयों) द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। समग्र कार्यान्वयन संकेतकों को नीचे दर्शाया गया है। उपयोग और कार्यान्वयन, परिपक्वता के विभिन्न चरणों पर हैं।

65 मुख्य कार्यालय

37 शाखा कार्यालय

23,624 कर्मचारी

7,65,665 लेखापरीक्षिती सत्व

11,621 क्षेत्रीय लेखापरीक्षा

89,038 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

102 लेखापरीक्षा कार्यालयों का परिपक्वता सूचकांक

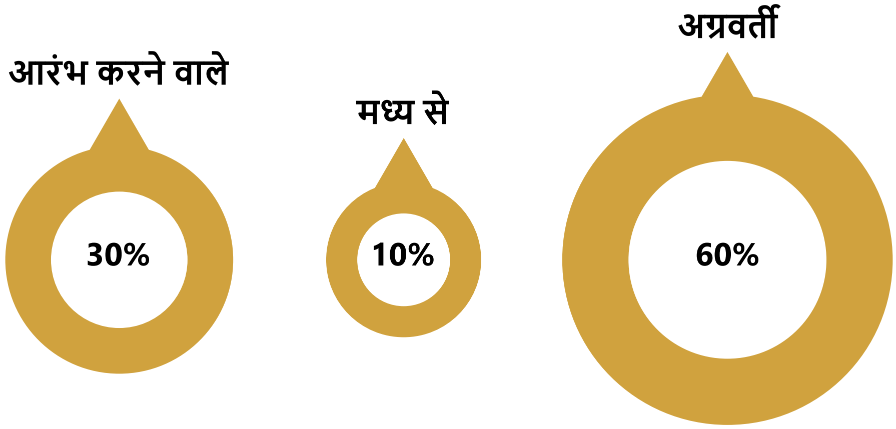

यह परिकल्पित किया गया है कि ओआईओएस को 2023 तक पूर्णत: रोल आउट किया जाएगा।

4.1.1.3 डाटा सेंटर और अन्य तकनीकी सेवाओं की स्थिति

ओआईओएस हमारे डेटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को बनाए रखने के लिए कठोर नियंत्रण लागू करता है। एप्लीकेशन को चरण-3 सह-स्थित डेटा सेंटर में होस्ट किया गया है और इसने पेशेवर सेवाओं द्वारा प्रबंधित उन्नत सुरक्षा संरचना को परिनियोजित किया है। सेवा की निरंतरता

सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवसाय-महत्वपूर्ण घटकों को उच्च उपलब्धता मोड में समनुरूप बनाया गया है और विफलता दृष्टिकोण के साथ आपदा बहाली केंद्र भी शामिल है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं सहित अवसंरचना में पर्याप्त अतिरेक का प्रावधान किया गया है।

ओआईओएस परियोजना के लिए डेटा सेंटर एनसीआर क्षेत्र में और चेन्नई के पास आपदा बहाली डेटा सेंटर स्थापित किया गया है, दोनों को चालित कर दिया गया है।आपदा की स्थिति में डेटा हानि (अधिकतम 15 मिनट) और व्यवसाय को फिर से शुरू करने (4 घंटे के भीतर) को कम करने के लिए दो नियरलाइन डेटा सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। डीआर सेट-अप की तत्परता सुनिश्चित करने के लिए छमाही आपदा बहाली (डीआर) ड्रिल आयोजित की जा रही हैं।

4.1.2 सुरक्षित आईएएडी वीएलएएन का कार्यान्वयन

साई इंडिया के मुख्य कार्यालयों को आईएएडी-नेट नामक वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, जो एनआईसी-नेट का हिस्सा है। इस नेटवर्क का प्रबंधन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किया जाता है।आईएएडी नेट को साई इंडिया के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि साई इंडिया की विशिष्ट आईटी एप्लीकेशनों तक पहुंच को उचित रूप से प्रतिबंधित किया जा सके और एनआईसी के केंद्रीकृत खतरा प्रबंधन समाधान का उपयोग करके इंटरनेट तक पहुंच को सुरक्षित किया जा सके।

यह देखते हुए कि कार्यालय का अधिक कामकाज वेब-आधारित एप्लीकेशनों में किया जा रहा है, अत: आईएएडी-नेट तक सुरक्षित पहुंच होना महत्वपूर्ण है। इसलिए मौजूदा लैन अवसंरचना के पुनरुद्धार और सुरक्षित आईएएडी वीएलएएन और वाई-फाई पहुंच स्थापित करने के लिए परियोजना शुरू की गई है। इस योजना को क्षेत्रीय कार्यालयों के कवरेज के संदर्भ में चार चरण (1, 2ए, 2बी और 3) में बांटा गया है। इसके अलावा केंद्रीकृत विन्यास को अंतिम रूप देने के लिए (जिसे सभी कार्यालयों में दोहराया जाएगा), आरंभिक कार्यान्वयन के लिए पांच कार्यालयों को चुना गया था और विन्यास का अंतिम परीक्षण दिसंबर 2021 में पूरा हो गया था।

नए नेटवर्क को कार्यालयों में ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चरण-1 और 2ए कार्यालयों (प्रत्येक 32 कार्यालयों) का कार्य अग्रिम चरणों में है। चरण-1 में 14 कार्यालयों को पहले ही ऑनबोर्ड किया जा चुका है।

4.1.3 मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस)

साई इंडिया के कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने और मानव संसाधन/ प्रशासन संबंधी गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए एचआर प्रबंधन आईटी एप्लिकेशन (ई-एचआरएमएस) के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। ई-एचआरएमएस एप्लीकेशन को एनआईसी द्वारा डिजाइन किया गया है। यह कार्यभार ग्रहण करने से लेकर सेवानिवृति तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर्मचारियों के अभिलेखों का रखरखाव करेगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मुख्यालय में आरंभिक कार्यान्वयन किया गया है। परियोजना कार्यक्षेत्र में विरासत सेवा अभिलेखों का डिजिटलीकरण और विभिन्न प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रक्रिया कार्यप्रवाह कैप्चर करना शामिल है। एनआईसीएसआई एक सूचीबद्ध एजेंसी है जो डिजिटल विरासत सेवा पुस्तकें (स्कैनिंग और डेटा प्रविष्टि) तैयार करने में लगी हुई थी। कर्मचारी सेवा पुस्तिकाओं को स्कैन किया गया है और उनके डेटा को डिजिटल सेवा पुस्तकों में दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने ई-एचआरएमएस के माध्यम से अवकाश के लिए आवेदन करना और संसाधित करना शुरू कर दिया है।

4.1.4 ई-ऑफिस का कार्यान्वयन

ई-ऑफिस डिजिटल कार्यप्रवाह-आधारित एप्लीकेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलों के आद्योपान्त संचालन/स्टोरेज की अनुमति देता है। यह एनआईसी द्वारा विकसित वेब-आधारित एप्लीकेशन है और इसे इंटरनेट द्वरा एक्सेस किया जा सकता है। ई-ऑफिस का कार्यान्वयन प्रशासनिक गतिविधियों को संसाधित करने पर केंद्रित है।

वर्तमान में 74 कार्यालय विभिन्न सीमा तक ई-ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं और 18,000 से अधिक उपयोगकर्ता बनाए गए हैं अथवा लगभग 49,000 फाइलों को ई-ऑफिस के माध्यम से संसाधित किया गया है।

4.2 सहायक आईटी अवसंरचना का प्रबंधन और रखरखाव

साई इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपयोग करने हेतु आईटी हार्डवेयर, आईटी-एएमसी, उपभोग्य सामग्रियों और सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए निधि का आवंटन का प्रबंधन केंद्रीय स्तर पर किया जाता है। ओआईओएस और अन्य आईटी एप्लीकेशन के रोल-आउट के साथ और कोविड महामारी, जिसके द्वारा वर्क फराम होम करने की सुविधा पर जोर दिया गया जिसके मद्देनजर साई इंडिया के अधिकारियों के लिए समर्पित एंडपॉइंट डिवाइस (लैपटॉप/डेस्कटॉप) की सुविधा को प्रोत्साहन दिया गया था। यह बड़े पैमाने पर लैपटॉप और डेस्कटॉप की केंद्रीकृत खरीद के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान ऑडिट पार्टी को ओआईओएस पर कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए मोबाइल वाई-फाई उपकरण भी प्रदान किए गए हैं।

4.3 डेटा प्रबंधन और विश्लेषिकी केंद्र तथा आईटी प्रणाली की लेखापरीक्षा

डेटा प्रबंधन और विश्लेषिकी केंद्र (सीडीएमए), साई इंडिया में डेटा विश्लेषणात्मक संबंधित गतिविधियों के लिए केंद्रीय बिंदु है। यह चुनिंदा लेखापरीक्षा के कार्यभार हेतु डेटा विश्लेषिकी पर क्षेत्रीय कार्यालयों को मार्गदर्शन प्रदान करता है, अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करता है और साई इंडिया में डेटा विश्लेषिकी में भावी संभावना की पहचान करने की रणनीति पर कार्य करता है।

सीडीएमए का दृष्टिकोण विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए डेटा की केंद्रीय रूप से मेजबानी और क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता के लिए क्षेत्र-विशिष्ट डेटा विश्लेषिकी मॉडल डिजाइन करने के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता करने के लिए अकेले मंच के रूप में कार्य करना है और इसका उद्देश्य असमान/प्रासंगिक डेटा विश्लेषण से मानकीकृत/प्रतिकृति मॉडल में स्थानांतरित करना है।

सीडीएमए ने क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यों के अलावा प्रारंभिक कार्यों के रूप में स्वतंत्र लेखापरीक्षा कार्य करना शुरू कर दिया है। प्रासंगिक परियोजनाओं की श्रेणी के तहत प्रमुख सरकारी योजनाओं को डेस्क समीक्षा के लिए लिया जाता है और डेटा विश्लेषिकी के परिणामों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ साझा किया जाता है। रिपोर्टों में उच्च जोखिम वाली संस्थाओं/लेन-देनों की पहचान करना शामिल है, जिन्हें क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में विस्तृत जांच/सत्यापन के लिए चुना गया था।

सीडीएमए समय-समय पर विभिन्न केंद्रीकृत आईटी प्रणालियों के अखिल भारतीय डेटा भी एकत्र करता है। इस प्रकार प्राप्त डेटा का विश्लेषण किया जाता है और संभावित जोखिम क्षेत्रों को तैयार और संकलित किया जाता है। यह विशिष्ट अनुरोध किए जाने पर लेखापरीक्षिती डेटासेट की बहाली में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों को आवश्यक तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।

सीडीएमए संस्थानिक और आउटसोर्स किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों दोनों के माध्यम से विभिन्न उपकरणों और प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है।

सीडीएमए के अलावा मुख्यालय में एक अलग आईटी लेखापरीक्षा इकाई भी है, जो क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा आईटी लेखापरीक्षा के लिए लेखापरिक्षिती आईटी प्रणालीकी प्राथमिकता निर्धारित और जोखिम मूल्यांकन करती है, पृथक आईटी लेखापरीक्षाओं की योजना और डिजाइन में मार्गदर्शन प्रदान करती है, मध्यावधि समीक्षा आयोजित करती है और प्रारूप आईटी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच और गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण भी करती है।

4.4 हकदारी कार्यों के लिए आईटी पहल

4.4.1 मूल पेंशन मामलों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ (ई-पीपीओ) जारी करने के लिए प्रारंभिक योजना

पीपीओ पर पेंशन प्राधिकारियों के भौतिक हस्ताक्षरों और उसके बाद उनके डाक से प्रेषण में लगने वाले समय को कम करने के लिए महालेखाकार (ले. एवं हक.)-1 महाराष्ट्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पेंशन प्राधिकार जारी करने के लिए प्रारंभिक अध्ययन शुरू किया गया था।

ई-पीपीओ में पेंशन प्राधिकारों का निर्गमन जनवरी 2022 से पीएओ मुंबई से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी विभागों के पेंशनभोगियों के लिए शुरू हो गया है। कार्यालय की आईटी टीम द्वारा पेंशनभोगियों को मोबाइल फोन पर ई-पीपीओ प्राधिकारोंको डाउनलोड करने की प्रक्रिया समझाई गई। पेंशनभोगी अब

प्रदान किए गए लिंक पर साई पोर्टल के माध्यम से अपने पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर प्राधिकार डाउनलोडिंग सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।

4.4.2 पेंशन सेवा पत्र और जीपीएफ सेवा पत्र

मई-जून 2021 के महीने में पेंशन सेवा पत्र *(https://cag.gov.in/ae/mumbai/en/page-* और जीपीएफ सेवा पत्र *(https://cag.gov.in/ae/mumbai/en/page-ae-mumbai-gpf-sewa-patra)* के माध्यम से ऑनलाइन ड्रॉप बॉक्स के तंत्र को महालेखाकार (ले. एवं हक.)-1 महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था ताकि पेंशनभोगियों और ग्राहकों को महामारी के दौरान कार्यालय में व्यक्तिगत भेंट से बचने में मदद मिल सके और प्राप्त हुए सभी अनुरोधों, प्रश्नों और शिकायतों का समय पर उत्तर देना सुनिश्चित किया जा सके। ये ऑनलाइन ड्रॉप बॉक्स पहले से व्याप्त मौजूदा ऑफ़लाइन प्रणाली में सेवा वितरण में वृद्धि करते हैं। पेंशनभोगियों और जीपीएफ ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए इन दो सेवा पत्रों/ऑनलाइन ड्रॉप बॉक्सों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

4.4.3 विशेष पेंशन मामलों का ई-प्राधिकार

महालेखाकार (ले. एवं हक.) तमिलनाडु द्वारा पहली बार विशेष पेंशन मामलों को ई प्राधिकारों के तहत लाया गया था। बड़ी संख्या में प्राप्त 1,000 मामलों को जुलाई 2021 में ई-प्राधिकार के रूप में संसाधित किया गया था और अब ऐसे विशेष पेंशन मामलों की बड़ी संख्यामें प्राप्तियों के लिए यह प्रक्रिया जारी है।

4.4.4 प्रतिपुष्टि तंत्र

वेबसाइट में पेंशनभोगियों और जीपीएफ अंशदाताओं के लिए अपनी प्रतिक्रिया देने या ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण और महालेखाकार (ले. एवं हक.) पश्चिम बंगाल के कार्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। प्रतिपुष्टि और रेटिंग की समीक्षा पर्यवेक्षी स्तर पर की जाती है जिसमें विस्तृत विश्लेषण के लिए एक्सेल प्रारूप में डेटा का पुल-डाउन शामिल है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान सेवाओं का उपयोग करने वाले 62 *प्रतिशत* पेंशनभोगियों और 80 *प्रतिशत* ग्राहकों ने कार्यालय के प्रदर्शन के लिए 5/4 सितारों के साथ ग्रेड दिया।

4.4.5 राजपत्रित हकदारी अधिकारियों के लिए एजी पोर्टल के माध्यम से वेतन पर्ची, अवकाश खाते आदि

कर्नाटक राज्य में राजपत्रित हकदारी (जीई) समूह में सेवारत कुल 34,598 अधिकारियों में से 29,047 अधिकारी (84 *प्रतिशत*) पहले ही इस पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। पंजीकृत अधिकारी इस पोर्टल के माध्यम से अपने वेतन पर्ची/अवकाश खातों/अन्य प्राधिकारों को देख सकते हैं और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित जीईएमएस एप्लिकेशन सृजित कर सकते हैं और वास्तविक समय के आधार पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से सूचनाएं भी प्राप्त करते हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वेतन पर्ची और अवकाश पर्ची के भौतिक निगर्मन को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों के निगर्मन से बदल दिया गया है।

4.5 लेखा और हकदारी कार्यों की आईटी परियोजनाओं पर स्थिति

4.5.1 क्षेत्रीय लेखा और हकदारी कार्यालयों में हकदारी कार्यों के लिए वेब और एसएमएस आधारित सेवाओं के विकास और कार्यान्वयन के लिए परियोजना

इस परियोजना की परिकल्पना हकदारी कार्यों (पेंशन, जीपीएफ और जीई) के संबंध में राज्य सरकार के कर्मचारियों को वास्तविक समय सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। हकदारी कार्यों के लिए आईटी एप्लीकेशनों की स्थिति का सभी राज्यों के लिए अध्ययन किया गया था। इस आकलन के आधार पर 12 वेब आधारित सेवाओं और चार एसएमएस आधारित सेवाओं को योजना के दायरे में शामिल किया गया था। इस परियोजना में हकदारी कार्यों वाले 21 क्षेत्रीय कार्यालयों को शामिल किया गया था।

21 लेखा और हक़दारी कार्यालयों में से हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश-I, उत्तर प्रदेश-II, मध्य प्रदेश-II, असम, बिहार, झारखंड, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र-II और मणिपुर के 20 कार्यालय पहले ही कार्यरत हो चुके हैं। नागालैंड कार्यालय कार्यरत होने की प्रक्रिया में है।

4.5.2 हकदारी कार्य के अभिलेखों के डिजिटलीकरण पर परियोजना

हकदारी कार्य (पेंशन और जीपीएफ) से संबंधित पुराने अभिलेखोंको संशोधन/अद्यतन के समय पर रखना और पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन है। इस प्रकार आद्योपान्त दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली की कल्पना की गई थी जो न केवल मामलों को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय को कम करेगा बल्कि निर्णय लेने के लिए एक मजबूत पूर्तिकर और जानकारी की पुन: प्राप्ति की सुविधा भी प्रदान करेगा। इससे कार्यालय में खाली जगह बनेगी और यह लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल होगा। यह व्यापार निरंतरता योजना में भी मदद करेगा और कहीं से भी कार्य करने की सुविधा प्रदान करेगा।

इस परियोजना की परिकल्पना नौ क्षेत्रीय कार्यालयों में लगभग 10 करोड़ पृष्ठों के डिजिटलीकरण के लिए की गई थी। परियोजना को फरवरी 2021 में आवंटित किया गया था और चार स्थलों पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) पर डेमो पूरा हो गया है।सभी स्थलों पर अभिलेखों के डिजिटलीकरण का कार्य प्रगति पर है और संविदा दिए जाने की तिथि से दो वर्ष के भीतर पूरा होने की संभावना है।

अभिलेखों के डिजिटलीकरण की कार्यालय-वार वर्तमान स्थिति अध्याय के अंत में **तालिका III.4.1** में दी गई है।

4.5.3 विनियोग लेखा डैशबोर्ड पर परियोजना

सारणी का उपयोग करते हुए वस्तु शीर्ष स्तर तक अनुदान-वार व्यय के चित्रण के उद्देश्य से विनियोग लेखा डैशबोर्ड परियोजना को संस्थानिक रूप से शुरू किया गया है। यह परियोजना जनवरी 2021 में शुरू की गई थी और सभी पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) के लिए विनियोग लेखा डैशबोर्ड तैयार किए गए हैं और सीएजी की वेबसाईट (सितंबर 2021) से जोड़े गए हैं। इन डैशबोर्ड्स के वार्षिक और नियमित अद्यतन की प्रक्रिया तैयार की जा रही है।

4.6 एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) संघ सरकार की ई-गवर्नेंस पहल है, जिसे मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के रूप में शुरू किया गया है, जिसमें बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के लिए राज्यों के वित्त पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के वित्तीय लेनदेन का कम्प्यूटरीकरण शामिल है। आईएफएमएस में कोषागारों, एजेंसी बैंकों, महालेखाकार (ले. एवं हक.) कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी विभागों के साथ एकीकरण की परिकल्पना की गई है।

आईएफएमएस का कार्यान्वयन विभिन्न राज्यों में विभिन्न चरणों पर किया गया है और किसी भी राज्य ने आईएफएमएस को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया है। 17 राज्यों में लेखा और हक़दारी कार्यालय, राज्य सरकारों के आईएफएमएस पोर्टल से डिजिटल डेटा प्राप्त कर रहे हैं। आईएफएमएस की शुरूआत के साथ राज्य सरकारें धीरे-धीरे ई-वाउचर की ओर बढ़ रही हैं। वर्तमान में बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकार ई-वाउचर की ओर बढ़ गई हैं और मध्य प्रदेश और राजस्थान द्वारा लेखा और हक़दारी कार्यालयों को भौतिक वाउचर भेजना बंद कर दिया गया है।

तालिका-III.4.1

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	डिजिटलीकरण किए जाने वाले पृष्ठों की संख्या	31.03.2022 तक स्कैन किए गए पृष्ठों की संख्या
केरल	3,68,62,000	15,31,504
कर्नाटक	2,68,62,219	25,11,873
असम	1,30,00,000	अभी प्रारंभ किया जाना शेष है
मणिपुर	10,75,000	अभी प्रारंभ किया जाना शेष है
त्रिपुरा	12,75,000	1,80,000
मध्यप्रदेश-II	78,59,670	6,66,168
पश्चिम बंगाल	1,89,51,571	2,75,730
उत्तराखंड	5,55,020	1,21,755
जम्मू-कश्मीर	1,00,00,000	9,47,620
कुल	**11,64,40,480**	**62,34,650**

अध्याय 5
ऑडिट दिवस

5.1 महत्त्व

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संस्था, ब्रिटिश क्राउन द्वारा निर्मित भारत सरकार अधिनियम, 1858 के प्रावधानों के तहत बनाए गए, महालेखापरीक्षक के पद की निरंतरता में कार्यरत है। 16 नवंबर 1860 को सर एडवर्ड ड्रूमंड ने पहले महालेखापरीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1950 में भारत के संविधान को अपनाने के साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका 1947 के बाद ब्रिटिश भारत और स्वतंत्र भारत में कानूनों और प्रथाओं के माध्यम से विकसित हुई।

इस इतिहास को स्मरण करने के लिए हमने 16 नवंबर को 'ऑडिट दिवस' के रूप में मनाया।

निम्नलिखित गतिविधियों ने' ऑडिट दिवस' 2021 को स्मरणीय बनाया।

5.1.1 सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को ऑडिट दिवस के अवसर पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय का दौरा किया। इस कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्र भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया।

माननीय प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करते हुए

5.1.2 इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन

माननीय प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर साई इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने साई इंडिया को अपनी प्रासंगिकता को निरंतर नया रूप देने के लिए बधाई दी। संस्थान की विरासत को स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय के साथ और अधिक मजबूत और परिपक्व हो गई हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि सीएजी कार्यालय के उनके पिछले दौरे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही थी और उस कार्यक्रम में बापू की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अथवा जब ऑडिट दिवस का महत्वपूर्ण आयोजन किया जा रहा था, तब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करना सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे गांधीजी हों, सरदार पटेल हों या बाबा साहेब अम्बेडकर हों, वे सीएजी और सभी देशवासियों के लिए महान प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। ये नायक हमें सिखाते हैं कि देश के लिए बड़े लक्ष्य कैसे निर्धारित किए जाए और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए।

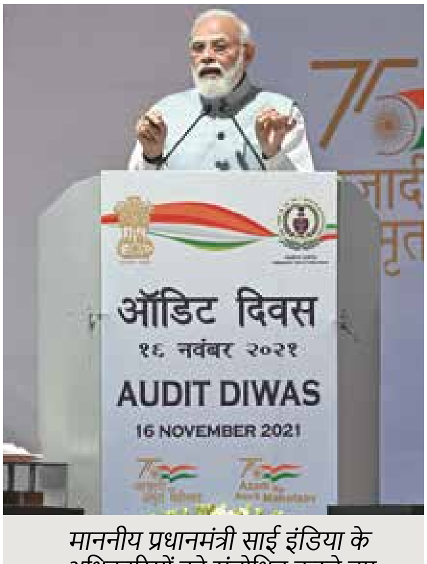

माननीय प्रधानमंत्री साई इंडिया के अधिकारियों को संबोधित करते हुए

प्रधानमंत्री ने उन्नत विश्लेषिकी उपकरणों, भू-स्थानिक डेटा और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करने जैसी प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण में साई इंडिया द्वारा लाए गए परिवर्तनों की सराहना की। उन्होंने लेखापरिक्षितियों के साथ सक्रिय तरीके से जुड़ने के लिए साई इंडिया के प्रयासों की भी सराहना की।

लेखापरीक्षा की भूमिका की सराहना करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि लेखापरीक्षा को अब कार्यपालिका के विरोधी के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि इसे मूल्य संवर्धन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रदर्शन का निर्धारण करते समय बाहरी दृष्टिकोण के लाभ के साथ सीएजी के सुझाव प्रणालीगत सुधार लाते हैं। सरकार इसके परामर्शों जैसे राजकोषीय घाटे पर ध्यान देती है। इसके व्यापक निर्धारण के मूल्य को स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि साई इंडिया द्वारा संशोधित शासन के कई पहलु विशेषज्ञों से भी छूट सकते है।

प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय लेखापरीक्षा से पहले विभागों के साथ प्रारंभिक निष्कर्षों और लेखापरिक्षितियों और हितधारकों के साथ साई के इंटरफेस को उचित पद्धति के रूप में साझा करने की प्रथा की सराहना की। उन्होंने कहा कि लेखापरीक्षा कार्य जितना मजबूत और वैज्ञानिक होगा हमारी प्रणालियां उतनी ही पारदर्शी और मजबूत होंगी।

उन्होंने उम्मीद जताई कि सीएजी किफायती आवास, पेय जल सुविधा, विद्युत कनेक्शन, शौचालय, गरीबों हेतु उपचार सुविधा जैसी बुनियादी सेवाओं को लाने के लिए सरकार के प्रयासों का निर्धारण करेगा। उनका मानना था कि इस तरह का लेखा-जोखा देश के सामूहिक प्रयासों की अभिव्यक्ति, देश की क्षमता और उसके आत्मविश्वास का जीवंत दस्तावेज होगा। प्रधानमंत्री ने सीएजी का ध्यान कोविड महामारी के विरुद्ध देश की लड़ाई में अपनाई जाने वाली अच्छी प्रथाओं की और दिलाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जब देश आजादी के सौ वर्ष पूरे करेगा तो सीएजी की रिपोर्ट भारत के लिए अपने इतिहास को देखने और उससे सीखने के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ बन जाएगी।

अपने भाषण का समापन करते हुए प्रधानमंत्री जी ने आशा व्यक्त की कि सीएजी का योगदान देश के विकास को गति देता रहेगा।

5.1.3 सार्वजनिक लेखापरीक्षण और लेखाकरण में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए सीएजी के पुरस्कार

जुलाई 2021 में सीएजी ने सार्वजनिक लेखापरीक्षण, लेखांकरण, हकदारी और सहयोग कार्यों के क्षेत्रों में साई इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए असाधारण और नवाचार कार्यों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए 'सार्वजनिक लेखापरीक्षण और लेखाकरण में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए सीएजी के पुरस्कार' योजना की शुरूआत की। ये पुरस्कार कार्यात्मक क्षेत्रों, कामकाजी वातावरण और कल्याण के क्षेत्र में किए गए असाधारण प्रदर्शन और पहलों द्वारा समर्थित नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जिनमे शामिल हैं:

- लेखापरीक्षण की प्रक्रिया
- हितधारकों की भागीदारी
- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और अन्य लेखापरीक्षा उत्पाद
- लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/उत्पादों का संचार और अनुवर्ती कार्रवाई
- लेखाकरण प्रक्रियाएं और वित्तीय रिपोर्टिंग
- हकदारी प्रक्रियाएं और दावों का निपटान
- आईटी संचालित और आईटी के नेतृत्व वाली पहल
- मानव संसाधन और क्षमता निर्माण
- प्रशासनिक दक्षता
- शिकायत निवारण तंत्र
- स्टाफ कल्याण
- कोई अन्य क्षेत्र जो साई इंडिया के समग्र मिशन की प्राप्ति में योगदान देता है

योजना की शुरुआत के पहले वर्ष में उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखी गई जिसमें साई इंडिया के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और सीएजी के कार्यालय में विंगों से कुल 59 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। आठ टीमों को वर्ष 2021 के लिए पुरस्कार विजेताओं के रूप में घोषित किया गया था। सीएजी द्वारा पुरस्कार विजेताओं को 'ऑडिट दिवस' - 16 नवंबर 2021 को पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

पुरस्कार विजेता परियोजनाएं (वर्णमाला क्रम में) और टीम के सदस्य:

क्र. सं.	पुरस्कृत योजना का शीर्षक	कार्यालय	टीम
1.	उत्पाद शुल्क की चोरी को रोकने के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा में प्रति-सत्यापन	प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश	1. श्री जयंत सिन्हा, आईएएंडएएस 2. श्री राज कुमार, आईएएंडएएस 3. श्री सुधीर कुमार शुक्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 4. श्री गोवर्धन लाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 5. श्री बी. के. सिंह, पर्यवेक्षक
2.	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऋण स्थिरता विश्लेषण	प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा-I), महाराष्ट्र	1. श्री सौरव कुमार जयपुरियार, आईएएंडएएस 2. श्री करन वोहरा, आईएएंडएएस 3. सुश्री बीनू मैथ्यूज, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 4. श्री उन्नीकृष्णन नंबीसन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
3.	संवादात्मक डिजिटल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	सीएजी मुख्यालय में सीमा शुल्क लेखापरीक्षा विंग	1. सुश्री शेफाली अंदलीब, आईएएंडएएस 2. श्री दीपक मैथ्यूज, आईएएंडएएस 3. श्री एन. एन. सुब्रमण्यन, आईएएंडएएस 4. श्री रजनीश शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 5. श्री सौमेंद्र सरन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 6. सुश्री एम. मारागाथावल्ली, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 7. श्री एम. के. लिंगाक्लेम्बा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
4.	पेंशन संशोधन मामलों का आईटी सक्षम निपटान	महालेखाकार कार्यालय (लेखा और हकदारी), हरियाणा	1. श्री विशाल बंसल, आईएएंडएएस 2. सुश्री धनलक्ष्मी चौरसिया, आईएएंडएएस 3. श्री सुमित कुमार, आईएएंडएएस 4. श्री विजय गर्ग, सहायक लेखा अधिकारी 5. श्री पवन कुमार, वरिष्ठ लेखाकार

क्र. सं.	पुरस्कृत योजना का शीर्षक	कार्यालय	टीम
5.	अस्पताल प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा-I), उत्तर प्रदेश	1. श्री सरित जाफा, आईएएंडएएस 2. श्री संदीप डाबर, आईएएंडएएस 3. श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 4. श्री राम कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 5. श्री वी.बी. सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 6. श्री गणेश चंद्र झा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 7. स्वर्गीय श्री शेषाद्रि शंकर पांडेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 8. श्री सजल कुमार घोष, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
6.	तूफान के पानी के प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा-I), कर्नाटक	1. सुश्री ई. पी. निवेदिता, आईएएंडएएस 2. सुश्री ए. जे. अमिता, आईएएंडएएस 3. श्री के. एल. बालकृष्ण, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 4. श्री यू. रवि कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 5. श्री पी. मोहन हर्ले, पर्यवेक्षक 6. श्री राय अभिलाष, लेखापरीक्षक
7.	उच्च शिक्षा में परिणाम आधारित लेखापरीक्षा की योजना और संचालन	प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान	1. श्री अक्षय गोपाल, आईएएंडएएस 2. श्री सतीश चंद गुप्ता, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 3. श्री जेम्स के. सी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 4. श्री हेमंत शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 5. श्री आर. एस. दुसाद, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 6. श्री रवींद्र कुमार जांगिड़, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 7. श्री प्रसेनजीत दत्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

क्र. सं.	पुरस्कृत योजना का शीर्षक	कार्यालय	टीम
8.	प्रणाली स्वचालन पहल प्रशिक्षण एप्लीकेशन	सीएजी मुख्यालय में प्रशिक्षण विंग	1. सुश्री अलका रेहानी भारद्वाज, आईएएंडएएस 2. सुश्री जया भगत, आईएएंडएएस 3. श्री अविनाश निलंकर, आईएएंडएएस 4. सुश्री सोमिनी एस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 5. सुश्री वर्द्धा टीना, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 6. श्री जॉयदीप मुखर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

'सार्वजनिक लेखापरीक्षण और लेखाकरण में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए सीएजी के पुरस्कार' के विजेताओं के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

5.1.4 कल्याण हेतु मान्यता (कोविड-19 गतिविधियां)

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुआ व्यवधान समकालीन इतिहास में अभूतपूर्व था। इसने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित किया और जीवनशैली को अव्यवस्थित कर दिया। लॉकडाउन उपायों के दबाव ने आबादी की परेशानी को और बढ़ा दिया। लेकिन महामारी ने मनुष्यों की तन्यकता को भी प्रदर्शित किया कि कैसे लोग एक साथ आते हैं और मानव जाति पर आई विविध चुनौतियों से लड़ते हैं। साई इंडिया की प्रतिक्रिया भी इससे अलग नहीं थी। लोगों के समूहों ने इस कठिन समय के दौरान अपने सहयोगियों और अपने समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वयं इसकी जिम्मेदारी ली। इस समूह ने न केवल कार्यस्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन, चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच, सभी आयु समूहों

के लिए टीके सुनिश्चित किए, बल्कि बड़े वंचित समुदाय को सहायता और सहारा भी प्रदान किया। प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा-II गुजरात और प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सीएजी मुख्यालय और आईसीसा के कार्यालयों के कर्मचारियों के असाधारण प्रयासों को सीएजी द्वारा ऑडिट दिवस पर 'कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए अनुकरणीय और निस्वार्थ प्रयासों के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र' प्रदान करके आभार प्रकट किया गया था।

5.1.5 'सीएजी के संगठन में नई पहलों और अच्छी प्रथाओं का संग्रह' का विमोचन

सीएजी के संगठन में नई पहलों और अच्छी प्रथाओं का संग्रह, जिसका शीर्षक 'दा केटलिस्टस-इन परसुएेट ऑफ गुड गर्वनैन्स' को सीएजी द्वारा 'ऑडिट दिवस' - 16 नवंबर 2021 को जारी किया गया था। यह संग्रह साई इंडिया के विभिन्न कार्यालयों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय में कार्यात्मक विंगों द्वारा किए गए नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन है। (खंड III, अध्याय 1, पैरा 1.5 भी देखें)।

5.1.6 'स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सुशासन को बढ़ाने' और' पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी करने' पर पैनल परिचर्चा

ऑडिट दिवस समारोह के दौरान 17 नवंबर 2021 को 'स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सुशासन को बढ़ाने' पर पैनल परिचर्चा आयोजित की गई थी और पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए थे। [खंड III, अध्याय 1, पैरा 1.4.2 को भी देखें; खंड IV, अध्याय 3 पैरा 3.4.1 (i)]

अध्याय 6

अन्य गतिविधियाँ, कोई कम महत्वपूर्ण नहीं

6.1 राजभाषा को बढ़ावा देने के प्रयास

6.1.1 प्रकाशन

वर्ष 2021-22 के दौरान राजभाषा अनुभाग (मुख्यालय) की त्रैमासिक ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा प्रकाश" के तीन अंक (135वें से 137वें) प्रकाशित किए गए थे। क्षेत्रीय कार्यालय भी राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से अपनी राजभाषा पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं।

6.1.2 राजभाषा का कार्यान्वयन

क) प्रत्येक तिमाही में मुख्यालय में राजभाषा के उपयोग की समीक्षा करने के लिए राजभाषा का प्रभार संभालने वाले डीएआई/एडीएआई की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक आयोजित की जानी आवश्यक है। वर्ष के दौरान मुख्यालय में राजभाषा के उपयोग की समीक्षा करने के लिए 175वीं, 176वीं, 177वीं और 178वीं त्रैमासिक बैठकें आयोजित की गईं। महामारी की परिस्थिति के कारण तीन बैठकें ऑनलाइन आयोजित की गईं थी और 178वीं बैठक ऑफ़लाइन आयोजित की गई थी।

ख) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्साहजनक माहौल बनाने और हिंदी में सरकारी कार्य करने में अधिकारियों की झिझक को कम करने हेतु 2021-22 के लिए भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार इस कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए 25 फरवरी 2022 को एक दिवसीय हिंदी ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में लगभग 100 अधिकारियों/ स्टाफ सदस्यों को नामित किया गया था।

ग) राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यालय ने 14 से 28 सितंबर 2021 ऑनलाइन 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया। इस अवधि के दौरान नोटिंग और ड्राफ्टिंग, श्रुतलेख, निबंध लेखन आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का ऑनलाइन आयोजन किया गया था। इसी दौरान 90 से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। इसे साई इंडिया के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में भी सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।

घ) केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की समीक्षा राजभाषा पर संसद की तृतीय समिति द्वारा की जाती है। 2021-22 में साई इंडिया के दो कार्यालयों का निरीक्षण राजभाषा पर संसद की तृतीय उप-समिति द्वारा किया गया था।

ङ) राजभाषा अधिनियमों/नियमावली आदि के अनुपालन की समीक्षा करने के लिए राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा 17 फरवरी 2022 को 43वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था। प्रधान निदेशक (राजभाषा) ने इस बैठक में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय का प्रतिनिधित्व किया।

च) हमारे कार्यालय की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट राजभाषा अनुभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही के पूरा होने से 30 दिनों की लक्ष्य तिथि के भीतर प्रत्येक तिमाही में राजभाषा विभाग को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई थी।

6.1.3 क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय के अनुभागों का निरीक्षण

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार साई इंडिया के न्यूनतम 25 *प्रतिशत* क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय के अनुभागों का प्रत्येक वर्ष राजभाषा अनुभाग द्वारा निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

2021-22 में 53 क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय के 16 अनुभागों के निरीक्षण की योजना बनायीं गई थी। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए ऑनलाइन और मुख्यालय के 16 अनुभागों के लिए ऑफ़लाइन निरीक्षण किए गए थे।

6.1.4 अनुवाद

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत यथा अपेक्षित प्रसार से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों का हिंदी में अनुवाद किया गया था:

(क) किसी सदन या संसद के सदनों के समक्ष रखे जाने वाले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक, रेलवे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर)।

(ख) निष्पादन रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, सामान्य आदेश, नियम, संविदा और करार और निविदा नोटिस।

6.1.5 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन हेतु साई इंडिया को सर्वोच्च राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री द्वारा हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर 2021 के अवसर पर हमारे प्रतिनिधियों श्री मनीष कुमार (महानिदेशक) और श्री जे.पी. एन. सिंह (महानिदेशक) को प्रदान किया गया था।

6.1.6 महामारी की स्थिति के दौरान राजभाषा अनुभाग का कामकाज

कोविड-19 महामारी के दौरान राजभाषा अनुभाग के कार्यों के लिए विभिन्न डिजिटल तरीकों जैसे डिजिटल फाइल सिस्टम, ई-पत्रिका प्रकाशन, ऑनलाइन निरीक्षण, ऑनलाइन त्रैमासिक बैठक, ऑनलाइन कार्यशाला आदि के संचालन को सफलता पूर्वक अपनाया गया था।

महामारी के दौरान राजभाषा अनुभाग में कार्य करने के विभिन्न डिजिटल तरीकों को अपनाने से न केवल इस अनुभाग के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिली बल्कि इसने राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा अनुभाग की दक्षता और प्रभावशीलता में भी वृद्धि की है।

6.2 अवसंरचना विकास

संपूर्ण भारत में विभिन्न स्टेशनों पर साई इंडिया के कार्मिकों के उपयोग के लिए कार्यालय स्थल के साथ-साथ आवासीय इकाइयों के संवर्धन हेतु कई निर्माण परियोजनाएं शुरू की गई हैं जैसा कि नीचे बताया गया है:

6.2.1 वर्ष के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को पूरा किया गया था:

i. भुवनेश्वर- केसरी नगर में कार्यालय भवन का निर्माण
ii. जयपुर- बजाज नगर में टाइप-3 क्वार्टरों का निर्माण

6.2.2 निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं:

i. आइजोल- आवासीय परिसर का निर्माण।
ii. बैंगलुरु- एच. सिद्धैया रोड पर कार्यालय भवन का निर्माण
iii. कोलकाता- उल्टाडांगा में आवासीय परिसर का निर्माण
iv. मुंबई- भांडुप में आवासीय परिसर का निर्माण
v. रांची- खेल परिसर का निर्माण

vi. रांची- एमएबी के लिए कार्यालय भवन का निर्माण

vii. शिमला- चाडविक हाउस की मरम्मत, पुनर्सुधार और सुदृढ़ीकरण

viii. शिमला- गोर्टन कैसल भवन का जीर्णोद्धार कार्य

6.2.3 निम्नलिखित परियोजनाएं योजना चरण में हैं:

i. अमरावती- कार्यालय-सह-आवासीय परिसर का निर्माण।

ii. गोवा- एनेक्सी भवन का निर्माण

iii. इम्फाल- अतिरिक्त क्वार्टरों का निर्माण

iv. पटना- गर्दानीबाग में कार्यालय एवं आवासीय परिसर का निर्माण।

v. पुरी- धेनकानाल हाउस का पुनरूद्धार

vi. तिरुवनंतपुरम- आवासीय क्वार्टरों का निर्माण

6.3 खेलों में भागीदारी और उपलब्धि

सीएजी की खेल टीम मुख्य रूप से क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, कैरम और टेबल टेनिस की खेल गतिविधियों (भारत और विदेशों दोनों में) में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और गर्व से कई पुरस्कार जीत चुकी हैं।

क्रिकेट में टीम गोरखपुर में आयोजित लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी में उप-विजेता थी और प्रथम असम क्रिकेट एसोसिएशन इंटर-इंस्टीट्यूशन क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता थी।

हॉकी टीम भोपाल में ओबैदुल्ला गोल्ड कप, बैंगलुरू में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, सिकंदराबाद में नेहरू गोल्ड कप और जालंधर में सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में पहुंची।

फुटबॉल टीम बलिया में आयोजित चीफ मिनिस्टर्स कप में सेमीफाइनलिस्ट थी।

बैडमिंटन टीम ने गोवा में वेटेरन्स नेशनल्स में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में एक स्वर्ण पदक, पांच रजत पदक और चार कांस्य पदक जीते। टीम ने स्पेन में आयोजित वेटेरन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी भाग लिया और व्यक्तिगत श्रेणी में एक कांस्य पदक जीता।

कैरम में सीएजी की महिला टीम, पुदुचेरी में अंतर-संस्थान चैम्पियनशिप में उपविजेता रही।

6.4 कल्याणकारी गतिविधियों के माध्यम से कोविड प्रबंधन

कोविड-19 महामारी की अभूतपूर्व आपदा के कारण पूरी दुनिया बिना तैयारी के इसकी जकड़ में थी। यही हाल भारत का भी था। पहली और दूसरी लहर के दौरान साई इंडिया के कर्मचारी, परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार, बाकी आबादी की तरह ही गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। आगामी लॉकडाउन और गतिविधियों पर प्रतिबंधों ने पूरे देश में साई इंडिया कार्यालयों के सामान्य कामकाज को बुरी तरह से प्रभावित किया। महामारी के प्रभावों को प्रबंधित करने, नियंत्रित करने और कम करने के उपाय 2021-22 के दौरान जारी रहे।

साई इंडिया के विभिन्न कार्यालयों के प्रशासनिक और कल्याणकारी विंगों ने स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के सहयोग से कर्मचारियों और उनके परिवारों के रैपिड एंटी जनपरीक्षण/आरटीपीसीआर परीक्षण और टीकाकरण की व्यवस्था की। इनमें शामिल थे:

i. सीएजी के कार्यालय के साथ-साथ यहां के कर्मचारियों के आवासों पर 3,500 से अधिक आरटी-पीसीआर/ रैपिड एंटी जनपरीक्षण आयोजित करना। इससे कोविड-19 पॉजिटिव कर्मचारियों की पहचान करने और उन्हें अलग-थलग करने और बीमारी के आगे प्रसार को रोकने में मदद मिली।

ii. दूसरी लहर से ठीक पहले राज्य सरकार प्राधिकरणों और निजी अस्पतालों के समन्वय से सीएजी कार्यालय में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया गया था ताकि साई इंडिया के सभी कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों का टीकाकरण किया जा सके।

iii. दिल्ली और नोएडा, यूपी में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं से युक्त छः बिस्तर वाले दो आइसोलेशन सेंटर स्थापित किए गए थे।

iv. साई इंडिया के कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती होने, एम्बुलेंस, दवाओं, परीक्षणों, ऑक्सीजन सिलेंडरों/ सांद्रकों आदि की व्यवस्था के लिए सहायता प्रदान की गई थी।

v. दूसरी लहर के चरम के दौरान मई 2021 में दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तैनात साई इंडिया के सभी कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन सत्र आयोजित किया गया था ताकि उन्हें कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने में सहायता मिल सके। ऑनलाइन सत्र का रिकॉर्ड किया गया वीडियो भी दूसरों के लाभ के लिए सीएजी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

vi. जुलाई 2021 में कर्मचारियों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया था।

vii. म्यूकर माइकोसिस, मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने में अच्छी नींद की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वीडियो सीएजी वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे।

साई इंडिया के कार्यालयों ने भी कोविड के कठिन समय में मदद का हाथ बढ़ाने के अपने प्रयास किए।

प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा-II गुजरात के कार्यालय ने प्रतिरक्षा बूस्टर, दवाओं के रूप में मुफ्त काढ़ा और होम्योपैथिक गोलियां प्रदान की इसके अलावा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट और टीकाकरण शिविर आयोजित किए। किसी भी आपातकालीन आवश्यकता के समय सहायता प्रदान करने के लिए सभी कर्मचारियों के रक्त समूहों का एक डेटाबेस तैयार किया गया। इसी प्रकार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड के कार्यालय ने *'सहयोग'* नामक एक सामूहिक पहल के माध्यम से भोजन, दैनिक वेतनभोगियों और मजदूरों के परिवारों को राशन, कार्यालय में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों, गार्ड, सफाई कर्मी, कचरा संग्राहक आदि के बच्चों के लिए स्कूल फीस, स्थानीय स्कूल के जरूरतमंद बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकें, शहर के बेघर लोगों के लिए कंबल आदि की व्यवस्था की। समूह ने लड़कियों के लिए एक अनाथालय और एक ऑटिज्म कल्याण समाज को राशन प्रदान करके सहायता की। कार्यालय ने अपने कर्मचारियों के लिए आवश्यक उपभोग्य सामग्रियां, चिकित्सा परामर्श और टीकाकरण के साथ ऑक्सीजन सांद्रकों की व्यवस्था की।

सीएजी कार्यालय में कर्मचारियों का आरटीपीसीआर परीक्षण

खंड

4

हितधारकों के साथ अन्त:क्रिया

साई इंडिया का मुख्यालय

अध्याय 1
विधायी समितियों के साथ हमारी अन्त:क्रिया

अध्याय 2
लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

अध्याय 3
अधिगम की प्रगति

Dedicated to Truth in Public Interest

अध्याय 1

विधायी समितियों के साथ हमारी अन्तःक्रिया

हमारे प्राथमिक हितधारकों में संसद, राज्य विधानमंडल और जनता शामिल हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों में लोक लेखा समितियां (पीएसी) और सार्वजनिक उपक्रमों पर समितियां (सीओपीयू) हैं, जो साई इंडिया द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करती हैं। अन्य प्रमुख हितधारकों में सरकारी विभाग और मंत्रालय, साथ ही साई इंडिया द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं के विषयों में विशिष्ट रुचि रखने वाले संगठन व्यक्ति एवं देश के नागरिक शामिल हैं।

हमारे हितधारकों के साथ संप्रेषण एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। ग्राहकों और हितधारकों के साथ हमारा संपर्क हमें उनकी अपेक्षाओं को समझने में मदद करता है और हमारे कार्य के माध्यम से दिए गए आश्वासन और जवाबदेही को अर्थ प्रदान करता है।

1.1 लोकलेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति के साथ अन्तःक्रिया

सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में संघ और राज्य स्तर पर लोक लेखा समितियां (पीएसी) और सार्वजनिक उपक्रम समितियां (सीओपीयू) हमारे मुख्य भागीदार हैं। संसद/विधानमंडल में प्रस्तुत किए गए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को पीएसी/सीओपीयू को भेजा जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण बिन्दुओं का ज्ञापन तैयार करके समितियों के कार्यचालन में सहायता करते हैं। सीएजी और उनके प्रतिनिधि बैठकों के दौरान साक्ष्यों की जांच में पीएसी/सीओपीयू की सहायता करते हैं।

कार्यपालिका को समिति की सिफारिशों पर एक्शन टेकन पर रिपोर्ट देनी होती है। तत्पश्चात् समितियां एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं। यदि बैठकों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा नहीं की गई है, तो कार्यपालिका से उन पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं। लेखापरीक्षा द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्टों और टिप्पणियों दोनों की समितियों को प्रस्तुत किए जाने से पहले विधिवत जांच की जाती है।

2021-22 के दौरान, केंद्रीय पीएसी/सीओपीयू ने 80 बैठकें कीं जिसमें 35 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों/ निष्पादन लेखापरीक्षाविषयों पर चर्चा की गई। पीएसी/सीओपीयू में चर्चा की गई बैठकों और लेखापरीक्षा अनुच्छेद/निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों की विंग-वार स्थिति नीचे दी गई है:

विंग का नाम	2021-22 के दौरान आयोजित पीएसी/सीओपीयू की बैठकों की संख्या	2021-22 के दौरान चर्चा किए गए लेखापरीक्षा अनुच्छेद/निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों की संख्या
वाणिज्यिक	18	9
कस्टम	9	1
रक्षा	6	6
प्रत्यक्ष कर	9	5
वित्त एवं संचार	10	2
माल एवं सेवा कर	4	1
रेलवे	5	2
रिपोर्ट केंद्रीय	19	9
कुल	**80**	**35**

राज्यों में पीएसी/सीओपीयू ने 2021-22 के दौरान 574 बैठकें की और 1,324 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों पर चर्चा की, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

राज्य का नाम	2021-22 के दौरान आयोजित पीएसी/सीओपीयू की बैठकों की संख्या	2021-22 के दौरान चर्चा किए गए लेखापरीक्षा अनुच्छेद/निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों की संख्या
आंध्र प्रदेश	2	5
अरुणाचल प्रदेश	3	5
असम	12	148
बिहार	35	127
छत्तीसगढ	21	39
गोवा	3	1
गुजरात	33	27
हरियाणा	120	61
हिमाचल प्रदेश	10	46
झारखंड	24	84
कर्नाटक	50	130
केरल	50	78
मध्य प्रदेश	20	12
महाराष्ट्र	18	24
मेघालय	4	6
मिजोरम	8	20
नागालैंड	2	16
पंजाब	49	339
राजस्थान	19	49
सिक्किम	2	5
तमिलनाडु	11	28
तेलंगाना	7	36
उत्तर प्रदेश	64	32
पश्चिम बंगाल	7	6
कुल	**574**	**1,324**

1.2 तमिलनाडु में पीएसी और सीओपीयू के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम

अभिविन्यास कार्यक्रम में पीएसी और सीओपीयू के नवनिर्वाचित सदस्य

तमिलनाडु में पीएसी और सीओपीयू के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम 27 अगस्त 2021 को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, वित्त एवं मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री, पीएसी, सीओपीयू और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष, समितियों के सदस्य और तमिलनाडु विधानसभा के सचिव के साथ सचिवालय के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सदस्यों को शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सीएजी की भूमिका, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच में पीएसी और सीओपीयू की शक्तियों और भूमिकाओं और लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा निष्पादन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने में शामिल विभिन्न चरण और लेखापरीक्षा इकाइयों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों का जवाब देने के अवसरों लेखापरीक्षा में सामने आने वाली बाधाओं और मुद्दों के समाधान के लिए संभावित उपाय से परिचित कराना है।

पीएसी और सीओपीयू के सदस्यों ने सकारात्मक बातचीत की और साई इंडिया के कामकाज, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने की पद्धति, सीएजी के अधिदेश और समितियों की भूमिका आदि के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछे। इस कार्यक्रम से सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा हुई और उन्हें समितियों के कामकाज में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी मिली।

अध्याय 2

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

2.1 सीएजी का लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड (एएबी) सीएजी के संवैधानिक और सांविधिक अधिदेश के ढांचे के भीतर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण और तकनीकों से संबंधित सुझावों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के कवरेज, कार्यक्षेत्र और प्राथमिकता सहित लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों पर सीएजी को सलाह देता है।

दसवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य अवैतनिक रूप से कार्य करते हैं। बोर्ड में विविध क्षेत्रों के प्रख्यात व्यक्ति और विभाग के उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक शामिल होते हैं। प्रथम लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड 1999 में गठित किया गया था। उसके पश्चात बोर्ड को नौ बार (2001, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2018 और 2021) पुनर्गठित किया गया है। दसवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन अप्रैल 2021 में अधिसूचित किया गया था। बोर्ड की अवधि दो वर्ष तक रहेगी। लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के बाहरी सदस्यों की सूची इस रिपोर्ट की धारा 1 के अध्याय 2 में दी गई है।

दसवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक सितंबर 2021 में आयोजित की गई थी जिसमें दो विषयों: (i) 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिदेश और कार्य' तथा (ii) 'जमीनी स्तर पर लेखापरीक्षा को एकीकृत करना: आगे बढने का माध्यम' पर चर्चा की गई थी।

2.2 राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

इसी प्रकार राज्यों में राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड (एसएएबी) का गठन किया जाता है। राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी पेशेवरों के साथ चर्चा से लाभ उठाकर हमारी लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाने का काम करते हैं। 2021-22 के दौरान राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु में आयोजित की गईं।

राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड तमिलनाडु

अध्याय 3

अधिगम की प्रगति

3.1 लेखापरीक्षित संस्थाओं के साथ संपर्क

हमारी लेखापरीक्षित इकाइयां लेखापरीक्षा प्रक्रिया में प्रमुख हितधारकों में से हैं। उनके साथ हमारा संपर्क एक निरंतर आधार पर लेखापरीक्षा से पहले, लेखापरीक्षा के दौरान और लेखापरीक्षा के बाद भी होता रहता है। जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सहयोगी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए लेखापरीक्षित प्रबंधन के वरिष्ठ स्तरों पर संपर्क को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे लेखापरीक्षा कार्यक्रमों को लेखापरीक्षित संस्थाओं को अग्रिम रूप से सूचित किया जाता है। सभी लेखापरीक्षा टीमें लेखापरीक्षा की शुरुआत और समापन पर प्रवेश और प्रस्थान सम्मेलन आयोजित करती हैं। लेखापरीक्षा के प्रत्येक चरण पर लेखापरीक्षित संस्था को लेखापरीक्षा प्रश्नों और निष्कर्षों का उत्तर देने का अवसर दिया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय भी निरीक्षण रिपोर्टों में शामिल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुद्रित अभ्युक्तियों पर चर्चा करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेते हैं। लेखापरीक्षित संस्थाओं के अधिकारियों को विभाग में आयोजित सेमिनारों/कार्यशालाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है।

हमने वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित संस्थानों के साथ कई बार संपर्क किया। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

3.1.1 अखिल भारतीय संपर्क

(i) **राज्यों के निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा (डीएलएफए) और प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार के आभासी क्षेत्रीय सम्मेलन**- फरवरी-मार्च 2022 के दौरान राज्यों के

डीएलएफए, पीएजी/एजी और सीएजी कार्यालय में उनके नियंत्रक विंग के वरिष्ठ अधिकारी के साथ सात वर्चुअल क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रत्येक राज्य के डीएलएफए ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को अनुदान जारी करने के लिए 15वें वित्त आयोग की आवश्यकता पर विचार करते हुए अपने स्टाफिंग मुद्दों, एलबी खातों के प्रमाणन की स्थिति और भविष्य की योजनाओं; उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं और साई इंडिया से अपेक्षाएं; डीएलएफए रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई और साई इंडिया से आवश्यक अन्य तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण (टीजीएस) समर्थन से संबंधित मुद्दों पर प्रस्तुति दी।

(ii) डीएलएफए के क्षमता निर्माण के लिए साई इंडिया के हस्तक्षेप/समर्थन की आवश्यकता कहां है, इसका आकलन करने अथवा दो लेखापरीक्षा संगठन अर्थात डीएलएफए और साई इंडिया के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के लिए विचार-विमर्श किया गया।

3.1.2 राज्य विशेष संपर्क

मध्य प्रदेश

राज्य सरकार के विभागों के कामकाज की समझ विकसित करने और उनके अधीन योजनाओं की निगरानी प्राप्त करने के लिए विभागाध्यक्षों, क्षेत्रीय इकाइयों के प्रमुखों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के साथ बैठक/प्रस्तुति शुरू की गईं, जिससे हमें आगामी लेखापरीक्षा योजना में लेखापरीक्षा के लिए फोकस एरियास को प्राथमिकता देने में मदद मिली। इस पहल के तहत 13 विभागों के साथ 28 बैठक आयोजित की गईं।

झारखंड और सिक्किम

डीएलएफए द्वारा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता के तहत प्राथमिक लेखापरीक्षक को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्राथमिक लेखापरीक्षक यानी डीएलएफए, स्थानीय निकाय, झारखंड के साथ एक अग्रसक्रिय बैठक आयोजित की गई थी।

सिक्किम में भी एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें डीएलएफए, सिक्किम के साथ टीजीएस व्यवस्था पर चर्चा हुई।

तमिलनाडु

(i) निरीक्षण रिपोर्ट, व्याख्यात्मक टिप्पणी अथवा एक्शन टेकन नोट्स की आसन्न या लंबित स्थिति पर चर्चा करने के लिए तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शीर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई थी। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), तमिलनाडु, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), तमिलनाडु और पुडुचेरी, सरकार के अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों

ने बैठक में भाग लिया। सरकार के मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को निर्देश दिए कि वे विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करें और लंबित निरीक्षण रिपोर्ट पैराग्राफों को निपटाए और इसे सर्व-सचिव की मासिक समीक्षा बैठक में शामिल करें। विभागीय सचिवों ने लंबित मामलों को कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

(ii) विवाह सहायता योजना और मुख्यमंत्री बालिका संरक्षण योजना के क्रियान्वयन की जानकारी लेने के लिए समाज कल्याण विभाग के सहायक निर्देशक के साथ सम्मेलन आयोजित किया गया।

3.2 शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों के साथ अन्तःक्रिया

हम अनेक शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों के साथ अन्तःक्रिया करते हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्रीय संस्थान जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूएआई) को संस्थानों की केंद्रीय परिषदों में नामित किया जाता है। आईसीएआई परिषद का सदस्य होने के कारण अधिकारियों को संस्थान की विभिन्न समिति/बोर्ड, जैसे लेखाकरण मानक बोर्ड, लेखापरीक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड, आंतरिक लेखापरीक्षा मानक बोर्ड, व्यावसायिक विकास समिति, नैतिक मानक बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, समकक्ष समीक्षा बोर्ड इत्यादि में भी नामित किया जाता है ताकि इन व्यावसायिक निकायों के साथ संपर्क सुनिश्चित हो सके। हमारे प्रशिक्षण संस्थान हमारे स्टाफ और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने में संकाय सहायता के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ संपर्क में रहते हैं।

3.3 मीडिया के साथ संपर्क

हमारी एक दस्तावेजी संचार नीति है जो बाहरी हितधारकों के साथ परस्पर संवाद का मार्गदर्शन करती है। मुख्यालय की संचार नीति विंग मीडिया सलाहकार की अध्यक्षता में प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं जनता के साथ प्रभावी संचार के लिए उत्तरदायी है। मीडिया सलाहकार मुख्यालय के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। जिन राज्यों में कोई प्रधान महालेखाकार नहीं है, उन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में मीडिया के साथ प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रधान महालेखाकार या वरिष्ठतम महालेखाकार स्तर का अधिकारी जिम्मेदार है।

हम संसद एवं राज्य विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात अपने हितधारकों को लेखापरीक्षा संदेश पहुँचाने के लिए कई तरह के कार्य करते हैं। सामान्यत: संसद/संबंधित विधानमंडलों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण के उपरांत एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया

जाता है। संसद/राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति के पश्चात् उनकी विषय-वस्तु को दर्शाते हुए प्रेस ब्रीफ भी जारी किए जाते हैं। प्रतिवेदन हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते है।

इस तरह की अन्तःक्रिया का उद्देश्य, विभाग एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बारे में जानकारी का प्रसार करना और हमारे हितधारकों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो तो, उनको भी जारी करना या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा तथ्यों के विरूपण या गलत व्याख्या को हटाना है।

3.4 कार्यशालाएं, व्याख्यान और अन्य कार्यक्रम

शासन में जवाबदेही मजबूत सार्वजनिक वित्तीय रिपोर्टिंग की नींव पर टिकी हुई है। साई इंडिया का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले लेखापरीक्षण और लेखांकन के माध्यम से शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, जिससे हितधारकों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और जनता को स्वतंत्र आश्वासन मिलता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

इस मिशन को पूरा करने के लिए साई इंडिया लगातार अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार अपने पेशेवर कर्त्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास करता है, अर्थात लेखापरीक्षकों को शासन के उन्नयन में भागीदार के रूप में देखा जाता है, इसके शासन की सहायता के लिए कार्य करते है। सार्वजनिक क्षेत्र के सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वह वातावरण जिसमें लेखापरीक्षित सत्त्व और परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा कार्य, संरचना और सार्वजनिक नीति के कार्यान्वियन के तरीकों के साथ-साथ लेखापरीक्षा और लेखाकरण की प्रथाओं दोनों के संदर्भ में गतिशील हैं। इस प्रकार इस गतिशील वातावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए, साई इंडिया के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह स्वयं में नयापन लाता रहे और स्वयं का कायाकल्प करता रहे। हितधारकों के साथ नियमित आंतरिक और बाहरी परामर्श पेशेवर प्रथाओं और हमारी संरचनाओं और कामकाज के तरीकों को अनुकूलित/उन्नत करने के इस प्रयास को सरल बनाता है, साथ ही उस वातावरण के प्रति संवेदनशील बनाता है जिसमें हमारे लेखापरीक्षित संस्थाएं कार्य करते हैं। इस तरह के विचार-विमर्श की सुविधा के लिए साई इंडिया नियमित रूप से कई कार्यशालाए, संगोष्टी एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन करता है जहां डोमेन विशेषज्ञ और वरिष्ठ लोक सेवक भाग लेते हैं और हमारे कर्मियों के साथ अपने ज्ञान को साझा करते हैं।

वर्ष के दौरान बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए निम्नलिखित कार्यशालाएं/व्याख्यान आयोजित किए गए:

(i) **'स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सुशासन को बढ़ाना' विषय पर पैनल चर्चा**- ऑडिट दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 17 नवंबर 2021 को 'स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सुशासन को बढ़ाना' पर पैनल चर्चा आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता सीएजी द्वारा की गई थी और पैनल में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के सचिव; लेखा महानियंत्रक; श्री एच.के. दास और श्री एस.एम. विजयानंद, सीएजी के लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य; और डिप्टी सीएजी (स्थानीय निकाय) शामिल थे। पैनल चर्चा के दौरान पैनल के सदस्यों द्वारा स्थानीय निकायों के लेखांकन और लेखापरीक्षा, डीएलएफए के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण और स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए आगे बढने के माध्यम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। विभागाध्यक्षों और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों ने भाग लिया।

पैनल चर्चा में विचार-विमर्श के दौरान सीएजी के लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य श्री एस. एम. विजयानंद

(ii) प्रो. सोलोमन डार्विन, प्रोफेसर ऑफ बिजनेस और गारवुड सेंटर फॉर कॉरपोरेट इनोवेशन के निदेशक एवं सेंटर फॉर ग्रोथ मार्केट्स के कार्यकारी निदेशक द्वारा 28 मार्च 2022 को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में हास स्कूल ऑफ बिजनेस में 'घातांकी ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए नई बैलेंस शीट - अवसर, खतरा और अनिश्चितता' पर व्याख्यान दिया गया था, जिसमें वेबकास्ट के माध्यम से साई इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों में सभी प्र.म.ले./म.ले. ने भी भाग लिया।

(iii) आईसीसा नोएडा ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) के सहयोग से **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग** पर कार्यकारी कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यकारी कार्यक्रम मिश्रित शिक्षण अभिगम के माध्यम से किया गया था जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों घटक शामिल थे। दक्षिण फ्लोरिडा के विश्वविद्यालय में सूचना प्रणाली और प्रबंधन स्कूल में पीएचडी कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर शिवेंदु (आईएएस 1984 सेवानिवृत्त) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर कार्यकारी कार्यक्रम और कार्यशाला का नेतृत्व किया।

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर कार्यशाला

(iv) तमिलनाडु में जीएसटी और पंजीकरण से संबंधित मुद्दों पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए चार्टड अकाउंटेंट, सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारियों और विभाग के अधिकारियों को जीएसटी और पंजीकरण के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

(v) महाराष्ट्र में सीएसआईआर के दो संस्थानों एनईईआरआई अथवा एसीएसआईआर के विशेषज्ञों और सेवानिवृत्त आइएफएस अधिकारियों को वन प्रबंधन, पर्यावरण/पारिस्थिति की तंत्र, विभिन्न प्रदूषकों, इसके कारण और प्रभाव की बेहतर समझ के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

(vi) दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा ''कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न''विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में महालेखाकर (लेखापरीक्षा) दिल्ली के कर्मचारियों ने भाग लिया।

(vii) प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) के कार्यालय उत्तरप्रदेश, प्रयागराज में स्वास्थ्य सेवाओं पर विचार-विमर्श बैठक/कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें एमएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, श्री एस. पी. सिंह, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के संयुक्त निदेशक डॉ. राजेंद्र कुमार और प्रयागराज के प्रसिद्ध अस्पतालों के डॉक्टरों ने भाग लिया था।

(viii) लेखापरीक्षा, महानिदेशक गृह, शिक्षा और कौशल विकास, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के भाग के रूप में आईआरएस पुलिस अधीक्षक (सीबीआई), एसीबी द्वारा 'स्वतंत्र भारत @75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता' विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया था।

(ix) मार्च 2022 के महीने में वन प्रभागों के अधिकारियों के साथ वन प्रभागों के लेखाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर नागपुर और पुणे में दो कार्यशालाएं आयोजित की गई थी।

खंड 5

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी, शिमला

अध्याय 1
संयुक्त राष्ट्र के साथ हमारी वचनबद्धता

अध्याय 2
सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता

अध्याय 3
सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता

अध्याय 4
द्विपक्षीय/बहुपक्षीय परस्पर संवाद

अध्याय 5
अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

अध्याय 1

संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ हमारी वचनबद्धता

1.1 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक वर्षों से संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के विभिन्न संगठनों का बाह्य लेखापरीक्षक रहे है। 2021-2022 के दौरान साई इंडिया ने निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र संगठनों की लेखापरीक्षा की:

1.1.1 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

सीएजी को दिसंबर में समाप्त अवधि से 2020-2023 में शुरू वित्तीय अवधि के लिए डब्ल्यूएचओ और इसके पांच गैर-समेकित मेजबान संस्थाओं के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सीएजी की लेखापरीक्षा के अंतर्गत पांच असमेकित या असंगठित संस्थाओं सहित छह संगठन हैं:

i. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयूएचओ);
ii. कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा (एसएचआई);
iii. अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (आईएआरसी);
iv. एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यूएनएड्स);
v. अंतर्राष्ट्रीय अभिकलन केंद्र (आईसीसी); और
vi. यूएनआईटीएआईडी (वैश्विक स्वास्थ्य पहल जो प्रमुख रोगों की रोकथाम, निदान और उपचार के सबंध में नवाचार लाने के लिए भागीदारों के साथ काम करती है)

छह लेखापरीक्षा दलों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय इसके क्षेत्रीय/देश के कार्यालयों और इसके गैर-समेकित संस्थाओं की वित्तीय, निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा की। ये लेखापरीक्षा कार्य अक्टूबर 2021-फरवरी 2022 के दौरान दूरस्थ लेखापरीक्षा के माध्यम से किए गए थे और मार्च-अप्रैल 2022 के दौरान कार्यस्थल पर लेखापरीक्षा की गई थी।

1.1.2 खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ)

एफएओ संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो भूख को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। एफएओ का मुख्यालय रोम, इटली में है।

सीएजी दिसम्बर 2020 में समाप्त वित्तीय अवधि से 2020-2025 की अवधि के लिए एफएओ के बाह्य लेखापरीक्षक है।

पांच लेखापरीक्षा दलों ने खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय/देश के कार्यालयों की वित्तीय, निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा की। ये लेखापरीक्षा अक्टूबर/नवंबर 2021 से दूरस्थ लेखापरीक्षा प्रारूप में शुरू हुए थे। एफएओ की वित्तीय लेखापरीक्षा मई 2022 में कार्यस्थल पर आयोजित की जाएगी।

1.1.3 इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन (आईपीयू)

आईपीयू राष्ट्रीय संसदों का वैश्विक संगठन है। यह संसदों और सांसदों को शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को प्रोन्नत करने की शक्ति देता है।

सीएजी दिसम्बर 2020 में समाप्त वित्तीय अवधि से 2020-2022 तक तीन वर्षों के लिए आईपीयू के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं।

आईपीयू की लेखापरीक्षा फरवरी 2022 में दूरस्त लेखापरीक्षा प्रारूप में की गयी थी।

1.2 संयुक्त राष्ट्र संगठनों की बाह्य लेखापरीक्षा के कार्य की सुपुर्दगी

2021-2022 के दौरान सीएजी को निम्नलिखित संगठनों के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था:

1.2.1 रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू)

सीएजी को 2021-2023 की अवधि के लिए ओपीसीडब्ल्यू के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओपीसीडब्ल्यू का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है और रासायनिक हथियार सम्मेलन

के लिए कार्यान्वयन निकाय है, जो 29 अप्रैल 1997 से प्रवृत हुआ था। ओपीसीडब्ल्यू रासायनिक हथियारों को स्थायी और सत्यापित रूप से खत्म करने के वैश्विक प्रयास की देखरेख करता है। दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ओपीसीडब्ल्यू की बाह्य लेखापरीक्षा मई-जून 2022 के दौरान की जाएगी।

1.2.2 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए)

सीएजी को 2022 से 2027 तक छह साल के कार्यकाल के लिए आईएईए के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में निर्वाचित किया गया है। आईएईए का मुख्यालय वियना में है और यह परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए वैश्विक केंद्र है। इसे संयुक्त राष्ट्र परिवार में विश्व के "शांति के लिए परमाणु" संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में अपने सदस्य राज्यों और कई भागीदारों के साथ काम करती है।

1.3 साई इंडिया की सक्रिय भागीदारी से जुड़े प्रमुख कार्यक्रम

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक,बाह्य लेखापरीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में पैनल के 61वें सत्र में भाग लेते हुए

1.3.1 बाह्य लेखापरीक्षकों का संयुक्त राष्ट्र पैनल

सीएजी ने 6 और 7 दिसंबर 2021 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र बाह्य लेखापरीक्षकों के पैनल के 61वें नियमित सत्र की अध्यक्षता एक मिश्रित सत्र के रूप में की जिसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क द्वारा की गई थी। बैठक में कनाडा, चिली, चीन, फ्रांस, जर्मनी, घाना, भारत, इंडोनेशिया, इटली, फिलीपींस, रूस, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और तंजानिया (पर्यवेक्षक के रूप में) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस सत्र में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई:

- **संयुक्त राष्ट्र संगठनों के आंतरिक नियंत्रणों पर कोविड का प्रभाव**

पैनल के सदस्यों ने इस बात पर बल दिया कि महामारी के बावजूद, नियंत्रणों को मजबूत करना; आश्वासन और निगरानी के उचित और व्यापक स्तरों की स्थापना करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसाधनों के उपयोग को उचित रूप से नियंत्रित किया और जांचा जा सकता है।

- **वित्तीय मुद्दे**
  - वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं पर कोविड का प्रभाव;
  - आईपीएसएएस 29 (वित्तीय साधन: मान्यता और मापन) से आईपीएसएएस 41 (वित्तीय साधन) में पारगमन;
  - आईपीएसएएस 23 का कार्यान्वयन (गैर-विनिमय लेनदेन से राजस्व); एवं
  - आईपीएसएएस 24 (वित्तीय विवरणों में बजट सूचना की प्रस्तुति) और आईपीएसएएस 35 (समेकित वित्तीय विवरण) के संबंध में बजट समेकन के लेखांकरण नीति कार्यान्वयन का शोधन।
- पैनल ने संयुक्त राष्ट्र वित्त और बजट नेटवर्क (एफबीएन) और लेखाकरण मानकों पर संयुक्त राष्ट्र कार्यबल के साथ सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि यह समझा जा सके कि प्रणाली नए और मौजूदा मानकों को अपनाने और लगातार लागू करने के लिए कैसे पहुंच रही है।
- **अन्य मुद्दे**
  - सेवाओं की आउटसोर्सिंग-तीसरे पक्षों द्वारा गैर-कर्मचारियों को नियुक्त करना;
  - आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन;
  - सामान्य बैक ऑफिसों का कार्यान्वयन; और
  - संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में पर्यावरण और सामाजिक शासन।

1.3.2 संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ बैठक

7 दिसंबर 2021 को सीएजी और पैनल के सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और उन्हें पैनल के सत्र के आउटपुट के बारे में जानकारी दी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने पैनल के अध्यक्ष की क्षमता में संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें सेवाओं की आउटसोर्सिंग, तीसरे पक्ष द्वारा गैर-कर्मचारियों को नियुक्त करने, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, कॉमन बैक ऑफिस के कार्यान्वयन और संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में पर्यावरण और सामाजिक शासन सहित विषयों पर सत्र के दौरान हुए विचार-विमर्श को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। *(https://www.un.org/en/auditors/panel/docs/Letter%20from%20Chairman%20of%20the%20Panel%20of%20External%20Auditors%20to%20the%20Secretary-General%202021.pdf)* पर पत्र उपलब्ध है।

1.3.3 बाह्य लेखापरीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के तकनीकी समूह की बैठक

संयुक्त राष्ट्र पैनल ने 1984 में अपने 26वें सत्र में अपने तकनीकी समूह (टीजी) की स्थापना की थी। समूह में बाह्य लेखापरीक्षा के निदेशक या समकक्ष एवं पैनल के कार्यकारी सचिव शामिल हैं। पैनल का अधिकांश काम तकनीकी समूह द्वारा किया जाता है जो पैनल के हित के विशिष्ट विषयों पर शोध और समीक्षा

करने के लिए अधिदेशित है। तकनीकी समूह समीक्षा किए गए विषयों और इसकी सिफारिशों पर अपनी नियमित बैठक में पैनल को रिपोर्ट करता है।

तकनीकी समूह की बैठक 1 से 3 दिसंबर 2021 तक न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान निम्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई; (क) कोविड का प्रभाव, (ख) लेखाकरण मानक अद्यतन, (ग) यूएनबीओए लेखापरीक्षा निष्कर्ष और (घ) प्रबंधन लेखापरीक्षा मुद्दे। साई इंडिया ने दो उप-विषयों 'आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर कोविड-19 का प्रभाव' और 'संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के निवेशों के लेखापरीक्षण के मुद्दे' पर सत्रों का नेतृत्व किया।

अध्याय 2

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता

2.1 इंटोसाई का अवलोकन

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) बाह्य सरकारी लेखापरीक्षा समुदाय के लिए अम्ब्रेला संगठन के रूप में काम करता है। 1953 में स्थापित इंटोसाई में 196 पूर्ण सदस्य, पांच सहयोगी सदस्य और दो संबद्ध सदस्य हैं। इंटोसाई एक स्वायत्त, स्वतंत्र और गैर-राजनीतिक संगठन है जिसे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के साथ विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। इंटोसाई का सिंद्धात, *'परस्पर अनुभव, सबका लाभ'* है।

इंटोसाई की चार मुख्य समितियां हैं जो इसके चार नीतिगत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसकी वाहक है। ये समितियां हैं:

(i) व्यावसायिक मानक समिति

(ii) क्षमता निर्माण समिति

(iii) ज्ञान सहभाजन तथा ज्ञान सेवा समिति

(iv) नीति, वित्त तथा प्रशासन समिति

2.2 इंटोसाई ज्ञान सहभाजन समिति (केएससी)

ज्ञान सहभाजन और ज्ञान सेवाओं पर इंटोसाई समिति - (केएससी) की स्थापना के बाद से, भारत के सीएजी केएससी और इसकी संचालन समिति (केएससी एससी) के अध्यक्ष है।

ज्ञान सहभाजन समिति संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अपनी समर्पित वेबसाइट - इंटोसाई कम्युनिटी पोर्टल के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करने के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के सभी पहलुओं में मार्गदर्शन दस्तावेज, हैंडबुक, सर्वोत्तम प्रथाओं और शोध पत्र विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केएससी के पास सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले 12 कार्य समूह हैं। इन कार्य समूहों के वेबपेज के लिंक यहां उपलब्ध हैं: https://cag.gov.in/en/page-involvement-with-intosai। साई इंडिया के संसाधन व्यक्ति सभी कार्य समूहों में साई इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

2.3 ज्ञान सहभाजन और ज्ञान सेवाओं – (केएससी) और इसकी संचालन समिति (केएससी एससी)की 13वीं वार्षिक बैठक

सीएजी, केएससी अध्यक्ष, 16 सितंबर 2021 को 13वीं केएससी एससी बैठक का उद्घाटन करते हुए

केएससी एससी की 13वीं बैठक 16 सितंबर 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थी और सीएजी द्वारा केएससी के अध्यक्ष के रूप में इसका उद्घाटन किया गया था। सीएजी ने अपने उद्घाटन भाषण में आज के जटिल और चुनौतीपूर्ण माहौल में नीतिगत परिसंपत्ति के रूप में ज्ञान की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान को साझा करने और प्रसारित करने से सकारात्मक कार्रवाई के प्रति भी प्रेरणा और आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए। अभिनव सोच, शीघ्रता से निर्णय लेना, सहयोगपूर्ण कार्रवाई और सार्थक सुधार ऐसे आदर्श हैं जो ज्ञान के प्रसार का लक्ष्य होना चाहिए।

2.4 ज्ञान विकास गतिविधियाँ

2.4.1 इंटोसाई की घोषणाएं

केएससी ने व्यावसायिक घोषणाओं के लिए इंटोसाई रूपरेखा (आईएफपीपी) में तीन इंटोसाई घोषणाओं को रखा है यथा सार्वजनिक ऋण लेखापरीक्षण पर मार्गदर्शन (जीयूआईडी 5250), लेखापरीक्षण आपदा प्रबंधन पर मार्गदर्शन (जीयूआईडी 5330) और निजीकरण की निष्पादन लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन (जीयूआईडी 5320)।

चार और घोषणाएं नामत: सार्वजनिक निजी भागीदारी के लेखापरीक्षण, सार्वजनिक खरीद लेखापरीक्षा का मार्गदर्शन, इंटोसाई पी-50 के कार्यान्वयन और सूचना प्रणाली सुरक्षा लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन प्रक्रियाधीन है।

2.4.2 क्रॉसकटिंग अनुसंधान परियोजनाएं

सीएजी, केएससी अध्यक्ष के रूप में, सार्वजनिक लेखापरीक्षा में आंतरिक और बाह्य अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित करते है। वर्तमान में, "साई स्वतत्रंता" और "लेखापरीक्षा संचार और लेखापरीक्षा परिणामों की रिपोर्टिंग" पर दो शोध परियोजनाएं प्रक्रिया में हैं।

2.5 ज्ञान और अनुभव का सृजन और प्रसार

2.5.1 केएससी अध्यक्ष के रूप में साई इंडिया, केएससी कार्य समूहों की गतिविधियों की देखरेख करता है जो अनुसंधान पत्र लाने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों / वेबिनारों के संचालन और भाग लेने और समाचार पत्रों और लेखों को प्रकाशित करने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

2.5.2 ज्ञान सहभाजन मंच के रूप में इंटोसाई समुदाय पोर्टल

इंटोसाई समुदाय में निरंतर बातचीत की सुविधा के लिए, केएससी अध्यक्ष के रूप में, साई इंडिया ने इंटोसाई समुदाय पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल को www.intosaicommunity.net या www.intosaiportal.org पर एक्सेस किया जा सकता है।

पोर्टल को नियमित अन्तःक्रियाऔर चर्चा का मंच बनाने के इरादे से प्रथाओं के समुदाय (सीओपी) बनाने की सुविधा सृजित की गई है। इस सुविधा का उद्देश्य सूचना और सामग्रियों के व्यापक आदान-प्रदान को सक्षम बनाना और लेखापरीक्षकों को हमारे सदस्य साई की विशेषज्ञता में श्रेणीबद्ध करने में सक्षम बनाना है। वर्तमान में पोर्टल सार्वजनिक ऋण, निष्कर्षण उद्योगों की लेखापरीक्षा, एआरएबीओएसएआई[1], एएफआरओएसएआई[2] - ई, गोलचेयर सहभागिता, एसोसाई परियोजनाओं, इंटोसाई क्षेत्र समन्वय मंच, सतत विकास लक्ष्यों, डेटा विश्लेषण आदि पर सीओपी की मेजबानी करता है। इस खंड को हाल ही में सब-थ्रेड जोड़ने की सुविधाओं के साथ बढ़ाया गया था जो सामग्री के बेहतर संगठन का प्रावधान करते हैं। यह बेहतर अंकन और आसान पहुंच को भी सक्षम बनाता है।

[1] *सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का अरब संगठन*

[2] *सर्वोच्च लेखापरीक्षासंस्थानों का अफ्रीकी संगठन*

केएससी ने हाल ही में एजेंडा 2030 के कार्यान्वयन में सहायता के प्रयासों को बदलने के प्रमुख महत्व पर विचार करते हुए एसडीजी पर सीओपी आरम्भ किया था। केएससी ने इस सीओपी में सदस्यों को नामित करके इस पहल में भाग लेने के लिए साई से संपर्क किया है। पोर्टल की सुविधाओं के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वेबिनार श्रृंखला की शुरूआत की गई। इस श्रृंखला के तहत अक्टूबर 2021 में निष्कर्षण उद्योगों के लेखापरीक्षा (डब्ल्यूजीईआई) पर इंटोसाई कार्य समूह के सदस्यों के लिए एक वेबिनार आयोजित किया गया था।

2.6 इंटोसाई नीतिगत योजना 2023-2028

इंटोसाई नीतिगत योजना (आईएसपी) वह दस्तावेज है जो छह साल की अवधि के लिए अपने मिशन, दृष्टि, मूल्यों, संगठनात्मक प्राथमिकताओं और नीतिगत लक्ष्यों को स्पष्ट करता है। इंटोसाई ने 2023 से 2028 की अवधि के लिए अगला आईएसपी तैयार करने के लिए नीतिगत योजना (टीएफएसपी) के लिए कार्यदल की स्थापना की है। साई इंडिया इंटोसाई के केएससी का अध्यक्ष होने के कारण टीएफएसपी का सदस्य है। टीएफएसपी की अध्यक्षता साई यूएसए करता है।

कार्यदल की कई बैठकों के माध्यम से, आईएसपी 2023-28 ने आकार लिया है और टीएफएसपी की दिसंबर की बैठक में अंतिम मसौदे पर चर्चा की गई थी। अंतिम योजना नवंबर 2022 में इंटोसाई कांग्रेस द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। यह योजना अगले छह वर्षों के लिए इंटोसाई के चार लक्ष्यों हेतु अपनाए जाने वाले नीतिगत उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करती है और इस अवधि के दौरान इंटोसाई द्वारा अपनाई जाने वाली प्राथमिकताओं की भी पहचान करती है। निर्धारित प्राथमिकताओं का उद्देश्य साई की स्वतंत्रता का समर्थन करना, संयुक्त राष्ट्र 2030 रूपरेखा की उपलब्धि में योगदान देना, साई की तन्यकता, समानता और समावेशिता का समर्थन करना और नीतिगत भागीदारी को बढ़ाना है।

2.7 इंटोसाई आईएफपीपी (एसडीपी) 2023-26 की नीतिगत विकास योजना

इंटोसाई व्यावसायिक घोषणाएं इंटोसाई की औपचारिक और आधिकारिक घोषणाएं हैं जो इंटोसाई के सदस्यों की सामूहिक व्यावसायिक विशेषज्ञता को दर्शाती हैं और लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों पर इंटोसाई के आधिकारिक बयान प्रदान करती हैं। सभी घोषणाओं को एक ही ढांचे में उनकी स्थिति और उद्देश्य के अनुसार व्यवस्थित और क्रमांकित किया जाता है। इंटोसाई की आईएफपीपी की रणनीतिक विकास योजना (एसडीपी) वह दस्तावेज है जो उन परियोजनाओं की पहचान करता है जो व्यावसायिक घोषणाओं के विकास का नेतृत्व करते हैं।

वर्तमान एसडीपी कार्यकाल 2022 में समाप्त हो रहा है। फरवरी 2022 में इंटोसाई व्यावसायिक घोषणाओं के लिए फोरम (एफआईपीपी) की बैठक के दौरान 2023-26 की अवधि के लिए नई नीतिगत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। केएससी के अध्यक्ष के रूप में साई इंडिया योजना तैयार करने में एक सक्रिय भागीदार है और विभिन्न डोमेन विशिष्ट विषयों पर अपने 12 कार्यकारी समूहों के माध्यम से योजना में परियोजनाओं का योगदान देता है। यह निर्णय लिया गया है कि नई योजना इंटोसाई समुदाय के भीतर और बाहर व्यापक संभव परामर्श के बाद तैयार की जाएगी ताकि उन परियोजनाओं को शामिल किया जा सके जो नीतिगत महत्व की हैं और बदलते माहौल को प्रतिबिंबित करती हैं जिसमें सार्वजनिक लेखापरीक्षकों को अपने अधिदेश का प्रयोग करने के लिए बुलाया जाता है। इस योजना को 2023 में इंटोसाई शासन मण्डल की बैठक के दौरान अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

2.8 गोल चेयर कोलेबोरेशन (जीसीसी)

जीसीसी तीन लक्ष्य समितियों अर्थात व्यावसायिक मानक समिति, क्षमता निर्माण समिति एवं ज्ञान सहभाजन और ज्ञान सेवा समिति की एक अनौपचारिक सहयोग व्यवस्था है। जीसीसी के तहत ये समितियां विभिन्न महत्वपूर्ण इंटोसाई मुद्दों पर आम सहमति पर पहुंचती हैं और इंटोसाई शासन मण्डल को एक संयुक्त विवरण प्रस्तुत करती हैं। गोल चेयर प्रतिनिधियों ने इंटोसाई के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन मुलाकात की, जहां वे स्वतंत्र रूप से और संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जैसे इंटोसाई नीतिगत योजना 2023-28 और आईएफपीपी 2023-26 की इंटोसाई नीतिगत विकास योजना(एसडीपी)।

2.9 आईटी लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्य समूह (डब्ल्यूजीआईटीए)

1989 में इसकी स्थापना के बाद से सीएजी डब्ल्यूजीआईटीए के अध्यक्ष है। डब्ल्यूजीआईटीए का उद्देश्य आईटी के उपयोग और लेखापरीक्षा में अपने ज्ञान और कौशल को विकसित करने में साई की सहायता करना है। वर्तमान में डब्ल्यूजीआईटीए में साई इंडिया सहित 57 सदस्य और छह पर्यवेक्षक हैं।

2.9.1 डब्ल्यूजीआईटीए की 30वीं वार्षिक बैठक

1 सितंबर 2021 को डब्ल्यूजीआईटीए की 30वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी साई इंडिया द्वारा वर्चुअल रूप से की गई थी, जिसने डब्ल्यूजीआईटीए के सचिवालय के रूप में कार्य किया था। डब्ल्यूजीआईटीए के अध्यक्ष के रूप में सीएजी ने बैठक का उद्घाटन किया।

बैठक का उद्‌घाटन करते हुए सीएजी ने कहा कि निकटस्थ दिनों में हर सरकार और संगठन की सफलता को कुशल और प्रभावी पूर्व आईटी प्रणालियों और समाधानों के त्वरित विनियोजन से उनकी दक्षता को मापा जाएगा। इसके परिणामस्वरूप उभरते आईटी जोखिमों की पहचान करने, अपनी संबंधित सरकारों को रचनात्मक सिफारिशें करने और सरकारी आईटी खर्च में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए साई की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी।

1 सितंबर 2021 को 30 वीं डब्ल्यूजीआईटीए बैठक में सीएजी, डब्ल्यूजीआईटीए अध्यक्ष, डीएआई (एचआरएंडआईआर) और पीडी (आईआर)

2.9.2 डब्ल्यूजीआईटीए की ज्ञान विकास गतिविधियां

2020-22 की अवधि के लिए वर्तमान कार्य योजना के अनुसार डब्ल्यूजीआईटीए साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण चुनौतियों, आईटी प्रबंधन कार्यों - आईटी शासन, अनुबंध प्रबंधन और संधारणीयता सहित सूचना प्रणालियों के प्रदर्शन मूल्यांकन की लेखापरीक्षा पर दिशा-निर्देश विकसित कर रहा है। ये परियोजनाएं 2022/2023 तक पूरी करने के लक्ष्य के साथ समापन के विभिन्न चरणों में हैं।

आईएफपीपी की इंटोसाई नीतिगत विकास योजना के अनुसार आईएफपीपी की सूचना प्रणाली सुरक्षा लेखापरीक्षा पर जीयूआईडी 5101 के विकास के लिए एक परियोजना साई इंडिया के नेतृत्व में शुरू की गई थी। श्री के.आर. श्रीराम, उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, परियोजना के अध्यक्ष के रूप में, श्री विकास कुमार, निदेशक की सहायता से जीयूआईडी 5101 के संशोधन पर काम कर रहे हैं।

डब्ल्यूजीआईटीए ने इंटोसाई विकास पहल (आईडीआई) के सहयोग से अक्टूबर 2013 में आईटी लेखापरीक्षा हैंडबुक विकसित की। डब्ल्यूजीआईटीए सदस्य यूनाइटेड स्टेट्स सरकारी जवाबदेही कार्यालय (यूएस जीएओ) वर्तमान में हैंडबुक के संशोधन का नेतृत्व कर रहा है जो समापन के अंतिम चरण में है और नवंबर 2022 में इंटोसाई शासन मण्डल को प्रस्तुत करने का लक्ष्य है।

2.9.3 डब्ल्यूजीआईटीएकी ज्ञान सहभाजन गतिविधियां

2.9.3.1 डब्ल्यूजीआईटीए ने अपने डब्ल्यूजीआईटीए वेबपेज में वैश्विक आईटी लेखापरीक्षा डेटाबेस के निर्माण और रखरखाव के लिए एक परियोजना शुरू की है। इस चालित डब्ल्यूजीआईटीए परियोजना के अनुसरण में साई सदस्यों द्वारा साझा की गई 193 आईटी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इंटोसाई समुदाय पोर्टल के डब्ल्यूजीआईटीए वेबपेज पर अपलोड किया गया है।

2.9.3.2 साई यूएसए ने 11 अगस्त 2021 को ''लेखापरीक्षण विरासत आईटी प्रणाली'' पर डब्ल्यूजीआईटीए वेबिनार की मेजबानी की। रिपोर्ट ने आधुनिकीकरण की आवश्यकता वाले सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी विरासत प्रणालियों की पहचान की, उन्हें आधुनिक बनाने की योजनाओं का मूल्यांकन किया और पिछले 5 वर्षों में सफल विरासत प्रणाली आधुनिकीकरण पहल के उदाहरणों की पहचान की।

2.9.3.3 "औद्योगिक क्रांति 4.0 के युग में आईटी लेखापरीक्षा: अवसर और चुनौतियां" पर डब्ल्यूजीआईटीए ई-सेमिनार

जैसा कि डब्ल्यूजीआईटीए बैठकों के संयोजन में संगोष्ठी/वेबिनार की मेजबानी करने की प्रथा है 30वीं डब्ल्यूजीआईटीए बैठक के बाद "औद्योगिक क्रांति 4.0 के युग में आईटी लेखापरीक्षा: अवसर और चुनौतियां" पर एक ई-सेमिनार आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी 2 सितंबर 2021 को इंडोनेशिया गणराज्य के लेखापरीक्षा मंडल द्वारा वर्चुअल रूप से की गई। डब्ल्यूजीआईटीए के अध्यक्ष के रूप में सीएजी ने बैठक के दौरान अपने स्वागत भाषण के साथ इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

2 सितंबर 2021 को "औद्योगिक क्रांति 4.0 के युग में आईटी लेखापरीक्षा: अवसर और चुनौतियां" पर डब्ल्यूजीआईटीए ई-सेमिनार

सीएजी ने उपरोक्त वर्चुअल कार्यक्रम में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति ने इंटोसाई और डब्ल्यूजीआईटीए के लिए उभरते आईटी जोखिमों का समाधान करने के लिए अपने सदस्यों को व्यावहारिक ज्ञान और कार्य प्रक्रियाओं से सज्जित करने का उत्कृष्ट अवसर सृजित किया है।

2.9.4 क्षमता निर्माण गतिविधियां

2020-22 के लिए वर्तमान कार्ययोजना के अनुसार, डब्ल्यूजीआईटीए आईटी लेखापरीक्षा के लिए वैश्विक पाठ्यक्रम विकसित कर रहा है। इस परियोजना का नेतृत्व श्री के.आर. श्रीराम, डीएआई और सीटीओ, साई इंडिया द्वारा किया जा रहा है।

2.10 इंटोसाई अनुपालन लेखापरीक्षा उप-समिति (सीएएस)

2017 से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इंटोसाई के अंतर्गत प्रथम ध्येय नामतः पेशेवर मानक समिति (सीएएस) के अध्यक्ष हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करने, अनुपालन लेखापरीक्षा की योजना, निष्पादन और रिपोर्ट के लिए क्रियात्मक मार्गदर्शन करने तथा अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु इंटोसाई व्यवसायी मत को विकसित करने के लिए सीएएस को अधिकृत किया गया था। फिलहाल, सीएएस में 20 सदस्य और दो पर्यवेक्षक हैं।

2.10.1 इंटोसाई सीएएस की 18वीं वार्षिक बैठक

इंटोसाई सीएएस की 18वीं वार्षिक बैठक 28 अक्टूबर 2021 को ऑनलाइन आयोजित की गई थी। इस बैठक की मेजबानी साई इंडिया ने की थी। बैठक का उद्घाटन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सीएएस अध्यक्ष के रूप में किया गया था। सुश्री मीनाक्षी शर्मा, उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सीएएस की कार्यवाहक अध्यक्ष नामित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा कि अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रभाव सरकारी व्यय में रिसाव को रोकने तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता में सुधार हेतु धन की बचत से बढ़ कर है। उन्होंने कहा कि 3 दृष्टिकोण - नवाचार, संस्थागतकरण और एकीकरण - क्षमता निर्माण की प्रमुख चुनौती से निपटने के लिए आदर्श रणनीति हो सकती है। नवाचार हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाना, लेखापरीक्षकों के बीच तकनीकी विशेषज्ञता का विस्तार करने के लिए ई-शिक्षण की संभावनाओं को नियोजित करना, मानकों और दिशा-निर्देशों के ढांचे को संस्थागत बनाना और अनुपालन लेखापरीक्षा को व्यापक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में एकीकृत करना।

28 अक्टूबर 2021 को आभासी रूप से आयोजित 18वीं सीएएस वार्षिक बैठक के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सीएएस सदस्यों को संबोधित करते हुए

सुश्री मीनाक्षी शर्मा, उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और उपाध्यक्ष, सीएएस, सीएएस गतिविधियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए

2.10.2 सीएएस कार्य योजना के अनुसार शुरू की गई परियोजनाएं

(i) सीएएस की ज्ञान विकास गतिविधियाँ

सीएएस ने जीयूआईडी 4900 – "अनुपालन लेखापरीक्षा में नियमितता और औचित्य पहलुओं की जांच करते समय प्राधिकारियों के मार्गदर्शन पर विचार करना" के विकास के लिए परियोजना का नेतृत्व किया। परियोजना को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया और दस्तावेज़ को 2020 में इंटोसाई शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। सीएएस भी सक्रिय रूप से जीयूआईडी 5160 – "आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य का उपयोग करने पर मार्गदर्शन" के विकास में शामिल है।

पीएससी ने आईएसएसएआई 140 –"साई के लिए गुणवत्ता नियंत्रण" के संशोधन की परियोजना शुरू की है। यह परियोजना यूरोपीय कोर्ट लेखापरीक्षकों के नेतृत्व में तदर्थ कार्य समूह द्वारा शुरू की गई है। गुणवत्ता प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय मानक (आईएसक्यूएम) 1 के अद्यतनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए संशोधन परियोजना की आवश्यकता थी। परियोजना का उद्देश्य आईएसएसएआई 140 की विषय-वस्तु को संशोधित करके इसे आईएसक्यूएम 1 के अनुरूप लाया जा सके, ताकि आईएसएसएआई 140 की प्रस्तुति को शेष ढांचे के अनुरूप अद्यतन किया जा सके, जो यह सुनिश्चित करने में सहायता करेगा कि यह यथासंभव स्पष्ट और उपयोगी है। सीएएस का प्रतिनिधित्व साई सदस्यों नामतः भारत, हंगरी, नॉर्वे और फ्रांस के द्वारा कार्य-दल में किया जाता है। वित्तीय लेखापरीक्षा और लेखा उप-समिति में साई इंडिया के प्रतिनिधि भी इस परियोजना के भाग हैं।

2.11 इंटोसाई पेशेवर घोषणाओं के लिए मंच (एफआईपीपी)

एफआईपीपी इंटोसाई की एक नामित निकाय है जो इंटोसाई की नियत प्रक्रिया के बाद एक समान अनुमोदन प्रक्रिया के कार्यान्वयन हेतु इंटोसाई रूपरेखा की व्यावसायिक घोषणाओं के लिए उत्तरदायी है।

सुश्री प्राची पांडे, प्रधान निदेशक, साई इंडिया इस मंच की सदस्य हैं। श्री पवन कुमार कोंडा, निदेशक, साई इंडिया सुश्री प्राची पांडे के तकनीकी सहायक हैं। साई इंडिया आईएफपीपी को विषय-वस्तु प्रदान करने और बनाए रखने में इस मंच के साथ सक्रिय रूप से वचनबद्ध है।

2.12 आईडीआई के साथ सहभागिता

मई 1999 में स्थापित इंटोसाई विकास पहल (आईडीआई), इंटोसाई निकाय है जो विकासशील देशों में साई की सहायता करता है, ताकि निष्पादन, स्वतंत्रता और वृत्ति दक्षता को स्थायी रूप से बढ़ाया जा सके।

आईडीआई ने साई को अपने प्रौद्योगिकी परिदृश्य की खोज करने, प्रौद्योगिकी की सहायता से लेखापरीक्षण के लिए उपयुक्त पद्धति और उपकरणों को डिजाइन करने और कार्यान्वित करने में सहायता करने के लिए "प्रौद्योगिकी उन्नति का उत्तोलन (एलओटीए)" की पहल शुरू की।

श्री विकास कुमार, निदेशक, एलओटीए स्कैन टूल को विकसित करने और वितरित करने के लिए प्रथम एलओटीए परियोजना में साई इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

2.13 इंटोसाई दाता सहयोग की वैश्विक साई उत्तरदायी पहल (जीएसएआई)

जीएसएआई को 2021 में इंटोसाई डोनर कोआपरेशन (आईडीसी) के समकक्ष सहायता कार्यक्रम के भाग के रूप में उतारा गया था। जीएसएआई का समन्वय जीएसएआई समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें साई इंडिया जनवरी 2022 में शामिल हुआ। जीएसएआई के तहत, साई इंडिया ने लेखापरीक्षा निदेशक के कार्यालय, साई डोमिनिका को तकनीकी सहायता की पेशकश की है। आईआर डिवीजन ने फरवरी 2022 में साई डोमिनिका का अभ्यास दायरा पूर्ण किया और सिफारिश की है कि साई को इस पहल में शामिल किया जा सकता है।

2.14 भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौता हेतु राज्यों के दलों का सम्मेलन (कोएसपी)

कोएसपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ़ लड़ाई में साई और भ्रष्टाचार विरोधी निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए, संकल्प 8/13 को अपनाया जिसका शीर्षक "भ्रष्टाचार को अधिक प्रभावी ढंग से रोकने और लड़ने के लिए सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों और भ्रष्टाचार निरोध निकायों के बीच सहयोग बढ़ाना" है, जिसे अबू धाबी घोषणा के रूप में संदर्भित किया गया है।

सुश्री परवीन मेहता, उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और सुश्री रितिका भाटिया, महानिदेशक ने 9 दिसंबर 2021 (अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस) को दुबई में आयोजित "भ्रष्टाचार निरोध का भविष्य: प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से अखंडता का नवाचार" विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन में साई इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। इस कार्यक्रम का आयोजन भ्रष्टाचार के खिलाफ़ संयुक्त राष्ट्र समझौता (को एसपी यूएनसीएसी) एवं राज्यों के दलों के सम्मेलन के अध्यक्ष साई यूएई द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

साई इंडिया ने ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) द्वारा 12 दिसंबर 2021 को कोएसपी से पहले आयोजित "भ्रष्टाचार को रोकने और मुकाबला करने में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों की भूमिका: आगे की भूमिका" कार्यक्रम में भी भाग लिया। बैठक का उद्देश्य "भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से रोकने और लड़ने के लिए सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों और भ्रष्टाचार विरोधी निकायों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल गाइड" तैयार करना था।

इसके बाद प्रैक्टिकल गाइड के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए 28 से 30 मार्च 2022 तक विशेषज्ञों की दूसरी बैठक आयोजित की गई। साई इंडिया ने विशेष रूप से अधिप्राप्ति की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन किया।

2.15 जी20 भ्रष्टाचार निरोधकार्य समूह की पहली बैठक

जी20 या बीस का समूह एक अंतर-सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ (ईयू) शामिल हैं। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के मानकों को बढ़ाने के साथ-साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ़ वैश्विक लड़ाई की प्रभावशीलता में योगदान देने में सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए जी20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह (एसीडब्ल्यूजी) की स्थापना 2010 में की गई थी।

पहली जी20 एसीडब्ल्यूजी 2022 बैठक 28 से 31 मार्च 2022 तक आभासी रूप से आयोजित की गई थी। साई इंडिया ने अन्य सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक में भाग लिया। बैठक में "भ्रष्टाचार से निपटने में लेखापरीक्षा की भूमिका को बढ़ाने पर उच्च स्तरीय सिद्धांत" नामक दस्तावेज पर चर्चा की गई और उसे अंतिम रूप दिया गया। यह दस्तावेज भ्रष्टाचार की रोकथाम और लड़ाई में लेखापरीक्षा द्वारा निभाई गई भूमिका और सार्वजनिक तथा निजी लेखापरीक्षा संस्थानों की स्वतंत्रता की रक्षा, सुरक्षा और वृद्धि की आवश्यकता को मान्यता देने के लिए तैयार किया गया है। इसमें आंतरिक क्षमता निर्माण, राष्ट्रीय ढांचे को तैयार करने, भ्रष्टाचार विरोधी समूहों के साथ सहयोग करने और उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से आंतरिक और बाहरी, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के लेखापरीक्षा की भूमिका को बढ़ाने के लिए छ: उच्च स्तरीय सिद्धांतों के एक सेट का प्रस्ताव है।

दस्तावेज में शामिल करने के लिए साई इंडिया द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण हस्तक्षेप ओपन डेटा पॉलिसी को बढ़ावा देने और लेखापरीक्षा में नागरिक समाज की भागीदारी के फायदों का लाभ उठाने से संबंधित हैं।

2.16 इंटोसाई की अन्य प्रमुख कार्यक्रम

2.16.1 75वीं इंटोसाई शासी बोर्ड की बैठक

इंटोसाई शासी बोर्ड की 75वीं बैठक 23 नवंबर 2021 को आभासी रूप से आयोजित की गई थी। केएससी की रिपोर्ट पेश करते हुए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के बीच सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए केएससी की प्रतिबद्धता को दोहराया ताकि वे सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर शासन में सुधार ला सकें।

23 नवंबर 2021 को 75वीं इंटोसाई जीबी बैठक में भाग लेने वाले इंटोसाई जीबी के सदस्य के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

2.16.2 भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीएएसी) का विशेष सत्र

साई और भ्रष्टाचार निरोध निकायों के बीच सहयोग बढ़ाने पर अबू धाबी घोषणा को 2 जून 2021 को यूएनजीएएसी के विशेष सत्र में अपनाया गया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने यूएनजीएएसी के विशेष सत्र में "आधुनिक समय में भ्रष्टाचार की रोकथाम और लड़ाई में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान की अनिवार्य भूमिका" पर आभासी कार्यक्रम के दौरान 2 जून 2021 को आयोजित पैनल चर्चा में भाग लिया।

चर्चा के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह उम्मीद बढ़ रही है कि साई को ठोस कार्रवाई के माध्यम से, ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने में प्रभावशाली भूमिका निभानी चाहिए जो अधिकार के प्रयोग और राष्ट्रीय संसाधनों के उपयोग में ईमानदारी और उत्तरदायित्व को महत्व देती है। इस दिशा में साई राजस्व और व्यय की स्वतंत्र संवीक्षा के माध्यम से उत्तरदायित्व चक्र में आवश्यक भूमिका निभाते हैं, जिससे कार्यपालिका की उत्तरदायित्व सुनिश्चित होती है।

2.16.3 पहला ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और व्यावहारिक सम्मेलन

पहला ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और व्यावहारिक सम्मेलन 21-22 अप्रैल 2021 को इंटोसाई के अध्यक्ष नामत: साई रूस के तत्त्वाधान में आयोजित किया गया था। सार्वजनिक लेखापरीक्षा में विशेषज्ञों, व्यापार के सदस्यों और अकादमिक समुदायों को एक साथ लाकर सम्मेलन में अनुभव के आदान-प्रदान के लिए एक अनूठा मंच प्रदान हुआ।

सम्मेलन के पहले दिन की थीम "आपातकाल के दौरान और बाद में सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षा और क्रमिक विकास" थी और सम्मेलन के दूसरे दिन के लिए "ऑनलाइन शिक्षा: नया सामान्य या अस्थायी समाधान?" थी। पूर्ण सत्र के बाद दूसरे दिन रणनीतिक लेखापरीक्षा, डेटा विश्लेषण, उदारता और एसडीजी पर अलग-अलग चर्चा सत्र आयोजित किए गए।

श्री के.आर. श्रीराम, उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सह मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और श्री वीरेंद्र कुलहरिया, निदेशक, ने डेटा विश्लेषण पर चर्चा सत्र में भाग लिया।

श्री के.आर. श्रीराम, साई में डेटा विश्लेषण पर चर्चा समूह के संचालक के रूप में सम्मेलन के दूसरे दिन चर्चा के परिणाम को प्रस्तुत करते हुए।

इसके अतिरिक्त, श्री सुनील श्री कृष्णा डाढे, महानिदेशक ने कार्यक्रम के एसडीजी के सत्र में मॉडरेटर के रूप में भाग लिया और सुश्री हनशा मिश्रा, वरिष्ठ उप महालेखाकार ने एसडीजी पर एक प्रस्तुति दी।

श्री एस. एस. डाढे, एसडीजी पर चर्चा समूह के संचालक के रूप में, सम्मेलन के दूसरे दिन चर्चा के परिणाम को प्रस्तुत कर रहे हैं

2.16.4 25वां राष्ट्र/इंटोसाई संयुक्त परिसंवाद

साई इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक मामलों के विभाग (डीपीआईडीजी/यूएनडीइएसए) और इंटोसाई के सार्वजनिक संस्थानों और डिजिटल सरकार के प्रभाग द्वारा लगभग 28 से 30 जून 2021 तक आयोजित 25वें यूएन/इंटोसाई संयुक्त परिसंवाद में भाग लिया। परिसंवाद का विषय "महामारी के दौरान और उपरांत कार्य करना प्रभावी संस्थानों को मजबूत करने और धारणीय समाज को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अनुभव का लाभ" था।

परिसंवाद के दौरान साई ने अपनी संगठनात्मक क्षमताओं, काम करने के तरीकों और प्रक्रियाओं पर कोविड-19 के प्रभाव पर विचार-विमर्श किया; कोविड-19 प्रतिक्रियाओं और वसूली योजनाओं के लेखापरीक्षा में अनुभव एवं अच्छी प्रथाएं; कोविड-19 प्रतिक्रियाओं के लिए पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए अभिनव दृष्टिकोण और कोविड-19 के बाद स्थिति-स्थापक उत्तरदायित्व प्रणालियों और संस्थानों का समर्थन करने के तरीके।

2.16.5 दूसरी इंटोसाई धारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) समन्वय बैठक

दूसरी इंटोसाई एसडीजी समन्वय बैठक 22 फरवरी 2022 को वर्चुअली आयोजित की गई थी। बैठक का उद्देश्य इंटोसाई के भीतर एसडीजी गतिविधियों का समन्वय करना और एसडीजी के कार्यान्वयन में इंटोसाई और इसके सदस्य साई की भागीदारी के बारे में अगले कदम पर चर्चा करना था।

श्री एस. आलोक, महानिदेशक, सुश्री पी. माधवी, प्रधान निदेशक (एसडीजी और प्रमुख धारणीय विकास संकेतकों पर आईएनटीसाई कार्य समूह में साई इंडिया के प्रतिनिधि), श्री मनीष कुमार, ओएसडी, आईसीईडी, जयपुर और सुश्री नमिता प्रसाद, प्रधान निदेशक (पर्यावरण लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्य समूह में साई इंडिया प्रतिनिधि) ने उपरोक्त बैठक में भाग लिया।

अध्याय 3

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता

3.1 एसोसाई का अवलोकन

1978 में स्थापित सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन (एसोसाई), इंटोसाई के सात क्षेत्रीय संगठनों में से एक है। 1979 में नई दिल्ली में आयोजित इसके पहले सम्मेलन के साथ यह कार्यात्मक हुआ । भारत एसोसाई का चार्टर सदस्य है। इसकी वर्तमान सदस्यता 47 हैं।

एसोसाई के उद्देश्य हैं:

- सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से सदस्य संस्थानों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देना।
- गुणवत्ता और निष्पादन में सुधार की दृष्टि से सरकारी लेखापरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण और सतत शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करना।
- सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विश्व के अन्य भागों की संस्थानों के साथ सूचना के केंद्र के रूप में और क्षेत्रीय कड़ी के रूप में कार्य करना।
- संबंधित सदस्य संस्थानों की सरकार में सेवारत लेखापरीक्षकों और क्षेत्रीय समूहों के बीच घनिष्ठ सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देना।

3.2 एसोसाई जर्नल

सरकारी लेखापरीक्षा के एसोसाई जर्नल के संपादक मंडल के अध्यक्ष के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को 2021-2024 की अवधि के लिए एसोसाई के शासी बोर्ड (जीबी) की पदेन सदस्यता प्रदान की गई है। एसोसाई जर्नल वर्ष में दो बार प्रकाशित होता है। साई सदस्य एसोसाई पत्रिका के लिए लेखों का योगदान कर रहे हैं।

साई इंडिया ने अगस्त 2021 में एसोसाई जर्नल की संशोधित वेबसाईट लॉन्च की जिसमें गुणवत्तापूर्ण ज्ञान सामग्री, उन्नत डिजाइन और इंटरैक्टिव फिचर्स के साथ अपने उपयोगकर्ताओं के पढ़ने के अनुभव के उत्थान के लिए डाउनलोड करने योग्य पीडीएफ डिज़ाइन करके लॉन्च किया गया था। साई इंडिया ने सार्वजनिक उत्तरदायित्व और लेखापरीक्षा बंधुता के बीच अपनी व्यापक पहुंच और प्रसार के लिए एसोसाई जर्नल @ASOSAI Journal का ट्विटर हैंडल भी लॉन्च किया।

"आर्थिक वसूली में लेखापरीक्षा की भूमिका- महामारी के उपरांत" विषय पर अक्टूबर 2021 में ई-जर्नल का अंतिम अंक www.asosaijournal.org वेबसाईट पर होस्ट किया गया था।

3.2.1 एसोसाई गतिविधियों में साई इंडिया की भागीदारी

3.2.1.1 13वीं एसोसाई अनुसंधान परियोजना

उभरते क्षेत्रों की लेखापरीक्षा पर बल देने के मद्देनजर, साई इंडिया एसोसाई की सभी अनुसंधान परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 8 सितंबर 2021 को आयोजित एसोसाई की 57वीं शासी बोर्ड बैठक के दौरान, "साई के लिए सुदूर लेखापरीक्षा भविष्य एवं चुनौतियाँ "विषय को 13वीं एसोसाई अनुसंधान परियोजना के विषय के रूप में चुना गया था। श्री वी.एम.वी. नवल किशोर, प्रधान निदेशक को 13वीं एसोसाई अनुसंधान परियोजना में साई इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है।

3.2.1.2 56वीं एसोसाई शासी बोर्ड की बैठक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 6 सितंबर 2021 को आयोजित 56वीं जीबी में एसोसाई जर्नल पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें जीबी सदस्यों को उपयोगकर्ता के अनुकूल सुविधाओं और बेहतर पठनीयता के लिए फिर से अभिकल्पित किए गए पीडीएफ प्रारूप के साथ पुनर्निर्मित एसोसाई जर्नल वेबसाईट के लॉन्च के बारे में अवगत कराया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने जीबी सदस्यों को ट्विटर पर जर्नल की सोशल मीडिया उपस्थिति के बारे में भी सूचित किया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बेहतर पहुँच और दृश्यता हो सके। उपर्युक्त के अतिरिक्त इंटोसाई ज्ञान प्रसार समिति (केएससी), इंटोसाई अनुपालन लेखापरीक्षा उप-समिति (सीएएस) और इंटोसाई कार्य समूह पर आईटी लेखापरीक्षा (डब्ल्यूजीआईटीए) पर इंटोसाई में साई इंडिया के प्रयासों और पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रस्तुत की गई थीं।

3.2.1.3 15वीं एसोसाई सम्मेलन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(सीएजी), श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, 7 सितंबर 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित साई थाईलैंड द्वारा आयोजित 15वीं एसोसाई असेंबली में भाग लेते हुए।

7 सितंबर 2021 को आयोजित 15वीं एसोसाई असेंबली के दौरान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को 2021 में एसोसाई असेंबली के मेजबान के रूप में चुना गया था और 2024-2027 की अवधि के लिए एसोसाई के अध्यक्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, अध्यक्ष के रूप में, एसोसाई के मुख्य कार्यकारी होंगे अथवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एसोसाई का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 15वीं विधानसभा के दौरान दिए गए अपने भाषण में साई इंडिया को 2024-27 की अवधि के लिए अगली विधानसभा के मेजबान और अध्यक्ष बनने के सम्मान सौंपने के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए, यह भी बताया कि दुनिया नई चुनौतियों और उन छिपी हुई कमजोरियों, जो अब तक कोविड-19 महामारी द्वारा सामने लाई गई हैं, के साथ विश्व महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजर रहा है।

15वीं एसोसाई असेंबली में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने एसोसाई जर्नल पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने न केवल एसोसाई भाईचारे के बीच, बल्कि विश्व स्तर पर साई में पेशेवर अनुभव साझा करने और जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक सक्रिय और लोकप्रिय माध्यम के रूप में एसोसाई जर्नल की भूमिका पर प्रकाश डाला।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अध्यक्ष के रूप में, एसोसाई जर्नल के संपादकों के बोर्ड के रूप में अपनी क्षमता के अनुरूप अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2020 तक एसोसाई जर्नल के छह अंकों में प्रकाशित 72 लेखों के आकलन के आधार पर अप्रैल 2020 के अंक में प्रकाशित लेखों "राजकोषीय समेकन के लिए जापानी सरकार के प्रयासों पर लेखापरीक्षा और विश्लेषण" और अक्टूबर 2018 के अंक में प्रकाशित "जापान में आपदा प्रबंधन की लेखापरीक्षा- हाल के रुझान और विशेषताएं" लेखों के लिए साई जापान को एसोसाई जर्नल अवार्ड से भी सम्मानित किया।

3.2.1.4 57वीं एसोसाई शासी बोर्ड की बैठक

8 सितंबर 2021 को आयोजित 57वीं एसोसाई जीबी बैठक में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 2024 में 16वीं एसोसाई असेंबली की मेजबानी पर तैयारी पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें एसडीजी को लागू करने और गरीबी, जलवायु परिवर्तन, लिंग असमानता एवं एसडीजी

वित्तपोषण अंतर द्वारा उठाई गई चुनौतियों का समाधान करने के लिए सभी साई सदस्यों को सभी स्तरों (व्यक्तिगत, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक) पर एक साथ काम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। साई पाकिस्तान को 2022 के लिए 58वीं एसोसाई शासी बोर्ड की बैठक का मेजबान घोषित किया गया था।

3.2.1.5 वार्षिक एसोसाई संगोष्ठी

6-8 दिसंबर 2021 के दौरान 'अधिक प्रभावी लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रिया में सुधार' विषय पर साई जापान द्वारा एसोसाई नॉलेज शेयरिंग सेमिनार की मेजबानी वर्चुअली की गई थी। उप महालेखाकार श्री अक्षय गोपाल ने सेमिनार में भाग लिया और अधिक उत्पादक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रिया को बढ़ाने पर साई इंडिया के अनुभवों को साझा किया।

3.2.1.6 पर्यावरण लेखापरीक्षा पर एसोसाई कार्य समूह (डब्ल्यूजीईए) सेमिनार

25-26 अक्टूबर 2021 को आयोजित एसोसाई की 'पर्यावरण लेखापरीक्षा' पर 8वां वर्चुअल सेमिनार और कार्यकारी बैठक में श्री मनीष कुमार, ओएसडी, आईसीईडी, जयपुर और श्री पुष्कर कुमार, निदेशक, आईसीईडी, साई इंडिया ने भाग लिया। सेमिनार में लघुकरण एवं अंगीकरण के उपाय, पर्यावरणीय संसाधनों के कुशल उपयोग को सक्षम करने के लिए विनियमन, निगरानी और पर्यवेक्षण और जलवायु परिवर्तन, जो वैश्विक चिंता का विषय है, पर अधिक लेखापरीक्षा आयोजित करने पर जोर दिया गया।

3.2.1.7 एसोसाई कार्यशाला

साई वियतनाम द्वारा आयोजित 'मेकांग नदी बेसिन में जल संसाधन प्रबंधन पर सहकारी पर्यावरण लेखापरीक्षा' पर नॉलेज शेयरिंग एसोसाई कार्यशाला 30 नवंबर 2021 आयोजित की गई थी, आईसीईडी के निदेशक श्री पुष्कर कुमार ने गंगा नदी के कायाकल्प पर लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए एसोसाई कार्यशाला में भाग लिया।

3.2.1.8 संकट प्रबंधन लेखापरीक्षा पर एसोसाई कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजीसीएमए)

बीएआई कोरिया के नेतृत्व में यह कार्यकारी समूह संकट प्रबंधन लेखापरीक्षा के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान करके भविष्य के संकटों का बेहतर उत्तर देने के लिए बढ़ी हुई क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए एक मंच है। श्री प्रवीर पांडे, महानिदेशक को इस कार्यकारी समूह में साई इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया।

अध्याय 4

द्विपक्षीय/बहुपक्षीय परस्पर संवाद

4.1 ब्रिक्स

ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक बहुपक्षीय मंच है। ब्रिक्स साई सहयोग के प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख नीचे किया गया है:

4.1.1 'पारिस्थितिक मुद्दे (स्वच्छ वायु और वन प्रबंधन)' विषय पर ब्रिक्स साई की विशेषज्ञ स्तर की आभासी बैठक

साई रूस द्वारा 3 नवंबर 2021 को बैठक आयोजित की गई थी जिसमें श्री मनीष कुमार, ओएसडी, आईसीईडी, जयपुर और श्री पुष्कर कुमार, निदेशक, आईसीईडी ने भाग लिया था। प्रस्तुतीकरण में साई इंडिया के प्रतिभागियों ने 'स्वच्छ वायु और वन प्रबंधन' पर साई इंडिया द्वारा की गई लेखापरीक्षा के साथ-साथ पारिस्थितिक मुद्दों की लेखापरीक्षा करते समय साई इंडिया द्वारा अपनाई जाने वाली अभिनव लेखापरीक्षण प्रथाओं के उपयोग पर चर्चा की।

4.1.2 ब्रिक्स साई की विशेषज्ञ स्तर पर "बहुआयामी गरीबी माप और राष्ट्रीय प्रणालियों/गरीबी उन्मूलन की तत्परता का निर्धारण" विषयगत आभासी बैठक

साई ब्राजील द्वारा 25 नवंबर 2021 को बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में प्रधान निदेशक सुश्री सुहासिनी एस. गोटमारे ने भाग लिया और भारत में वैश्विक एमपीआई के अतिरिक्त बहुआयामी गरीबी माप की पहल, भारत द्वारा किए गए गरीबी उन्मूलन उपायों और गरीबी पर महामारी के प्रभाव को प्रस्तुत किया।

4.1.3 ब्रिक्स साई कोआपरेशन की अध्यक्षता

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ब्रिक्स साई कोआपरेशन के एक सक्रिय सदस्य हैं (ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं)। साई इंडिया मध्य प्रदेश के भोपाल में 10-11 अक्टूबर 2022 को प्रस्तावित ब्रिक्स साई नेतृत्व की तीसरी बैठक की मेजबानी और समन्वय करेगा। समन्वयक के रूप में साई इंडिया के लिए उत्तरदायी होगा।

(i) "सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षा में नागरिक वचनबद्धता" विषय पर तीसरे ब्रिक्स साई नेतृत्व की मेजबानी करना;

(ii) बैठक के लिए ब्रिक्स साई घोषणा पत्र तैयार करना और अनुमोदित करना;

(iii) विभिन्न क्षेत्रों पर 2022-2024 के लिए ब्रिक्स कार्य-योजना तैयार करना और अनुमोदित करना, जहां सदस्य साई अनुसंधान परियोजना के माध्यम से किसी विषय पर नेतृत्व कर सकते हैं या आभासी या आमने-सामने संगोष्ठी/वेबिनार आदि के माध्यम से ज्ञान और अनुभव साझा कर सकते हैं।

4.2 शंघाई कोआपरेशन संगठन (एससीओ)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, एससीओ के सदस्य हैं जो भौगोलिक दायरे और जनसंख्या में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। एससीओ के सदस्य देश चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हैं। एससीओ के तत्वावधान में वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां हुईं:

4.2.1 साई के एससीओ प्रमुखों की 5वीं बैठक

एससीओ साई प्रमुखों की पांचवीं बैठक की मेजबानी 31 मार्च 2022 को साई पाकिस्तान द्वारा 'कोविड-19 व्यय की लेखापरीक्षा पर ज्ञान और अनुभव साझा करना' विषय पर वर्चुअली की गई थी। सुश्री परवीन मेहता, उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (मानव संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं समन्वय) ने साई इंडिया का प्रतिनिधित्व किया और 'रिमोट लेखापरीक्षण' पर कंट्री पेपर प्रस्तुत किया और यह बताया कि कैसे डिजिटल परिवर्तन रिमोट लेखापरीक्षण के लिए जरूरी है अथवा कुशल लेखापरीक्षा करने के लिए सामान्य और साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में शासन में रिमोट लेखापरीक्षा की भूमिका पर प्रकाश डाला।

साई इंडिया की प्रतिक्रिया

सुश्री परवीन मेहता, उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (मानव संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं समन्वय) 31 मार्च 2022 को वर्चुअली आयोजित साई की 5वीं शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में "रिमोट लेखापरीक्षण" पर साई इंडिया के कंट्री पेपर को प्रस्तुत करते हुए

4.3 सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान-20 (साई-20)

जी20 (समूह 20) के अध्यक्ष इंडोनेशिया ने साई-20 समूह की स्थापना का वचनबद्ध प्रस्ताव रखा जो निरीक्षण, अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता के विचार प्रदान करके जी20 सदस्य देशों की सरकारों के लिए रणनीतिक भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

साई-20 तकनीकी बैठक 26-27 जनवरी 2022 को वर्चुअली आयोजित की गई थी। इसमें साई के 11 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बैठक में जी20 ढांचे में साई-20 की स्थिति और भूमिका का व्यापक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए साई-20 की स्थापना पर जोर दिया गया।

4.4 साई इंडिया की द्विपक्षीय भागीदारी

साई इंडिया ने विभिन्न साई के साथ 15 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में सूचना और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान द्वारा मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करना है।

4.4.1 साई रूस के साथ सहयोग

4.4.1.1 "कोविड-19: व्यापार और उद्योग समर्थन, डिजिटलीकरण और नवाचार विकास" विषय पर बहुपक्षीय संगोष्ठी

साई रूस द्वारा आयोजित "कोविड-19: व्यापार और उद्योग समर्थन, डिजिटलीकरण और नवाचार विकास" विषय पर एक बहुपक्षीय संगोष्ठी 6 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई थी। श्री गौरव राय, उप निदेशक ने "कोविड-19 महामारी के तहत डिजिटलीकरण और नवाचार विकास" पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें भारत सरकार की सूचना संचार प्रौद्योगिकी की पहल पर प्रकाश डाला गया।

4.4.1.2 "आईटी लेखापरीक्षा: वर्तमान रुझान और चुनौतियां"

विषय पर बहुपक्षीय संगोष्ठी 28 जून 2021 को साई रूस द्वारा आयोजित "आईटी लेखापरीक्षा वर्तमान रुझान और चुनौतियां" विषय पर एक बहुपक्षीय आभासी संगोष्ठी का आयोजित किया गया था। संगोष्ठी में आईसीसा के निदेशक श्री विकास कुमार ने भाग लिया।

4.4.1.3 द्विपक्षीय संगोष्ठी

साई इंडिया और साई रूस ने 'लोक प्रशासन की लेखापरीक्षा और इसके सुधार' और 'डिजिटलीकरण' पर अपनी पहली द्विपक्षीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी 20 जनवरी 2022 को वर्चुअली आयोजित की गई थी और इसमें श्री सौरभ सिंह, वरिष्ठ उप-महालेखाकार और श्री श्रीराज अशोक, वरिष्ठ उप-महालेखाकार ने भाग लिया था। श्री सौरभ सिंह, वरिष्ठ उप-महालेखाकार ने 'लोक प्रशासन की लेखापरीक्षा और इसके सुधार' पर प्रस्तुति दी।

4.4.2 साई कुवैत के साथ सहयोग

सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए साई कुवैत और साई इंडिया के बीच मौजूदा समझौता ज्ञापन को पारस्परिक सहमति के पत्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से 6 नवंबर 2021 से प्रभावी रूप से नवीनीकृत किया गया था और इसकी वैधता 2026 तक है।

द्विपक्षीय संगोष्ठी हर वर्ष साई कुवैत के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के दायरे में आयोजित की जाती हैं और हर वर्ष वैकल्पिक रूप से साई इंडिया और साई कुवैत द्वारा आयोजित की जाती हैं।

4.4.3 साई मालदीव के साथ सहयोग

4.4.3.1 साई मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की साई मालदीव की यात्रा

मालदीव के महालेखापरीक्षक (एजी) के निमंत्रण पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और उनके प्रतिनिधिमंडल ने 24 से 26 अक्टूबर 2021 तक मालदीव का दौरा किया। यात्रा के दौरान,

महालेखापरीक्षक मालदीव और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने दोनों साई के मौजूदा संबंधों और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 24 अक्टूबर 2021 को एक नए सिरे से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और महालेखापरीक्षक मालदीव ने 24 अक्टूबर 2021 को नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

25 अक्टूबर 2021 को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने पीपुल्स मजलिस के माननीय राष्ट्रपति, सांसद और अध्यक्ष से मुलाकात की, जिनके साथ पीपुल्स मजलिस के सांसद और उपाध्यक्ष भी थे। स्पीकर ने महालेखापरीक्षक कार्यालय मालदीव की स्वतंत्रता पर प्रकाश डाला। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने स्पीकर को विकास और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत की संसद और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के बीच समन्वय के बारे में अवगत कराया। इसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और प्रतिनिधिमंडल ने पीएसी अध्यक्ष के नेतृत्व में लोक लेखा समिति (पीएसी), पीपुल्स मजलिस के साथ बैठक की। उपराष्ट्रपति ने एजीओ, मालदीव को विशेष रूप से क्षमता निर्माण में प्रदान किए गए भारत के निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सराहना की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मालदीव के माननीय उपराष्ट्रपति को प्राकृतिक संसाधन लेखांकन पर एक अवधारणा पत्र प्रस्तुत किया। 26 अक्टूबर 2021 को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक प्रतिनिधिमंडल ने श्री हुसैन नियाज़ी, महालेखापरीक्षक मालदीव के नेतृत्व में एजी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक की, जिसमें दोनों पक्षों ने आगे बढ़ने के तरीके पर विचार-विमर्श किया और पारस्परिक रूप से संयुक्त कार्य योजना के साथ आने पर सहमति व्यक्त की।

4.4.3.2 मालदीव के महालेखापरीक्षक महामहिम श्री हुसैन नियाज़ी और भारत के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निमंत्रण पर मालदीव के महालेखापरीक्षक महामहिम श्री हुसैन नियाज़ी के नेतृत्व में साई मालदीव के छ: सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 28 फरवरी से 11 मार्च 2022 तक भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान, वे एनएएए शिमला और आईसीसा नोएडा में कुछ समय के लिए रुके। प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में नवीनीकृत समझौता ज्ञापन के संचालन और साई के लिए आगे के तरीके पर चर्चा करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के साथ भी बैठक की।

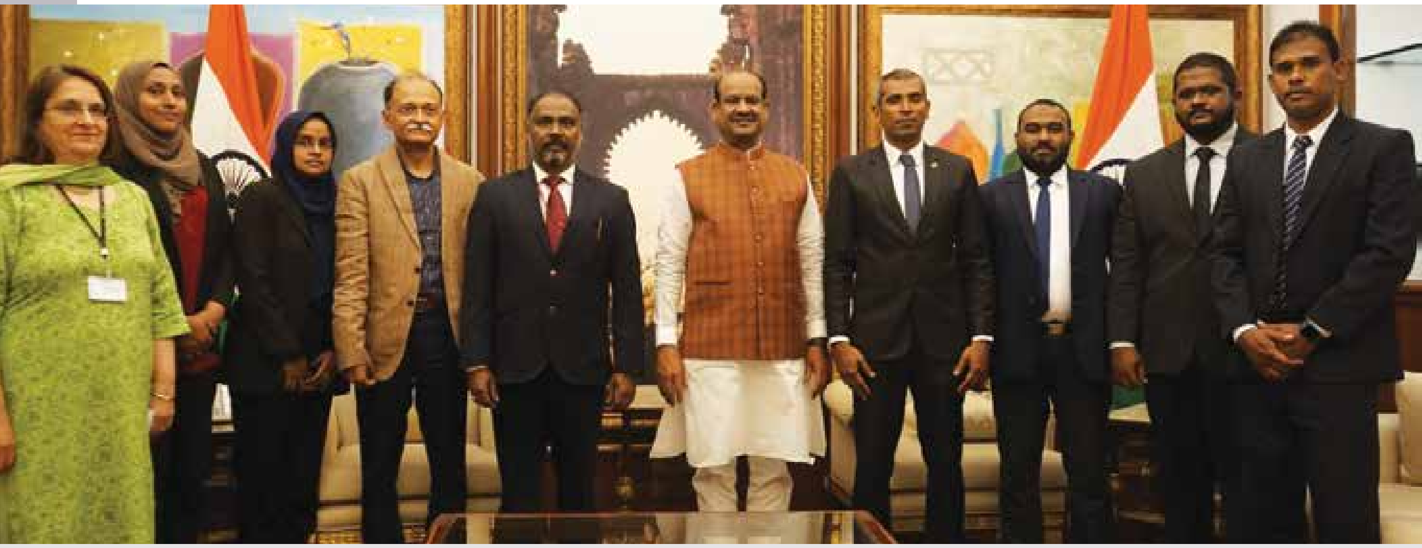

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और मालदीव के महालेखापरीक्षक ने 8 मार्च 2022 को लोकसभा के माननीय अध्यक्ष से मुलाकात की

4.4.4 साई चिली के साथ सहयोग

साई चिली ने साई इंडिया के साथ द्विपक्षीय संबंध बनाने में अपनी रुचि व्यक्त की, विशेष रूप से डेटा प्रबंधन और विश्लेषिकी के क्षेत्र में साई इंडिया का सहयोग किया। सीडीएमए के कामकाज सहित साई इंडिया में डेटा प्रबंधन और विश्लेषिकी की प्रगति का अवलोकन प्राप्त करने और इस क्षेत्र में सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, जनवरी 2022 में साई चिली के प्रतिनिधियों के साथ एक आभासी बैठक आयोजित की गई थी। श्री गौरव राय, निदेशक, सेंटर फॉर डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स ऑफ साई इंडिया और साई चिली के प्रतिनिधियों ने संबंधित साई में लेखापरीक्षा में बिग डेटा एनालिटिक्स के अनुप्रयोग के क्षेत्र में की गई पहल की प्रस्तुत की।

4.4.5 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और स्विट्जरलैंड के राजदूत के बीच बैठक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और स्विट्जरलैंड के राजदूत ने 15 फरवरी 2022 को बैठक की और लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान आने वाली चुनौतियों के साथ विभिन्न भारतीय प्रशासनों की दक्षता के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पारस्परिक हित और निर्धारण के मामलों पर चर्चा की।

स्विट्जरलैंड के राजदूत महामहिम डॉ. राल्फ हेक्नेर ने 15 फरवरी 2022 को पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ बैठक की थी

अध्याय 5

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

साई इंडिया अन्य साई संस्थानों के स्टाफ सदस्यों के लेखापरीक्षा कौशल संबंधी क्षमता विकास में सहायता करता है। साई इंडिया कार्यक्रमों की पाठ्यक्रम सामग्री वास्तविक जीवन लेखापरीक्षा परिदृश्यों के आधार पर तैयार की जाती है और सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के वितरण में प्रत्यक्ष अनुभव वाले अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। 2021-22 के दौरान ऐसे प्रयासों का विवरण नीचे दिया गया है।

5.1 राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी

राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी (एनएएए) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (आईएएंडएएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं के समावेशन प्रशिक्षण का आयोजन करती है।

साई इंडिया और साई भूटान ने सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद-II में भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा (आईएएंडएएस) पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के माध्यम से साई भूटान के अधिकारी प्रशिक्षुओं के क्षमता निर्माण का प्रावधान शामिल है। इसलिए एनएएए में समावेशण प्रशिक्षण में रॉयल ऑडिट अथॉरिटी, भूटान के दो प्रतिभागियों द्वारा भी भाग लिया गया।

2021-22 के दौरान रॉयल ऑडिट अथॉरिटी, भूटान के दो अधिकारी चरण-1 प्रशिक्षण के लिए मार्च 2022 में एनएएए में आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं हेतु आयोजित समावेशण प्रशिक्षण में शामिल हुए।

5.2 अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली तथा लेखापरीक्षा केंद्र

इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स एंड ऑडिट (आईसीसा) विश्व के विभिन्न देशों में स्थित साई के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। आईसीसा में प्रस्तुत कार्यक्रम अधिकारियों को सर्वोत्तम पेशेवर प्रथाओं के अनुरूप प्रभावी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक उपकरण और तकनीक प्रदान करते हैं। आईसीसा साई इंडिया के लिए आईटी लेखापरीक्षण हेतु एक प्रमुख संसाधन केंद्र के रूप में भी कार्य करता है।

2021-22 के दौरान आईसीसा ने चार ई-आईटीईसी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और दो अन्य ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

साई इंडिया और साई मालदीव ने सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद-II में साई इंडिया द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से साई मालदीव के कर्मचारियों के क्षमता निर्माण का प्रावधान शामिल है। समझौता ज्ञापन के दायरे में साई मालदीव के अधिकारियों के लिए दो ई-आईटीईसी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें 31 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था।

साई ओमान के साथ समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 5 के तहत, साई इंडिया भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में साई ओमान के स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए सहमति प्राप्त हुई है। साई ओमान से प्राप्त अनुरोध पर उनके 19 अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक डेटा विश्लेषण पर आभासी प्रशिक्षण दिया गया।

साई जमैका के 25 प्रतिभागियों को डेटा एनालिटिक्स पर भी प्रशिक्षित किया गया था।

इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त, 'आईटी पर्यावरण की लेखापरीक्षा' पर ई-आईटीईसी के तत्वावधान में दो बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे, जिसमें क्रमशः 13 देशों के 26 प्रतिभागियों और 16 देशों के 29 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था।

साई, मालदीव के लिए वित्तीय क्षेत्र लेखापरीक्षा पर ई-आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम

साई, जमैका के लिए 'डेटा विश्लेषण' पर ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

'इलेक्ट्रॉनिक डेटा विश्लेषण' पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

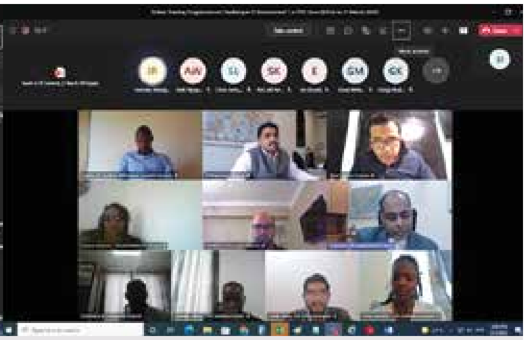

'आईटी पर्यावरण में लेखापरीक्षा' पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.3 पर्यावरण लेखापरीक्षा और धारणीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र

2021-22 के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केंद्र (आईसीईडी) ने 88 देशों के 412 प्रतिभागियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार और एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की, जिसमें साई इंडिया के छह भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारी शामिल थे। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल मुख्य विषयों में पर्यावरण लेखापरीक्षा का परिचय (इंटोसाई-डब्ल्यूजीईए), मरुस्थलीकरण प्रतिरोधक, खाद्य सुरक्षा और धारणीय कृषि (इंटोसाई-डब्ल्यूजीईए), पर्यावरण लेखापरीक्षा (इंटोसाई-डब्ल्यूजीईए) और नवीकरणीय ऊर्जा तथा इसकी लेखापरीक्षा (इंटोसाई-डब्ल्यूजीईए) शामिल थे।